हिमाचल प्रदेश सरकार

उधोग विभाग

संख्याः ..... तारीख शिमला–2, 2015

अधिसूचना ।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्न, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण)नियम, 2015 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएंः–** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' से खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 अभिप्रेत है;

(ख) 'निर्धारिति' से खनिज रियायत धारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी भूमि से विभाग की अनुज्ञा के बिना किसी गौण (खनिज) को निकालता/उठाता है;

(ग) 'निर्धारण प्राधिकारी' से खनन अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इन नियमों के अधीन निर्धारण करने वाला कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी भी है;

(घ) 'निर्धारण वर्ष' से प्रत्येक वर्ष, प्रथम अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

(ड.) 'नीलामी' से, खुली नीलामी, इलैक्ट्रानिक नीलामी (ई–ऑकशॅन) जिसके अन्तर्गत ई–टैण्डर भी सम्मिलित है के रूप में प्रतियोगी बोली की पद्वति अभिप्रेत है;

(च) 'प्राधिकृत अधिकारी' से, इन नियमों के अधीन ऐसे कृत्य तथा ऐसे क्षेत्र के लिए जैसे चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएं, करने हेतु प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसे कृत्यों जैसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं को कार्यन्वित करने वाला कोई अन्य अधिकारी भी है;

(छ) 'प्रतियोगी बोली' से, किसी खुली नीलामी या भागीदारों द्वारा निविदा प्रक्रिया में प्रस्तावित कोई रकम अभिप्रेत है;

(ज) 'सक्षम प्राधिकारी' से, ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे सरकार इन नियमों के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित करे;

(झ) 'संविदा' से निदेशक द्वारा अधिसूचित कतिपय विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए नीलामी या निविदा के माध्यम से खुदाई करने, छंटाई कार्य करने और उसे ले जाने के लिए सरकार की ओर से दी गई संविदा अभिप्रेत है;

(ञ) 'संविदाकार' से इन नियमों के अधीन खनन संविदा धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ट) 'संविदा धन' से, संविदा पर आंबटित क्षेत्र से खनिज निकालने/छंटाई करने हेतु विभाग को संविदाकार द्वारा संदत्त की जाने वाली रकम अभिप्रेत है;

(ठ) 'अनिवार्य भाटक' से किसी व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अन्तर्गत इस तथ्य को विचार में लिए बिना खन्न पट्टा प्रदान किया गया है, कि ऐसा खन्न पट्टा प्रचालित किया गया है या नहीं, द्वारा वर्ष में संदेय न्यूनतम रकम अभिप्रेत है;

(ड) 'व्यौहारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो खनिजों और खनिज उत्पादों के विक्रय के लिए उसका/उनका क्रय करने, उसका/उनका विक्रय करने, उसका/उनका प्रदाय करने, उसका/उनका वितरण करने या उसका/उनका परिदान करने का कारोबार करता है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कोई व्यक्ति है,–

(i) जो विक्रय के लिए खनिज या खनिज उत्पादों को क्रय करता है और उसका/उनका प्रसंस्करण करता है,

(ii) जो 50 मीट्रिक टन से अधिक खनिज के कारोबार, विक्रय और भण्डारण के कारोबार में लगा हुआ है; और

(iii) जो मिनरल कन्शेसन रूल, 1960 या इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए खनन पट्टे, संविदा या अनुज्ञा–पत्र का धारक है ।

(ढ) 'विभाग' से उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ण) 'निदेशक' से निदेशक उधोग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है,

(त) 'उत्खन्न' से किसी भूमि से खनिजों की छंटाई के प्रयोजन हेतु सतह/उप सतह से खनिजों की खुदाई/ एकत्रीकरण अभिप्रेत है;

(थ) 'वित्तीय आश्वासन' से खन्न पट्टा/संविदा/अनुज्ञा पत्र अनुज्ञा धारक द्वारा निदेशक को दी गई प्रतिभूति अभिप्रेत है ताकि भूमि पुनरूद्वार और पुनव्यर्वस्थापन लागत के लिए प्राधिकारी की क्षतिपूर्ति की जा सके;

(द) 'प्ररूप' से इन नियमों से संलगन प्ररूप अभिप्रेत है;

(ध) 'सरकार' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(न) 'ग्राम सभा' या सभा' का वही अर्थ होगा जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (16) के अधीन इसका है;

(प) 'ग्राम पंचायत' का वही अर्थ होगा जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (15) के अधीन इसका है;

(फ) 'मंजूरी आदेश' से आशय पत्र में नियत शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् खनन पटटा को प्रदान करने हेतु आदेश अभिप्रेत है;

(ब) खान के सम्बन्ध में प्रयुक्त 'पट्टेदार' से ऐसा व्यक्ति, उसका अंतरिती या समनुदेशिती और खान जिसका कारोबार समापक या प्रापक द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, की दशा में, ऐसा समापक या प्रापक और कम्पनी के स्वामित्वाधीन खान, जिसका कारोबार प्रबन्धक अभिकर्ता द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, की दशा में, ऐसा प्रबन्धक अभिकर्ता, जिसे सरकार द्वारा पट्टा प्रदान किया गया है, अभिप्रेत है;

(भ) 'स्थानीय प्राधिकारी' से जिला का उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजन हेतु स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(म) 'आशय पत्र (एल.ओ.आई) से नियत क्षेत्र में खनिज रियायत प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन, जिसमें अपेक्षित दस्तावेजों/स्वीकृति को प्रस्तुत करने के लिए ऐसी शर्तें, जैसे कि खनिज रियायत को प्रदान करने के लिए अपेक्षित खनन योजना, पर्यावरणीय और वन स्वीकृति आदि में अन्तर्विष्ट है, अभिप्रेत है;

(य) 'खनिज रियायत' से गौण खनिज की बाबत, खनन पटटा या खनन संविदा या अनुज्ञापत्र अथवा कोई अन्य अनुज्ञा अभिप्रेत है;

(य क) 'खनन देय' से, रॉयलेटी अनिवार्य भाटक 'संविदा रकम' खान तथा खनिज विकास हेतु संदेय रकम प्रत्यावर्तन और पुनर्वासन निधि, किसी फीस के विलंबित संदाय पर ब्याज या इन नियमों के अधीन अनुदत्त खनिज रियायत की बाबत सरकार को देय किसी अन्य राशि के मद्दे कोई देय अभिप्रेत है;

(य ख) 'खनिज उत्पाद' से किसी कच्चे या प्रसंस्कृत रूप में खनिज, ईटें, दरेसी किए हुए पत्थर, चट्टान संकलित बजरी, चिप्स, रोड़ी, स्टोन डस्ट, बालू या कोई रसायन परिवर्तन किए बिना खनिजों से तैयार किए जाने वाला कोई उत्पाद, अभिप्रेत है;

(य ग) 'गौण खनिज' से इमारती पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, निहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त बालू से अन्यथा साधारण बालू, शिलाखण्ड, समुद्री कंकड़, केवल गोला बनाने के कारखानें में प्रयोग के लिए

श्वेतवर्ण स्फटिक के कंकड़, लाइमशैल, कांकर और भवन सामग्री के रूप में प्रयुक्त चूने के विनिर्माण के लिए भट्ठियों में प्रयुक्त चूना पत्थर, मरम, ईंट'–मिट्टी, साधारण मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, बेन्टोनाईट, रोड़ी, रहमती, निर्माण सामग्री के रूप में प्रयुक्त स्लेट और स्लेटी पत्थर, ग्रेनाईट, स्फटिक तथा बालू पत्थर, जब सनिर्माण/भवनों या रोड़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और घरेलू बर्तन, स्फटिक कंकड़ जब गोला बनाने के कारखाने के लिए या बोर–वैल को भरने के लिए या भवनों में सजावट के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है और अन्य कोई खनिज जिसे केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा–3 के खण्ड (ङ) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गौण खनिज घोषित करे, अभिप्रेत है;

(य ध) 'खान पहुंच मार्ग सड़क/ढुलाई मार्ग' से खनन क्षेत्र में विद्यमान मार्ग का वह भाग जिसका निर्माण मुख्यतः खान के विकास तथा खनिज के परिवहन हेतु किया गया है;

(य ङ) 'खनन योजना' से, इन नियमों के अधीन तैयार और खान के वैज्ञानिक विकास हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित खनन योजना अभिप्रेत है;

(य च) 'खनन अधिकारी' से, जिला स्तर पर खनिज नियमों और विनियमों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा एक या एक से अधिक जिलों का प्रभार धारण करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(य,छ) 'पीठासीन अधिकारी' से, निदेशक या उस द्वारा नीलामी करने/संविदा के लिए निविदाएं आमन्त्रित करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(य ज) रॉयलेटी से, द्वितीय अनुसूची में विहित किसी भूमि से उत्खनिज अयस्क/खनिज की बाबत सरकार को संदेय रकम, अभिप्रेत है;

(य झ) 'अनुसूची' से इन नियमों से संलगन अनुसूची अभिप्रेत है;

(य ञ) ' अनुसूचित क्षेत्रों, से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र, अभिप्रेत है;

(य ट) 'राज्य भू विज्ञानी' से, हिमाचल प्रदेश राज्य हेतु राज्य भू विज्ञानी अभिप्रेत है;

(य ठ) 'स्टैक याड या विक्रय डिपों' से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है, जहां किसी खनिज या इसके उत्पादों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी अपरिस्कृत या प्रसंस्कृत रूप में भण्डारण किया गया है और उसके चट्टे लगाए गए है;

(य ड) 'स्टोन क्रशर' से, इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाने वाला स्टोन क्रशर अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत कोई मशीन जो कंकरीट/बजरी के विनिर्माण हेतु चट्टान/ खनिज को तोड़ने /कण्वाकार में कम करने के लिए धातु सतह का प्रयोग किया जाता है या प्रवलित या पूर्व दबाव वाले सीमेंट कंकरीट उत्पाद या सिवाय चूर्णन या प्रेषण के सन्निर्माण के प्रयोजन के लिए भवन सामग्री, विनिर्माण में अपरिष्कृत रूप में प्रयोग किए जाने के लिए धातु–शोधक आकार तक और कम करने और क्लिंकर/सीमेंट के उत्पादन हेतु सीमेंट संयन्त्र में चट्टान के टुकड़ों को छोटा करके वाहक पट्टों का प्रयोग किए बिना चट्टान का परिवर्तन किया जाता है;

(य ढ) 'अभिवहन पास' से, खनन अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निकाले गये किसी खनिज के विधिपूर्ण प्रेषण तथा परिवहन हेतु खनिज रियायत धारक या व्यौहारी को जारी किया गया दस्तावेज, अभिप्रेत है; और

(य ण) 'अप्राधिकृत खनन' से, सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुदत्त वैध खनिज रियायत या अनुज्ञा के बिना किया गया कोई खनन प्रचालन अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदो के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गये है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गये नियमों में क्रमशः उनके हैं ।

3. **कतिपय मामलों में छूट .–** इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित क्रियाकलापों को खनन कार्यकलाप नहीं माना जाएगा और उनसे निम्न के लिए कोई किराया, रॉयलेटी या अनुज्ञापन फीस प्रभारित नहीं की जाएगी :–

(i) 'उन वंशागत कुम्हारों द्वारा साधारण मिट्टी या साधारण रेत का निकाला जाना, जो कुटीर उद्योग के आधार पर मिट्टी के बर्तन तैयार करते है और जिनका एक वर्ष के दौरान कुल आर्वत एक लाख रूपये से अधिक नहीं है;

(ii) अधिकार धारकों द्वारा वाजिव–उल–अर्ज में अभिलिखित उनके अधिकारों के अनुसार उन क्षेत्रों से, जो किसी पट्टेदार या संविदाकार के कब्जे में नहीं है, उनकी मूलभूत निजी अपेक्षाओं के लिए, चिनाई पत्थरों, साधारण मिट्टी और किसी अन्य गौण खनिज का निकाला जाना, जब ऐसी निकासी खनन अधिकारी या खनन निरीक्षक या सहायक खनन निरीक्षक द्वारा दो मास के लिए विधिमान्य अनुज्ञापत्र के अधीन की गई हो :

परन्तु इस नियम के अधीन किसी ऐसे क्षेत्र में गौण खनिज के उत्खनन के लिए छूट लागू नहीं होगी, जहां विस्फोटक का उपयोग अपरिहार्य होः

परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र, जो किसी संविदाकार या पट्टेदार के कब्जे में नहीं है, से भवन के पत्थरों और बालू का उत्खनन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के सदस्यों, जिनकी मासिक आय प्रतिमास पांच हजार रूपये से अनधिक है और ऐसे व्यक्तियों, जो खनन अधिकारी या खनन निरीक्षक अथवा सहायक खनन निरीक्षक द्वारा जारी दो मास के लिए विधिमान्य अनुज्ञा–पत्र के अधीन धर्मशाला, प्याऊ या पूर्त या परोपकारी प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य सनिर्माण करना चाहते हैं, द्वारा ही किया जा सकेगा ।

4. **वास्तविक उपयोग के लिए खनिजों की आपूर्ति .–** (1) संविदाकार/पट्टाधारक, उन व्यक्तियों को, इमारती पत्थर, चूना पत्थर, कंकर, बालू और बजरी की आपूर्ति करेंगे या इनके उत्खन्न हेतु अनुज्ञात करेंगे, जिनके अधिकार, उनके वास्तविक निजी उपयोग के लिए या पूर्त अथवा परोपकारी प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत अन्य भवनों के सन्निर्माण के लिए द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रॉयलेटी दरों को प्रभारित करने पर वाजिव–उल–अर्ज में इस प्रकार अभिलिखित है ।

(2) उप नियम(1) के प्रयोजन के लिए, सम्बद्ध खनन अधिकारी यह विनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति गौण खनिजों का उत्खनन उसके निजी वास्तविक उपयोग के लिए कर रहा है अथवा नहीं, प्राधिकारी होगा ।

5. **अनुमोदन का प्रमाण–पत्र.–** (1) कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, यथास्थिति, खनन पट्टे या संविदा या निविदा आदि जैसी दीर्घकालिक रियायत प्राप्त करने के लिए, प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट आवेदन फीस के संदाय पर, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से अनुमोदन का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा । अनुमोदन के प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन प्ररूप–'क' में निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) निदेशक सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है, प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन फीस के संदाय पर, अनुमोदन का प्रमाण–पत्र प्रदान कर सकेगा ।

(3) अनुमोदन का प्रमाण–पत्र प्ररूप–'ख' में जारी किया जाएगा और ऐसे प्रमाण–पत्र को प्रदान करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या खनिज की रियायत तक जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य रहेगा ।

(4) अनुमोदन का प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्ररूप–'ख' में तभी नवीकृत किया जाएगा यदि प्रथम अनुसूची में यथा निविर्दिष्ट नवीकरण फीस संदत्त कर दी गई है और इसके नवीकरण के लिए आवेदन को प्रमाण–पत्र के अवसान की तारीख से पूर्व प्रस्तुत कर दिया गया है ।

स्पष्टीकरणः– उप नियम(1) के प्रयोजन के लिए, कोई भी पट्टाधारक भारतीय नागरिक समझा जाएगा,

(क) कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 18) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कम्पनी की दशा में, यदि केवल कम्पनी के निदेशक बहुमत में भारत के नागरिक है और उसकी शेयर पूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून ऐसे व्यक्तियों के पास है जो या तो भारत के नागरिक है या उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित कम्पनियां है;

(ख) उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित किसी प्राईवेट कम्पनी की दशा में, यदि केवल कम्पनी के समस्त सदस्य भारत के नागरिक है;

(ग) किसी फर्म या व्यष्टियों के अन्य संगम की दशा में, यदि केवल फर्म के समस्त भागीधार या संगम के सभी सदस्य भारत के नागरिक है; और

(घ) किसी व्यक्ति की दशा में, यदि केवल वह भारत का नागरिक है और यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता हो कि क्या कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं तो यह केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

अध्याय–2

खनिज रियायतें प्रदान करना और खनन पट्टे के प्रदान करने के लिए शर्तेः–

6. **खन्न पट्टा प्रदान करने पर निर्बन्धन .–** (1) कोई भी खनन पट्टा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितयों के अधीन के सिवाय नगर निगम/नगरपालिका समिति की ठीक बाहरी सीमाओं से दो किलोमीटर नगर पंचायत की ठीक बाहरी सीमाओं से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर भूमि की बाबत प्रदान नहीं किया जाएगा ।

(2) संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा विशेष छूट के सिवाय, कोई भी खनन पट्टा, राष्ट्रीय उच्चमार्ग/एक्सप्रैस मार्ग के छोर से 100 मीटर तक, राज्य उच्चमार्ग के छोर से 25 मीटर और अन्य मार्गो के छोर (किनारे) से 10 मीटर तक प्रदान नहीं किया जाएगा ।

(3) कोई भी खनन प्रचालन संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा लोक उपयोगिताओं से नियत दूरी के भीतर अनुमत नहीं किया जाएगा ।

(4) किसी भी ऐसे व्यक्ति को खनिज रियायत प्रदान नहीं की जाएगी जिसके पास अनुमोदन का प्रमाण पत्र नहीं है ।

(5) किसी ऐसे व्यक्ति को खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है ।

(6) अधिसूचित क्षेत्र में किसी व्यक्ति को सम्बद्ध ग्राम सभा की पूर्व संस्तुति के बिना कोई भी खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा और स्टोन क्रशर का लगाया जाना (प्रतिष्ठापन) मंजूर नहीं किया जाएगा ।

(7) खनन पट्टे को प्रदान करने और स्टोन क्रशर के लगाए जाने (प्रतिष्ठापन) की अनुज्ञा के लिए अनुसूचित क्षेत्र से अन्यथा क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत से परामर्श किया जाएगा और ग्राम पंचायत का यह दायित्व होगा कि वह तीन मास की अवधि के भीतर अपना अनुमोदन या अस्वीकृति (इंकार) सूचित करे, ऐसा न होने पर यह समझा जाएगा कि ग्राम पंचायत का कोई आक्षेप नहीं है ।

सम्बद्ध ग्राम पंचायत के इनकार करने या उठाए गये किसी आक्षेप की दशा में, ऐसे इनकार/आक्षेप के लिए पर्याप्त कारणों को लिखित में अभिलिखित किया जाएगा । अनुदान प्राधिकारी द्वारा, संयुक्त निरीक्षण समिति से अभिमत/राय लेने के पश्चात् आक्षेप का पुर्नरीक्षण/विनिश्चय किया जाएगाः

परन्तु 5–00 हैक्टेयर से कम क्षेत्र वाली निजि (प्राईवेट) भूमि में ईंट मिट्टी और सामान्य भूमि की मिट्टी के खनन पट्टे को प्रदान करने के लिए, सम्बद्ध ग्राम पंचायत का परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा ।

(8) किसी भी वन क्षेत्र में खनन पट्टा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और तद्धीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार से वन स्वीकृति, अन्नापति (फारेस्ट क्लीअरैंस) के बिना प्रदान नहीं किया जाएगा ।

(9) किसी भी ऐसे गौण खनिज की बाबत जिसे सरकार इस निमित्त समय–समय पर अधिसूचित करे कोई खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा ।

7. **खनन पट्टे को प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन .**– खनन पट्टे को प्रदान करने या उसका नवीकरण करने हेतु आवेदन राज्य भू विज्ञानी को प्ररूप–'ग' में, तीन प्रतियों में, किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी :–

(क) (i) यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसका नाम, राष्ट्रीयता, व्यवसाय और आवासीय पता; और

(ii) यदि आवेदक एक भागीदारी फर्म, कम्पनी या संगम अथवा व्यष्टियों का संगम, चाहे निगमित हो या न हो, है तो उसका नाम, स्वरूप और कारोबार का स्थान और रजिस्ट्रीकरण या निगमन का स्थान;

(ख) गौण खनिज (खनिजों) का नाम /के नाम जिसके लिए आवेदक पट्टा प्राप्त करना चाहता है;

(ग) खनन पट्टे हेतु आवेदित क्षेत्र के नक्शा (ततीमा) के साथ राजस्व अभिलेख, अवधि, जिसके लिए पट्टा अपेक्षित है और प्रयोजन, जिसके लिए उत्खनन किए गये गौण (खनिजों) का उपयोग किया जाना है, भूमि अपेक्षित है, की अवस्थिति, सीमाओं और क्षेत्र को दर्शाता राजस्व नक्शा या योजना (प्लॉन) द्वारा दृष्टान्त सही विवरण जिसकी बाबत पट्टा अपेक्षित है;

(घ) विभाग से आवेदक के विरूद्व बकाया देयों, यदि कोई हों, को दर्शाते हुए कथन की प्रमाणित प्रति;

(ङ) आवेदक द्वारा कब्जारहित निजि (प्राईवेट) भूमि की दशा में, इस प्रमाण का शपथ–पत्र कि आवेदक ने खनन प्रचालन के कार्यान्वयन के लिए सम्बद्ध भू स्वामी (स्वामियों) से सतही अधिकार या सहमति प्राप्त कर ली है;

(च) आयकर समाशोधन की बाबत वचनबंधता;

(छ) खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्ताव की दशा में, प्रस्ताव की साध्यता को उपदर्शित करती तकनीकी रिपोर्ट;

(ज) (i) प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय फीस; और

(ii) प्ररूप–'ख' में अनुमोदन का प्रमाण–पत्र ।

टिप्पणः– खनन पट्टे के लिए आवेदन, इसकी प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा जिसे तथापि निदेशक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आगे और बढ़ाया जा सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक, वांछित औपचारिकताओं को पूर्ण करने में देरी के लिए उत्तरदायी नही है ।

8. **आवेदन की अभिस्वीकृति .–** (1) जहां खनन पट्टा प्रदान करने या उसका नवीकरण करने हेतु आवेदन वैयक्तिक तौर पर परिदत्त किया जाता हे, तो इसकी रसीद तुरन्त अभिस्वीकृत की जाएगी ।

(2) जब ऐसा आवेदन रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्राप्त होता है तो इसकी रसीद प्राप्ति के तीन दिन के भीतर अभिस्वीकृत की जाएगी ।

(3) ऐसे प्रत्येक आवेदन की रसीद प्ररूप–'घ' में अभिस्वीकृत की जाएगी ।

9. **खन्न पट्टा प्रदान करने हेतु प्राथमिकता .–** (1) निम्नलिखित को खन्न पट्टा प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी ।

(क) प्रथम प्राथमिकता बहुउद्देशीय परियोजना और विद्युत विभाग तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बद्ध समस्त अभिकरणों और अन्य विभागों, जैसे कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग आदि और राज्य महत्व की परियोजनाओं और उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं या संविदाकारों, जिन्हें सम्बद्ध विभाग की संस्तुति पर संकर्म आबंटित हुए है, को दी जाएगी;

(ख) दूसरी प्राथमिकता नये खनिज के खोजकर्ता को दी जाएगी; और

(ग) तीसरी प्राथमिकता ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी, जो राज्य में खनिज आधारित उद्योग स्थापित करना चाहता है;

परन्तु जहां एक ही प्रवर्ग के दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक ही भूमि की बाबत खनन पट्टे हेतु आवेदन किया है, वहां उस आवेदक का, जिसका आवेदन पहले प्राप्त हुआ है दूसरे आवेदक, जिसका आवेदन बाद में प्राप्त हुआ, पर, पट्टा प्रदान किए जाने हेतु अधिमानी अधिकार होगाः

परन्तु यह और कि जहां ऐसे आवेदन एक ही दिवस को प्राप्त हुए हों, वहां सरकार निम्नलिखित कारकों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आवेदकों में से किसी एक को खनन पट्टा प्रदान कर सकेगी जिसे यह उचित समझेः–

(क) आवेदक का खनन में अनुभव;

(ख) आवेदक की वित्तीय प्रास्थिति, स्थायित्व और भू विज्ञान और खनन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान;

(ग) संकर्म के लिए पहले से नियोजित या नियोजित किए जाने वाले तकनीकी कर्मचारिवृन्द का भू विज्ञान और खनन में विशेष ज्ञान;

(घ) जहां आवेदक या उसके परिवार का सदस्य पूर्ववर्ती खनन कारोबार में लगा हुआ हो, सरकारी देयों और रॉयलेटी का समाशोधन; और

(ङ) आवेदक का संतोषजनक कार्य निष्पादन जहां वह पूर्ववर्ती खनन उद्योग में लगा हुआ था ।

(2) सरकार किसी ऐसे आवेदन को जिसका आवेदन बाद में प्राप्त हुआ हो अन्य आवेदक, जिसका आवेदन पहले प्राप्त हुआ के अधिमान में विशेष कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, खनन पट्टा प्रदान कर सकेगी ।

(3) राज्य सरकार, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और आवेदक को संसूचित करके, आवेदित क्षेत्र के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग पर किसी खनन पट्टे को प्रदान करने या उसके नवीकरण करने से इनकार कर सकेगी या किसी भाग पर खनन पट्टे को प्रदान करने या उसका नवीकरण करने से इंकार कर सकेगी ।

(4) खनन पट्टा आवेदन (आवेदनों) का एक पूर्विकता रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा ।

(5) आवेदक, किसी भी स्तर पर कारणों को लिखित में अभिलिखित करके पूर्विकता को वापिस ले सकेगा ।

10. **संयुक्त निरीक्षण समिति .–** (1) प्रत्येक उपमण्डल में एक संयुक्त निरीक्षण समिति होगी जो निम्नलिखित से गठित होगीः–

(i)	सम्बद्ध उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक)	अध्यक्ष;
(ii)	सम्बद्ध सहायक अरण्यपाल/वन परिक्षेत्र अधिकारी	सदस्य ;
(iii)	हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य ;

(iv) सम्बद्ध अधिशाषी अभियन्ता या सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग — सदस्य ;

(v) सम्बद्ध अधिशाषी अभियन्ता या सहायक अभियन्ता, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग — सदस्य ;

(vi) भू विज्ञानी या सहायक भू विज्ञानी या सम्बद्ध खनन अधिकारी — सदस्य सचिव ।

(2) संयुक्त निरीक्षण समिति, खनन/खदान स्थल के निरीक्षण का संचालन करेगी तथापि, निरीक्षण के प्रयोजन के लिए, कम से कम चार सदस्यों, अर्थात् अध्यक्ष, वन विभाग का सहायक अरण्यपाल/वन परिक्षेत्राधिकारी, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग का अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता और भू विज्ञानी/सहायक भू–विज्ञानी/खनन अधिकारी, की उपस्थिति अनिवार्य है और अन्य सदस्य अलग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी) जारी कर सकेंगे । अध्यक्ष, स्थल–अपेक्षा के अनुसार उक्त समिति में किन्ही अन्य अतिरिक्त सदस्यों को सहन्योजित कर सकेगा :

परन्तु 5–00 हैक्टेयर से अन्यून क्षेत्र वाली निजि(प्राईवेट) भूमि में ईंट मिट्टी और साधारण मिट्टी/गारे के उत्खनन की दशा में, समिति केवल सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी(नागरिक), हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि और सम्बद्ध खनन अधिकारी से गठित होगी ।

(3) संयुक्त निरीक्षण समिति, खान/खदान स्थल का अंकन करेगी और अपनी संप्रेक्षण और संस्तुति राज्य भू विज्ञानी को भेजेगी । यदि खनन पटटे के लिए आवेदित क्षेत्र सरकारी भूमि में आता है तो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबन्धों को आकृष्ट करता हो तो रिपोर्ट सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी ।

11. **खनन् पट्टे का रजिस्टर .–** खनन पट्टों का रजिस्टर सम्बद्ध खनन अधिकारी के कार्यालय में प्ररूप–'ङ' में रखा जाएगा ।

12. **खन्न पट्टे का क्षेत्र .–** (1)नदी तल में खनन पट्टे हेतु प्रदान किया गया न्यूनतम क्षेत्र दो हैक्टेयर से अन्यून का नहीं होगा और खनिज आधारित उद्योग हेतु एक सौ हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा ।

(2) पहाड़ी ढलान में खनन पट्टे को प्रदान करने हेतु अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र 0.5 हैक्टेयर से अन्यून नहीं होगा :

परन्तु इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व प्रदान किए गये खनन पट्टों की दशा में, उनके नवीकरण के समय पर खनन पट्टा क्षेत्र का निर्बन्धन लागू नहीं होगा:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार का प्रस्तावित उत्पादन स्तर, भू–वैज्ञानिक या स्थलाकृतिक शर्तों के आधार पर, समाधान हो जाता है, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके क्षेत्र की शर्त में छूट दे सकेगी ।

(3) कोई भी पट्टाधारक, वैयक्तिक रूप से या किसी व्यक्ति से संयुक्त हित में, हिमाचल प्रदेश में एक गौण खनिज की बाबत खनन पट्टे के अन्तर्गत, साधारणतः कुल क्षेत्र के पांच वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र धरित नहीं करेगाः

परन्तु खनन पट्टे के नवीकरण के समय, पट्टाधारक क्षेत्र के किसी भाग को अभ्यर्पित करने का हकदार होगा ।

13. **पट्टा क्षेत्र की लम्बाई और चौड़ाई .–** (1) खनन पट्टे हेतु प्रस्तावित क्षेत्र ऐसा होगा कि यह मैटलीफिरस माइन्स रेगुलेशन, 1961 के अनुसार वैज्ञानिक खनन को समर्थ बना सके ।

(2) ईंट मिट्टी और साधारण मिट्टी/गारे के सिवाय खनन पट्टे के लिए कोई आवेदन केवल एक संदत क्षेत्र से सम्बन्धित होगा ।

(3) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि किसी खनिज के विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो यह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, किसी क्षेत्र, जो संदत या संलग्न क्षेत्र नहीं है, के सम्बन्ध में खनन पट्टे को प्रदान करना अनुज्ञात कर सकेगी ।

14. **सतह के नीचे सीमाएं .–** किसी खनन पट्टे से आच्छादित क्षेत्र की सीमाएं सतह से नीचे की ओर से भूमि के मध्य की ओर ऊर्ध्व रूप से बनाई जाएं ।

15. **प्रतिभूति निक्षेप और प्रतिभूति का प्रतिदाय .–** (1) आवेदक, पट्टा विलेख के निबन्धन और शर्तों की देय अनुपालना के लिए निदेशक के पक्ष में सम्यक् रूप से गिरवी रखी गई सावधि जमा प्राप्ति (एफ डी आर) के रूप में प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रकम प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(2) पट्टेदार (पट्टेदारों) को खनन पट्टे के अवसान के पश्चात् बारह कलैण्डर मास के भीतर ऐसी तारीख को, जैसी सरकार नियत करें, खनन पट्टे की बाबत संदत्त प्रतिभूति निक्षेप की रकम को प्रतिदाय कर दिया जाएगा, यदि पट्टा विलेख के निबन्धन और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है ।

16. **खनन पट्टे की अवधि .–** (1) खनन पट्टे की अवधि निम्न प्रकार से होगी,–

(क) गौण खनिजों, जो प्रमुख उपस्करों या विनिधानों के बिना निकाले जा सकते हो, जैसे कि नदी/नाले में उपलब्ध बालू, पत्थर और बजरी की खुली बिक्री के लिए पांच वर्ष;

(ख) गौण खनिजों, जिनमें खनिजों की खदाने विकसित करने हेतु विनिधान और उपस्कर अपेक्षित है; जैसे कि पहाड़ी ढलानों पर उपलब्ध चूना पत्थर, स्लेटों और भवन के पत्थरों, के लिए दस वर्ष; और

(ग) नदी/नाले के तलों या पहाड़ी ढलानों में उपलब्ध स्टोन क्रशिंग यूनिट के लिए नियंत्रित स्रोत के रूप में सहायक गौण खनिजों के लिए पंद्रह वर्षः

परन्तु खनन पट्टा अवधि खनन योजना में संगठित खनिज संचय पर निर्भर करेगीः

परन्तु यह और कि खनन पट्टे को प्रदान करने के पश्चात्, प्रत्येक पांच वर्ष के अवसान के पश्चात् निदेशक उधोग द्वारा इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा गठित समिति के पुर्नरीक्षण और सिफारिशों के आधार पर और यह समाधान हो जाने पर कि पट्टेदार द्वारा पट्टा क्षेत्र को वैज्ञानिक

रीति में विकसित किया गया है तथा वह नियमित आधार पर समस्त सरकारी देयों का संदाय कर रहा है, पट्टा क्षेत्र में कार्य को अनुज्ञात किया जा सकेगा । पट्टेदार प्रत्येक पांच वर्ष के अवसान के छह मास पूर्व पट्टा क्षेत्र में कार्य के पुर्नरीक्षण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा । पुर्नरीक्षण पर यदि यह पाया जाता हे कि पट्टेदार ने खनन योजना के उपबन्धों के अनुसार पट्टा क्षेत्र को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रीति में विकसित नहीं किया है और उस पर सरकारी देयों का बकाया है तो पट्टा सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात्, समय से पूर्व समाप्त किए जाने हेतु दायी होगा ।

(2) खनन पट्टे के नवीकरण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के साथ परामर्श के सिवाय, खनन पट्टे के नये अनुदान के लिए यथा अधिकथित प्रक्रिया के समरूप होगी । तथापि, खनन पट्टे के नवीकरण हेतु आवेदन पट्टे के अवसान से एक वर्ष से पूर्व वांछित दस्तावेजों सहित और प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय फीस से संदाय पर प्ररूप–'ग' में किया जाएगा । यह नवीकरण चतुर्थ अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी के इस समाधान के अध्यधीन होगा कि खानों को पट्टेदार द्वारा पट्टा–विलेख के निबन्धन और शर्तों के अनुसार विकसित किया गया है और उसके द्वारा मशनरी, उपस्करों पर पर्याप्त निक्षेप किया गया है और यह कि खानों को वैज्ञानिक रीति में संचालित और विकसित किया गया है तथा पट्टेदार नियमों के अधीन नियमित रूप से सरकारी देयों को संदत्त कर रहा है ।

(3) यदि खनन पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् समस्त वांछित दस्तावेजों सहित उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर किया गया है और प्राधिकारी द्वारा पट्टा अवधि के अवसान से पूर्व निपटान नहीं किया गया है तो निदेशक उद्योग, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके ऐसे खनन पट्टे के नवीकरण होने तक आदेश द्वारा, खान में कार्य करना अनुज्ञात कर सकेगा ।

(4) जब नवीकरण प्रदान कर दिया जाता है तो अनिवार्य भाटक (किराया) या रॉयलेटी नवीकरण के समय प्रवृत्त दरों पर प्रभारित किया जाएगा परन्तु सतही भाटक (किराया), (यदि लागू हो) पृथकतः प्रभारित किया जाएगा ।

(5) इन नियमों के अधीन प्रदान की गई खनन पट्टे की वास्तविक अवधि से अनधिक एक या अधिक अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा ।

17. **खनन् पट्टे का प्रदान किया जाना और खन्न पट्टा विलेख का निष्पादन .–** (1) संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा किए गये संप्रेषण और संस्तुतियों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक के पक्ष में, खनन पट्टा प्रदान करने हेतु सम्बद्ध विभागों से अपेक्षित पर्यावरणीय और अन्य समाशोधन प्राप्त करने तथा अन्य अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए आशय–पत्र जारी किया जाएगा ।

(2) आवेदक द्वारा आशय–पत्र में यथा नियत शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् खनन पट्टा प्रदान करने हेतु आदेश जारी किया जाएगा ।

(3) जब खन्न पट्टा प्रदान करने के लिए आदेश जारी कर दिया जाता है तो इन नियमों के अधीन पट्टे की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति आदेश जारी करने की तारीख से तीन मास के भीतर पट्टा विलेख प्ररूप–'च' में निष्पादित किया जाएगा और यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर पट्टे का निष्पादन नहीं होता है तो पट्टे की स्वीकृति के आदेश प्रतिसहृत समझे जाएंगे और आवेदन फीस को सरकार द्वारा समपहृत कर दिया जाएगाः

परन्तु जहां सरकार का समाधान हो गया है कि पट्टे के निष्पादन में विलम्ब के लिए पट्टेदार उत्तरदायी नहीं है तो वहां सरकार उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी पट्टे का निष्पादन अनुमत कर सकेगी और पट्टे के चालू रहने की अवधि इसके निष्पादन की तारीख से प्रभावी होगी ।

(4) नवीकरण की दशा में, पट्टे की नवीकरण अवधि, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, वास्तविक अवधि के अवसान के अगले दिन तक होगी ।

18. **खन्न पट्टों की बाबत रॉयलेटी और हित, यदि कोई हो .–** (1) किसी खन्न पट्टे का धारक, पट्टा क्षेत्र से उसके द्वारा निकाले जाने वाले किसी खनिज की बाबत, द्वितीय अनुसूची में उस गौण खनिज की बाबत विनिर्दिष्ट दरों पर अग्रिम में रायल्टी संदत्त करेगा ।

(2) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय अनुसूची को, या तो संपूर्ण राज्य या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र की बाबत,उस दर पर जिससे किसी गौण खनिज के सम्बन्ध में रॉयलेटी संदेय होगी को ऐसी तारीख से जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, बढ़ाने या कम करने के लिए, संशोधित कर सकेगी ।

(3) सरकार, अधिनियम या किन्ही अन्य नियमों में अंतर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी किराए पर चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, रॉयलेटी या फीस (इन नियमों के अधीन संदेय किसी आवेदन फीस के अतिरिक्त) या इन नियमों के अधीन या किसी खनिज के निबन्धन और शर्तों के अधीन सरकार को देय अन्य रकम प्रभारित कर सकेगी ।

19. **खनन पट्टे की शर्तें .–** (1) प्रत्येक खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगाः–

(क) पट्टेदार, पट्टा क्षेत्र से निकाले जाने वाले गौण खनिजों पर द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर अग्रिम में रॉयलेटी संदत्त करेगा । तथापि, पट्टेदार द्वारा उद्योगों को चूना भट्ठा से अन्यथा, जब कभी भी चूना पत्थर की आपूर्ति की जाती है, तो पट्टेदार द्वारा चूने के लिए रॉयलेटी प्रमुख खनिज के रूप में, जो भी अधिक हो, संदत्त की जाएगी । पट्टेदार प्रत्येक वर्ष के लिए तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत ऐसा वार्षिक अनिवार्य भाटक (किराया) भी संदत्त करेगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर नियत किया जाए और यदि पट्टेदार एक ही क्षेत्र में एक से अधिक खनिज का कार्य अनुमत करता है तो

सरकार ऐसे प्रत्येक गौण खनिजों की बाबत पृथक अनिवार्य भाटक (किराया) प्रभारित कर सकेगीः

परन्तु पट्टेदार, प्रत्येक खनिज की बाबत या तो विलेख किराया या स्वामित्व (रॉयलेटी), जो भी अधिकतर हो, संदत्त करने हेतु दायी होगा परन्तु दोनों नहीं, तथापि, यदि सरकार द्वारा अपने स्तर पर खनन प्रचालन स्थगित किया गया है तो वह अनिवार्य भाटक (किराया) या रॉयलेटी संदत्त करने हेतु दायी नहीं होगा ।

(ख) रॉयलेटी स्वामित्व का परिकलन करने हेतु पट्टेदार, पूर्ववर्ती कलैण्डर मास में पट्टा क्षेत्र से निकाले गये और भेजे गये गौण खनिज (खनिजों) की कुल मात्रा और इसका मूल्य दर्शाती (देती) विवरणी और खनिज आधारित उद्योग की दशा में, मासिक विद्युत खपत बिल और अन्य वांछित ब्यौरे भी खनन कार्यालय को प्ररूप–'छ' में प्रत्येक मास की दस तारीख तक प्रस्तुत करेगा । यदि पट्टेदार, मास की दस तारीख तक पूर्ववर्ती मास के लिए देय रॉयलेटी जमा नहीं करवाता है तो मास की दस तारीख के पश्चात् व्यतिक्रम अवधि के लिए 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा;

(ग) पट्टेदार, गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त किए गये गौण खनिज (खनिजों की मात्रा और मूल्य, नियोजित नियमित श्रमिकों (पुरूष और महिलांए पृथक्तः) की औसत संख्या और कार्य दिवसों की संख्या ओर उन्हें पृथकतः संदत्त की गई मजदूरी से सम्बन्धित सूचना देती विवरणी को प्ररूप–'ज' में प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक निदेशक तथा समबद्ध खनन अधिकारी को भी प्रस्तुत करेगा; और

(घ) यदि खनन पट्टे की भूमि सरकार से सम्बन्धित है तो पट्टेदार को रॉयलेटी /अनिवार्य भाटक (किराया) के अतिरिक्त तृतीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट दर पर सतही भाटक (किराया) भी संदत्त करना पड़ेगा ।

(2) पट्टेदार पट्टा क्षेत्र में पट्टे में विनिर्दिष्ट न किए गये किसी खनिज के खोज की रिपोर्ट ऐसी खोज के तीस दिन के भीतर सरकार को करेगाः

परन्तु यदि पट्टे में विनिर्दिष्ट न किए गये किसी खनिज की पट्टा क्षेत्र में खोज की जाती है तो पट्टेदार, सक्षम प्राधिकारी से उसकी अनुज्ञा प्राप्त न किए जाने तक ऐसे खनिज को न तो रखेगा (उपार्जित करेगा) और न ही उसका व्ययन करेगा ।

(3) पट्टेदार, सरकार के पुर्वानुमोदन के सिवाय खनन प्रचालनों के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है, नियोजित नहीं करेगा ।

(4) सिवाय जहां सरकार, पर्याप्त कारणों से, अन्यथा अनुमत करती है, पट्टेदार पट्टा विलेख के निष्पादन के एक वर्ष की अवधि के भीतर खनन प्रचालन प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जानबूझकर किए गये किसी अवरोधक बिना समुचित, दक्षतापूर्ण और कार्यकुशल रीति में ऐसे प्रचालन संचालित करेगा ।

स्पष्टीकरणः— इस नियम के प्रयोजन के लिए खनन प्रचालनों में खान में कार्य करने के सम्बन्ध में मशीनरी स्थापित करना, ट्रॉमवे को विछाना या सड़कों का विनिर्माण करना सम्मिलित होगा ।

(5) पट्टेदार अपने खर्चे पर पट्टे से संलग्न योजना में दर्शाए गये सीमांकन को दर्शाने के लिए आवश्यक सीमा के चिन्ह और खम्बों को स्थापित करेगा और उनका हर वक्त अनुरक्षण करेगा तथा उन्हें अच्छी स्थिति में रखेगा ।

(6) पट्टेदार खान से प्राप्त किये गये समस्त खनिजों की मात्रा और अन्य विशिष्टियों को दर्शातें हुए, उनके परिवहन की पद्वति, यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या, यान या पशु के प्रभारी व्यक्ति, और ले जाए गये खनिज का प्रकार और मात्रा, विक्रय मूल्य, उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता तथा खान की सम्पूर्ण योजनाओं के सही लेखें रखेगा और केन्द्रीय सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी लेखे, योजना और उसके द्वारा अनुरक्षित

अभिलेखों का परीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा और केन्द्रीय सरकार या सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसी सूचना, जैसी अपेक्षित हो, देगा ।

(7) पट्टेदार पट्टे के अधीन उसके द्वारा किये गये खनन प्रचालनों के क्रम में उसके द्वारा बनाई समस्त खाईयों (ट्रैन्चिज), गड्ढों और ड्रिल करने (ड्रिलिंग) के सही अभिलेख रखेगा और केन्द्रीय सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसका निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा । ऐसे अभिलेख में निम्नलिखित विशिष्टियां अर्न्तर्विष्ट होंगी, अर्थातः–

(क) अवमृदा और तहें (स्ट्रेटा) जिनमें से ऐसी खाईयां (ट्रैन्चिज), गडढे या ड्रिलिंग होती है**;**

(ख) मिले कोई खनिज**;** और

(ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां जिनकी केन्द्रीय सरकार या सरकार समय समय पर अपेक्षा करे ।

(8) पट्टेदार किसी रेलवे लाईन से, रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित अनुज्ञा के अनुसार और के अन्तर्गत से अन्यथा 100 मीटर या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के अनुसार और के अन्तर्गत से अन्यथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग के किनारे से 100 मीटर या राज्य उच्च मार्ग के किनारे से 25 मीटर, अन्य सड़कों के किनारे से 10 मीटर या किसी जलाशय, नहर या भवन या आवासीय स्थलों से 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी स्थल पर कोई खनन प्रचालन कार्यान्वित नहीं करेगा या कार्यान्वित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । रेलवे प्रशासन या संयुक्त निरीक्षण समिति ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने में, ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जैसी यह उचित समझे ।

(9) पट्टेदार किसी भूमि के, जो पट्टेदार द्वारा धारित भूमि में समाविष्ट है या साथ लगती है या जिसके लिए उस तक पहुंच है, वर्तमान और भावी पट्टाधारकों या संविदाकारों की उस तक पहुंच के लिए युक्तियुक्त प्रसुविधाएं अनुज्ञात करेगा । पट्टेदार सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को खानों में निरीक्षण के प्रयोजन के लिए पट्टे में समाविष्ट किसी भवन या भूमि में प्रवेश

करने के लिए अनुज्ञात करेगा और ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो निरीक्षण अधिकारियों द्वारा समय–समय पर वैज्ञानिक कार्यान्वयन और खनिजों के परिरक्षण के लिए जारी किए जाएंः

परन्तु यदि पट्टेदार उपनियम(9) के अधीन प्रवेश करने या निरीक्षण करना अनुज्ञात नहीं करता है तो सरकार पट्टे को रद्द कर सकेगी और नियम 15 के अधीन पट्टेदार द्वारा संदत्त प्रतिभूति निक्षेप पूर्णतयः या भागतः समपहृत कर सकेगी ।

(10) पट्टेदार खान के किसी भाग को, जो उसकी राय में किसी रेलवे लाइन, पुल, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, जलाशय, टैंक, नहर, सड़क या किसी अन्य लोक संकर्मों या भवनों की ऐसी मजबूती या सहारे के लिए अपेक्षित है, यथास्थिति, रेलवे प्रशासन या सरकार के समाधानप्रद सुदृढ़ और स्थिर करेगा ।

(11) सरकार का समय–समय पर और पट्टे की अवधि के दौरान और सभी समयों पर उक्त गौण खनिजों और उनके समस्त उत्पादों जो उक्त भूमि पर या में जो एतद्द्वारा पट्टान्तरित है या कही और पट्टेदार के नियन्त्रणाधीन है पर अग्रव्याधिकार (जिसका प्रयोग पट्टेदार को लिखित में नोटिस द्वारा किया जाना है) होगा तथा पट्टेदार उसके समस्त गौण खनिजों या उत्पादों को प्रचलित बाजार दरों पर, ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति में तथा ऐसे स्थानों पर, जैसे उक्त अधिकार को प्रयोग करने के नोटिस में विनिर्दिष्ट है, सरकार को परिदत्त करेगा ।

(12) पट्टेदार विस्फोटक के उपयोग के लिए प्ररूप–'झ' में तत्काल सूचना देगा, जैसे ही

(क) खनन में कार्य उपरिवर्ती तल से नीचे विस्तारित होता है;

(ख) किसी खुले ढलवां उत्खनन की इसके उच्चतम बिन्दू से न्यूनतम बिन्दू तक मापी गई गहराई छः मीटर तक पहुंच गई हो;

(ग) किसी दिवस को नियोजित व्यक्तियों की संख्या 50 (पचास) से अधिक हो गई हो; और

(घ) विसफोटक प्रयोग में लाए गये हों ।

(13) जब खन्न पट्टा सरकार द्वारा प्रदान किया गया है, तो पट्टे के अधीन प्रदान किए गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के लिए, यदि आवश्यक हो, पट्टेदार के खर्चे पर व्यवस्था की जाएगी । पट्टेदार को कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारिवृन्द का वास्तविक व्यय वहन करना होगा । वास्तविक व्यय में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और कर्मचारिवृन्द के वेतन सहित उपकरण प्रभारों के रूप में दस प्रतिशत सम्मिलित होगा ।

(14) खन्न पट्टे में ऐसी अन्य शर्तें अन्तर्विष्ट हो सकेगी जैसी सरकार निम्नलिखित की बाबत आवश्यक समझे, अर्थातः–

(i) समय सीमा भाटक(किराए) और रॉयलेटी के संदाय की पद्धति और स्थान;

(ii) पट्टे के अन्तर्गत भूमि को हुई क्षति के लिए प्रतिकर;

(iii) वृक्षों का गिरान;

(iv) किसी प्राधिकरण द्वारा प्रतिषिद्ध किसी क्षेत्र में सतही प्रचालनों का निर्बन्धन;

(v) सतही अधिभोग के लिए पट्टेदार द्वारा नोटिस;

(vi) पट्टे पर लिए गये क्षेत्र या साथ लगते क्षेत्र में अन्य गौण खनिजों के प्रचालन के लिए पट्टेदार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं;

(vii) आरक्षित और संरक्षित वन में प्रवेश करना और उसमें प्रचालन;

(viii) गड्ढों और शाफटों की सुरक्षा करना;

(ix) दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना;

(x) तृतीय पक्षकारों के दावों के विरूद्व सरकार का परित्राण;

(xi) खनन क्षेत्र में स्वच्छता स्थितियों का अनुरक्षण;

(xii) पट्टे के पर्यवसान के पश्चात् शेष सम्पति का समपहरण;

(xiii) पट्टे के समर्पण, अवसान या पर्यवसान पर भूमि और खानों पर कब्जे का परिदान;

(xiv) युद्ध या आपातकाल की दशा में संयन्त्र, मशीनरी, परिसरों और खानों का कब्जा लेने की शक्ति;

(xv) हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र के भीतर पट्टे पर लिए गये क्षेत्र से खनिज के परिवहन की पद्धति और व्यवस्था; और

(xvi) किसी भी शिलाखण्ड, पन पत्थरों और हाथ से तोड़े जाने वाले कंकरीट का राज्य से बाहर परिवहन नहीं किया जाएगा ।

(15) नदी/नाले के तल में यान्त्रिक खनन केवल सक्षम प्राधिकारी अर्थात् निदेशक की अनुज्ञा से ही बिना पीछे की ओर सुराख किए 80 हॉर्स पावर तक टायर मांउटिड फ्रण्ट एण्ड लोडर की सहायता से, अनुज्ञात किया जाएगा । पट्टा धारक ऐसी अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रकम जमा करेगा और निदेशक निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अन्तर्गत यांत्रिक खनन के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगाः–

(i) सतह से नीचे गड्ढे की गहराई नदी/नाले के तल की दशा में साथ लगती भूमि से एक मीटर से अधिक नहीं होगी;

(ii) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा;

(iii) खनिज का उत्खनन वैज्ञानिक रीति में खनिज के एक समान टुकड़ों (स्ट्रीपिंग) में किया जाएगा;

(iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त;

(v) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा का रद्दकरण उसकी प्रतिभूति की रकम का समपहरण हो जाएगाः

परन्तु पट्टा धारक पहाड़ी ढलान खनन में किसी भी प्रकार के उत्खनन का प्रयोग कर सकेगा ।

(16) (i) सरकारी भूमि की दशा में, सरकार लिखित में दो मास पूर्व नोटिस देकर, पट्टे का पर्यवसान कर सकेगी यदि सरकार समझती है कि पट्टे के अन्तर्गत के गौण खनिज (खनिजों) लोकहितप्रद किसी उधोग को स्थापित करने के लिए अपेक्षित हैः

परन्तु राष्ट्रीय आपातकाल या युद्ध की दशा में पट्टे का ऐसा नोटिस दिए बिना, पर्यवासन किया जा सकेगा ।

(ii) जहां सरकार की यह राय है कि खान और खनिज विकास विनियमन, प्राकृतिक पर्यावरण के परिरक्षण, बाढ़–नियंत्रण, प्रदूषण नियन्त्रण और लोक स्वास्थ्य के खतरे का निवारण या संसूचना या भवन, स्मारकों या अन्य अवसंरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना या ऐसे अन्य प्रयोजनों, जिसे राज्य सरकार उचित समझे, के हित में समाचीन है तो वह आदेश द्वारा किसी गौण खनिज की बाबत ऐसे पट्टे के अन्तर्गत उसके किसी भाग के सम्बन्ध में खनन पट्टे को समयपूर्व समाप्त कर सकेगीः

परन्तु खनन पट्टे को समयपूर्व समाप्त करने का कोई भी आदेश पट्टा धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

(iii) सरकार के पास पट्टेदार को नोटिस जिसमें पट्टेदार को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से, तीस दिन की अवधि के भीतर देयों का संदाय करने को कहा गया हो की तामील करने के पश्चात् पट्टा पर्यवसित करने का अधिकार होगा यदि पट्टेदार द्वारा संदेय किए जाने वाले आरक्षित या अनिवार्य भाटक या रॉयलेटी या सतही भाटक (सर्विसरेन्ट) पट्टा विलेख में उसके संदाय के लिए नियत तारीख के पश्चात् उसके आगामी पन्द्रह दिन के भीतर संदत्त नहीं किया गया है तो सरकार या इस

निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी पूर्वोक्त नोटिस की तामील के पश्चात् किसी भी समय उक्त परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसमें समस्त या किसी गौण खनिज या चल सम्पति या उसके उतने भाग जो देय भाटक या रॉयलेटी और उसके असंदाय के कारण समस्त लागतों और व्ययों के समाधानप्रद पर्याप्त है को करस्थम् कर सकेगा तथा इस करस्थम की गई सम्पति को ले जा सकेगा या निरूद्व कर सकेगा या विक्रय करने के आदेश दे सकेगा । पट्टा क्षेत्र में स्थापित समस्त अचल और चल सम्पति पट्टे के अवसान के पश्चात् सरकार की सम्पति हो जाएगी ।

(17) खनन पट्टे में कोई अन्य विशेष शर्तें हो सकेगी, जैसी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

20. **पट्टेदार के अधिकार.—** नियम 19 में वर्णित शर्तों के अध्यधीन, पटटेदार को, उसे पट्टे पर प्रदान की गई भूमि के सबन्ध में, उस भूमि पर खनन प्रचालन के प्रयोजन के लिए,—

(i) खान का कार्य करने;

(ii) गड्ढे खोदने और शाफ्टस तथा भवनों और सड़क का सनिर्माण करने;

(iii) संयन्त्र और मशीनरी की स्थापना करने;

(iv) चट्टे लगाने के प्रयोजन के लिए भू उपयोग करने;

(v) पट्टे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य कार्य करने; और

(vi) स्टोन क्रशर को प्रदान लिए गये पट्टे से बालू, नदी से निकलने वाली बजरी, क्रशर डस्ट तथा साधारण मिट्टी/गारे का विक्रय करने, का अधिकार होगा ।

21. **खनन पट्टे का अन्तरण .—** (1) पट्टेदार, मंजूरी प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से अपने पट्टे या किसी अधिकार, हक या उसके हित को प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने पर अनुमोदन का

कोई विधिमान्य प्रमाण–पत्र धारण करने वाले किसी व्यक्ति या प्रत्यक्षतः खनन प्रचालन करने वाले निकाय को समनुदेशित, आगे भाड़े पर दे सकेगा या उसका अन्तरण कर सकेगा ।

(2) आवेदक प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रकम के संदाय पर अनुमोदन के किसी विधिमान्य प्रमाण–पत्र को धारण करने वाले किसी व्यक्ति के पक्ष में पहले ही जारी 'आशय पत्र' या आदेश प्रदान के हक या नाम में भी परिवर्तन कर सकेगा ।

(3) जहां उप नियम(1) के अधीन खनन पट्टे के अन्तरण के लिए कोई आवेदन किया गया है और सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे पट्टे के अन्तरण के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है तो प्ररूप–'ञ' में अन्तरण पट्टा विलेख आदेश को जारी करने की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी अन्य अवधि के भीतर, जैसी सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करें, निष्पादित किया जाएगा ।

22. **पट्टे को अभ्यर्पित करने का अधिकार .–** पट्टेदार सरकार को समस्त परादेय देयों को संदत्त करने और खान को बन्द करने की योजना की शर्तों को परिपूर्ण करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को छः कैलेण्डर मास से अन्यून का नोटिस देकर किसी भी समय पट्टे को अभ्यर्पित कर सकेगा ।

संविदाएं प्रदान करना :

23. **नीलामी या निविदा द्वारा संविदाएं प्रदान करना .–** (1) यदि सरकार संविदा के रूप में खनन रियायत प्रदान करने का विनिश्चय करती है तो यह नीलामी या निविदा के माध्यम से प्रतियोगी बोली प्रक्रिया का अनुसरण करके दस वर्ष की अधिकतम् अवधि के लिए उसे खनन के लिए दे सकेगी :

परन्तु वन भूमि की दशा में संविदा की अवधि अधिकतम पन्द्रह वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी ।

(2) कोई भी नीलामी या निविदा या संविदा तब तक सफल नहीं समझी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस पर स्वीकृति प्रदान न की गई हो । सफल बोली/निविदा की रकम दो वर्ष की अवधि के लिए सरकार को संविदाकार द्वारा संदेय वार्षिक संविदा रकम होगी और दो वर्ष की

अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् आरम्भ में प्रदान करने के समय चक्रवृद्धि रीति में अवधारित वार्षिक संविदा की रकम प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की दर से कम्पाउडिंग की जाएगी :

परन्तु अधिसूचित क्षेत्र में गौण खनिजों के विदोहन से सम्बन्धित, यथास्थिति, कोई नीलामी या निविदा या संविदा पर सरकार द्वारा तब तक मंजूरी के लिए विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राम सभा द्वारा संस्तुति न की गई हो ।

(3) उप नियम(2) के अधीन संविदाकार द्वारा सरकार को वार्षिक रूप से संदत्त की जाने वाली रकम अग्रिम में बराबर त्रैमासिक किश्तों में संदेय होगी ।

(4) करार विलेख सफल बोलीदाता या निविदाकार द्वारा प्ररूप–'ट' में निदेशक या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के पास निष्पादित किया जाएगा और खनन प्रचालन करार विलेख के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा ।

(5) संविदा प्रदान करने की दशा में पक्षकार को अपनी बोली या निविदा को प्रत्याहृत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और ऐसा करने पर पक्षकार अग्रिम धन और प्रतिभूति के समपहरण के लिए दायी होगा ।

(6) नदी/नाले के तल में यान्त्रिक खनन केवल निदेशक की अनुज्ञा से ही पीछे की ओर गड्ढा किए बिना 80 हॉर्स पावर तक टायर मांउडिट फ्रन्ट एण्ड लोडर की सहायता से अनुज्ञात किया जाएगा । संविदाकार ऐसी अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रकम जमा करेगा और निदेशक निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर यान्त्रिक खनन के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगाः–

(i) सतह से नीचे गडढे की गहराई नदी/नाले के तल की दशा में साथ लगती भूमि से एक मीटर से अधिक नहीं होगी;

(ii) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा;

(iii) खनिज का उत्खनन वैज्ञानिक रीति में खनिज के एक समान टुकड़ों (स्ट्रीपिंग) में किया जाएगा;

(iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त; और

(v) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंधन के परिणामस्वरूप संविदा का रद्दकरण और उसकी प्रतिभूति की रकम का समपहरण हो जाएगा :

परन्तु संविदाकार पहाड़ी ढलान खनन में किसी भी प्रकार के उत्खनक का प्रयोग कर सकेगा ।

(7) संविदाकार प्ररूप–'छ' में उत्पादन और अन्य विषयों के सम्बन्ध में विवरणियॉ प्रस्तुत करेगा ।

(8) किसी भी व्यक्ति को जिसके पास प्ररूप –'ख' में अनुमोदन का प्रमाण पत्र नहीं है, को कोई संविदा प्रदान नहीं की जाएगी ।

24. **नीलामी/निविदा समिति .–** राज्य सरकार नीलामी संचालित करने के लिए और इसे अंतिम रूप देने के लिए सम्बद्ध जिला हेतु समिति(यां) गठित करेगी जो बोलीदाता या निविदाकार को कारण बताए बिना किसी बोली या निविदा को नांमजूर या मंजूर कर सकेगी और बोली या निविदा के नामंजूर किए जाने की दशा में कारण की सरकार को रिपोर्ट की जाएगी ।

25. **नीलामी या निविदा का नोटिस .–** निदेशक द्वारा नीलामी या संविदा निम्नलिखित रीति में अधिसूचित की जाएगीः–

(i) निदेशक , उपमण्डल अधिकारी(नागरिक), खनन अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर और जहां खान/खदान अवस्थित है, के क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले कम से कम दो समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी में होना चाहिए, में प्रकाशित करके;

(ii) राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में नीलामी या निविदा की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व नीलामी के नोटिस के प्रकाशन द्वारा । नीलामी या निविदा की एक प्रति क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकरण को जहां खान अवस्थित है, व्यापक प्रचार के लिए भेजी जाएगी;

(iii) नीलामी या निविदा के नोटिस में स्थान, तारीख, समय और पद्धति सहित अग्रिम धन तथा नीलामी या संविदा के संदाय की पद्धति के सम्बन्ध में संक्षिप्त विशिष्टि अन्तर्विष्ट होगी । खान/खदान का ब्यौरा, संविदा में देना होगा, संविदा की अवधि और आरक्षित मूल्य, अग्रिम धन, नीलामी या संविदा के निबन्धन और शर्तें, खान की अवस्थिति तथा अन्य सुसंगत सूचना की बाबत विस्तृत विशिष्टियां राज्य भू–विज्ञानी और सम्बद्ध खान अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध होगी; और

(iv) संविदा के निबंधन और शर्तें तथा विशिष्टियां नीलामी के समय आशयित बोलीदाताओं को पढ़कर सुनाई जाएंगी । निविदा की दशा में, संविदा के निबन्धन, शर्तें और विशिष्टियां निविदा के प्ररूप के साथ संलग्न की जाएंगी ।

26. **नीलामी द्वारा संविदा प्रदान करने के लिए प्रकिया** .– (1) आशयित बोलीदाता ऐसा अग्रिम धन, जैसा नियम 25 के खण्ड (iii) में यथा विनिर्दिष्ट है, जमा करेगा ।

(2) कोई भी बोली तब तक मंजूर नहीं समझी जाएगी जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि न कर दी गई हो । नीलामी के पूर्ण होने पर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और अन्तिम तथा चयनित बोलीदाता उच्चतम बोली की रकम का पच्चीस प्रतिशत संविदा के निबन्धनों और शर्तो की सम्यक् अनुपालना के लिए प्रतिभूति के रूप में तुरन्त जमा करेगा ।

(3) अग्रिम धन का बोली पूर्ण होने पर समस्त व्यक्तियों को तुरन्त प्रतिदाय किया जाएगा सिवाय उस व्यक्ति के, जिसकी बोली अन्तिमतया मंजूर की गई और उसका अग्रिम धन उप नियम(2) के अधीन प्रतिभूति के विरूद्व समायोजित किया जाएगा ।

(4) किसी बोलीदाता द्वारा नीलामी के दौरान कदाचार से उसके अग्रिम धन को समपहृत किया जा सकेगा या उसे नीलामी प्रक्रिया से विवर्जित किया जा सकेगा या यदि आवश्यक हो तो उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन किसी भावी नीलामी से तीन वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा ।

(5) यदि अन्तिमतया चयनित बोलीदाता उप नियम(2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रतिभूति की रकम जमा करने में असफल रहता है तो इस नियम के उप नियम(1) के अधीन जमा किया गया अग्रिम धन सरकार को समपहृत हो जाएगा ।

(6) सफल बोलीदाता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस शर्त के साथ 'आशय पत्र' जारी किया जाएगा कि वह सक्षम प्राधिकरण से पर्यावरण स्वीकृति अनुमोदित खनन योजना और स्वीकृति (यदि अपेक्षित हो) प्राप्त करेगा और आशय पत्र जारी करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर अंतिम रूप से मंजूर की गई बोली से पूर्व विधि के अधीन आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी करेगाः

परन्तु यदि निदेशक का समाधान हो जाता है कि कि आशय पत्र का धारक विभिन्न स्वीकृतियों को प्राप्त करने में हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं है तो वह अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ा सकेगा । यदि आशय पत्र का धारक विस्तारित अवधि में भी अपेक्षित स्वीकृतियों को प्राप्त करने में असफल रहता है तो आशय पत्र प्रत्याहृत कर दिया जाएगा और इस नियम के उप नियम(2) के अधीन जमा प्रतिभूति की रकम सरकार को समपहृत हो जाएगी तथा क्षेत्र की पुनः नीलामी की जाएगी ।

(7) सफल संविदाकार/प्रस्तावक द्वारा 'आशय पत्र' में नियत शर्तों को पूर्ण किए जाने के पश्चात् और नियम 23 के उपनियम (2) के अधीन यथा अवधारित संविदा रकम के अनुसार वार्षिक बोली के पच्चीस प्रतिशत के संदाय के लिए अंतिम मंजूरी आदेश जारी करेगा ।

(8) प्ररूप –'ट' में करार विलेख सफल संविदाकार और सक्षम प्राधिकारी के मध्य सफल संविदाकार को, बोली की अंतिम मंजूरी को संसूचित करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निष्पादित किया जाएगा और इस अवधि के दौरान कोई ऐसी संविदा निष्पादित नहीं की जाती है तो बोली मंजूर करने का आदेश प्रतिसंहृत समझा जाएगा और उप नियम(2) के अधीन संदत्त प्रतिभूति रकम सरकार को समपहृत हो जाएगीः

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि बोलीदाता संविदा के निष्पादन के विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं है तो वह साठ दिन की पूर्वोक्त अवधि के अवसान के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर संविदा के निष्पादन की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(9) संविदा की अवधि के अवसान के पश्चात् यदि सरकार या प्राधिकृत अधिकारी का समाधान हो जाता है कि संविदाकार करार के समस्त निबन्धनों को पूरा करता है तो प्रतिभूति की रकम का संविदाकार को प्रतिदाय कर दिया जाएगा ।

27. **निविदा आमन्त्रित करने के लिए प्रकिया .–** (1) प्रत्येक निविदा, निविदाकार के सुसंगत ब्यौरों सहित लिखित बन्द लिफाफे में, निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) प्रत्येक निविदा नियम 25 के खण्ड (iii) के अधीन जारी नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट अग्रिम धन सहित की जाएगी ।

(3) निविदा, निविदाकारों, जो निविदा खोलने के लिए अधिसूचित समय और स्थान पर उपस्थित हो सके, की उपस्थिति में खोली जाएगी । निविदाओं को खोलने के पश्चात् परिणाम घोषित किया

जाएगा और अन्तिम तथा चयनित निविदाकार संविदा के निबन्धनों और शर्तों की सम्यक् अनुपालना के लिए प्रतिभूति के रूप में संविदा बोली की कुल रकम की पच्चीस प्रतिशत रकम तुरन्त जमा करेगा ।

(4) अग्रिम धन का निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर समस्त व्यक्तियों को प्रतिदाय कर दिया जाएगा सिवाय उस व्यक्ति के जिसकी निविदा अनन्तिमतया मंजूर की गई है और उसका अग्रिम धन उप नियम(2) के अधीन प्रतिभूति के विरूद्व समायोजित किया जाएगा ।

(5) निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी निविदाकार द्वारा गिए गये कदाचार को गम्भीरता से लिया जाएगा और उसके अग्रिम धन को समपहृत किया जा सकेगा या उसे निविदा प्रक्रिया से विवर्जित किया जा सकेगा और यदि आवश्यक हो तो उसे इन नियमों के अधीन किसी भावी संविदा से तीन वर्ष की और अवधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा ।

(6) यदि अनन्तिमतया चयनित निविदाकार इस नियम के उप नियम(3) के अधीन यथा अपेक्षित प्रतिभूति रकम जमा करने में असफल रहता है तो इस नियम के उप नियम(2) के अधीन जमा किया गया अग्रिम धन सरकार को समपहृत हो जाएगा ।

(7) सफल निविदाकार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस शर्त के साथ 'आशय पत्र' जारी किया जाएगा कि वह सक्षम प्राधिकरण से पर्यावरण स्वीकृति अनुमोदित खनन योजना और वन स्वीकृति (यदि अपेक्षित हो) प्राप्त करेगा और आशय पत्र जारी करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर अंतिम रूप से मंजूर की गई निविदा से पूर्व विधि के अधीन अपेक्षित आवश्यक औपचारिकतांए भी पूरी करेगाः

परन्तु यदि निदेशक का समाधान हो जाता है कि आशय पत्र का धारक विभिन्न स्वीकृतियों को प्राप्त करने में हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं है तो वह अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ा सकेगा । यदि आशय पत्र का धारक विस्तारित अवधि के भीतर अपेक्षित

स्वीकृतियों को प्राप्त करने में असफल रहता है तो आशय पत्र प्रत्याहृत कर दिया जाएगा और इस नियम के उप नियम(3) के अधीन जमा प्रतिभूति की रकम सरकार को समपहृत हो जाएगी तथा क्षेत्र की पुनः नीलामी की जाएगी या पुनः निविदा की जाएगी ।

(8) सफल संविदाकार/प्रस्तावक द्वारा ' आशय पत्र' में नियत शर्तों को पूर्ण कर दिए जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा करार विलेख के निष्पादन और नियम 23 के उप नियम (2) के अधीन यथा अवधारित संविदा रकम के अनुसार वार्षिक बोली के पच्चीस प्रतिशत के संदाय के लिए अंतिम मंजूरी आदेश जारी करेगा ।

(9) प्ररूप –'ट' में करार विलेख सफल संविदाकार और सक्षम प्राधिकारी के मध्य, सफल निविदाकार को बोली की अंतिम मंजूरी को संसूचित करने की तारीख से साठ दिन के भीतर, निष्पादित किया जाएगा और यदि पूर्वोक्त अवधि के दौरान कोई संविदा निष्पादित नहीं की जाती है तो निविदा के मंजूर करने का आदेश प्रतिसंहृत समझाा जाएगा और उप नियम(3) के अधीन संदत्त प्रतिभूति की रकम सरकार को समपहृत हो जाएगीः

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि निविदाकार संविदा के निष्पादन में विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वह साठ दिन की पूर्वोक्त अवधि के अवसान के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर संविदा के निष्पादन की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(10) संविदा की अवधि के अवसान के पश्चात् यदि सरकार या प्राधिकृत अधिकारी का समाधान हो जाता है कि संविदाकार करार के समस्त निबन्धनों और शर्तों को पूरा करता है तो प्रतिभूति की रकम का संविदाकार को प्रतिदाय कर दिया जाएगा ।

28. अल्पकालिक नीलामी के लिए प्रकिया .– (1) अभिगृहीत/अनाधिकृत रूप से निकाले गये गौण खनिज के शीघ्र निपटान के लिए, नोटिस, जिसमें अभिगृहीत खनिज की लगभग मात्रा, नीलामी की तारीख और स्थान और अग्रिम धन की रकम का वर्णन हो जो सम्बन्धित खनन अधिकारी द्वारा प्रश्नगत अभिगृहीत

खनिज के परिक्षेत्र में व्यापक प्रचार के लिए सम्बन्धित खनन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा और जिसे उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), खण्ड विकास अधिकारी और स्वशासन के स्थानीय निकाय के सम्बन्धित कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, के माध्यम से अल्पकालिक नीलामी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

(2) नोटिस अल्पकालिक नीलामी की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रदर्शित किया जाएगा । नोटिस की एक प्रति क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरण को भेजी जाएगी ।

(3) प्रत्येक बोलीदाता अग्रिम धन, सम्बन्धित खनन अधिकारी के पक्ष में क्रॉस किए गये नकद ड्राफट के माध्यम से जमा करेगा । आरक्षित मूल्य नीलामी समिति द्वारा प्रचलित दरों के अनुसार मामला–दर–मामला (केस–टू–केस) के आधार पर नियत किया जाएगा ।

(4) नीलामी संचालित करने के लिए नीलामी समिति, सम्बन्धित खनन अधिकारी, तहसीलदार और सहायक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, से गठित होगी । उच्चतम बोलीदाता, जिसे अनन्तिमतया चयनित किया गया है, बोली की रकम का पच्चीस प्रतिशत नीलामी के पूर्ण होने के तुरन्त पश्चात् जमा करेगा और शेष रकम नीलामी की तारीख से तीन दिन के भीतर जमा करेगा । यदि उच्चतम बोलीदाता नियत अवधि की भीतर अतिशेष रकम जमा करने में असफल रहता है तो जमा की गई रकम प्रतिसंहृत हो जाएगी और उस दशा में पुनः नीलामी की प्रक्रिया तुरन्त प्रारम्भ की जाएगी ।

(5) सफल बोलीदाता से पूरी रकम प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित खनन अधिकारी या उसका प्रतिनिधि नीलाम किए गए गौण खनिज का कब्जा उसे सौंपेगा ।

(6) खनिज को उठान/निपटारे की अवधि सदैव नीलामी समिति द्वारा नियत की जाएगी ।

29. **गौण खनिजों को निकालने के लिए आवेदन .–** (1) किसी प्राईवेट (निजि) भूमि में गौण खनिजों को निकालने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने हेतु आवेदन निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी

अन्य अधिकारी को किया जाएगा । इसमें अपेक्षित दस्तावेजों सहित निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगीः–

(i) आवेदक का नाम, पता और व्यवसाय ;

(ii) गौण खनिज (खनिजों) की मात्रा जिसके लिए अनुज्ञा पत्र अपेक्षित है;

(iii) निकाले जाने वाले और निकाले गए गौण खनिज(खनिजों) का/के नाम;

(iv) विवरण, अर्थात् गांव(गावों) का/के नाम, क्षेत्र और भूमि, जहां से गौण खनिज निकाला जाना है या निकाला गया है, का खसरा नम्बर;

(v) प्रयोजन, जिसके लिए गौण खनिज का प्रयोग किया जाना है; और

(vi) नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या ।

(2) यदि आवेदक भूमि का स्वामी नहीं है तो आवेदन के साथ ऐसी भूमि के अधिभोगी से इस प्रभाव का पत्र संलग्न किया जाएगा कि उसे आवेदक द्वारा गौण खनिज के निकालने से कोई आपत्ति नहीं है ।

(3) प्रत्येक गौण खनिज की बाबत प्रत्येक आवेदन प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस सहित किया जाएगा ।

30. **गौण खनिजों को निकालने के लिए अनुज्ञा पत्र प्रदान करना** .– (1) निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, खनन क्षेत्र के अनुमोदन, संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा गौण खनिज के लिए उसके निर्धारण, आवश्यक स्वीकृतियों, रॉयलेटी और अग्रिम में पूर्ण रायलेटी संदाय करने के पश्चात्, आवेदक को किसी गौण खनिज के लिए प्ररूप –'ठ' में अनुज्ञा–पत्र प्रदान कर सकेगा । ऐसे अनुज्ञा पत्र प्रारम्भ में छः मास की अवधि के लिए प्रदान किए जाएंगे और तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा,उसका यह समाधान हो जाने पर कि वह/वे उन अनुज्ञा–पत्र/पत्रों के निबन्धनों और शर्तों का पालन कर रहा है /रहें है, और आगे नवीकृत किया जाएगा । अनुज्ञा पत्र की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगीः

परन्तु निदेशक कारणों को लिखित में अभिलिखित करके ऐसे अनुज्ञा पत्र प्रदान करने से इनकार कर सकेगा :

परन्तु यह और कि निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किसी व्यक्ति को केवल सम्बन्धित ग्राम सभा की सम्यक् संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् ही अनुज्ञा पत्र प्रदान करेगा । अधिसूचित क्षेत्रों से अन्यथा क्षेत्रों में अनुज्ञा–पत्र प्रदान करने के लिए सम्बद्ध ग्राम पंचायत से परामर्श किया जाएगा और ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक होगा कि वह तीन मास की अवधि के भीतर अपना अनुमोदन या अस्वीकृति सूचित करे ऐसा न होने पर यह समझा जाएगा कि ग्राम पंचायत को कोई आक्षेप नहीं है । यथास्थिति, सम्बद्ध ग्राम सभा या ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए इनकार या किए गए किसी आक्षेप की दशा में ऐसे इनकार/आक्षेप के लिए पर्याप्त कारण लिखित में अभिलिखित किए जाएंगे । संयुक्त निरीक्षण समिति के निरीक्षण करने/आक्षेप प्राप्त करने के पश्चात् मंजूरी प्राधिकारी द्वारा आक्षेप का पुनर्विलोकन/विनिश्चय किया जाएगा ।

(2) ऐसे व्यक्ति को कोई भी खनन अनुज्ञा पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है ।

31. **शर्तें जिन पर गौण खनिज निकालने के लिए अनुज्ञा–पत्र प्रदान किया जाएगा .–** (1) नदी तल में खनन की गहराई एक मीटर या जलस्तर जो भी कम हो, से अनधिक नहीं होगीः

परन्तु जहां संयुक्त निरीक्षण समिति अपेक्षित चैनलाइजेशन के लिए कतिपय स्थानों में खनिजों के अत्यधिक जमाव या अत्यधिक अम्बार के बारे में प्रमाणित करती है तो यह नदी के निश्चित स्थलों पर दो मीटर तक हो सकती है ।

(2) इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए गौण खनिज अनुज्ञा पत्र में ऐसी अन्य शर्तें, जैसी अधिकारी अनुज्ञा पत्र को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित की बाबत आवश्यक समझे, हो सकेगीः–

(i) दरों और रॉयलेटियों के संदाय की सीमा पद्धति और स्थान;

(ii) अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत भूमि की क्षति के लिए प्रतिकर;

(iii) वृक्षों का गिरान;

(iv) किसी प्राधिकरण द्वारा प्रतिषिद्व किसी क्षेत्र में सतही प्रचालन के लिए निर्बन्धन;

(v) किसी आरक्षित या संरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश करना और कार्य करना;

(vi) समस्त दुर्घटनाओं की रिर्पोट करना (रिर्पोटिंग);

(vii) तृतीय पक्षकार के दावों के विरूद्व सरकार का परित्राण;

(viii) अवधि जिसके भीतर गौण खनिज को निकाला और हटाया जाएगा तथा ऐसी अवधि के अवसान पर या खनिज की मात्रा को हटाने पर जिसके लिए अनुज्ञा पत्र विधिमान्य है, भूमि पर कब्जे का परिदान;

(ix) अनुज्ञा पत्र की शर्तो को सम्यक् रूप से पूरा करने के लिए शीर्ष– 'रैवन्यू डिपोजिट–सेक्योरिटी डिपोजिट' के अन्तर्गत प्रतिभूति जमा करना;

(x) प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र के जारी करने के पश्चात् यह समाधान होने पर कि अनुज्ञा पत्र धारक ने अनुज्ञा पत्र की समस्त शर्तो को संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया है, प्रतिभूति का निर्मोचन;

(xi) जहां पर खदानें सड़क – किनारे अवस्थित है, वहां पर सड़क का समुचित अनुरक्षण और उसमें बाधा रहित निकासी;

(xii) पानी की पाईप, बिजली के खम्बे और उनके ऊपर तारें तथा अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र और इसके आस–पास अन्य सार्वजनिक सम्पति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व;

(xiii) नदी/नालें के तल में यान्त्रिक खनन केवल निदेशक की अनुज्ञा से ही बैकहो के बिना 80 हॉर्स पावर तक टायर माउंटिड फ्रण्ट एण्ड लोडर की सहायता से अनुज्ञात किया जाएगा । अनुज्ञा पत्र धारक ऐसी अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिभूति रकम जमा करेगा । निदेशक निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तो पर यान्त्रिक खनन के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगा :–

(क) सतह से नीचे गड्ढे की गहराई नदी/नाले के तल की दशा में साथ लगती भूमि से एक मीटर से अधिक नहीं होगी;

(ख) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा;

(ग) खनिज का उत्खनन वैज्ञानिक रीति में खनिज के एक समान टुकड़ों (स्ट्रीपिंग) में किया जाएगा;

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त; और

(ङ) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तो के उल्लंधन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा पत्र का रद्दकरण और उसकी प्रतिभूति की रकम का समपहृरण हो जाएगा :

परन्तु अनुज्ञा पत्र धारक पहाड़ी ढलान खनन में किसी प्रकार के उत्खनन का प्रयोग कर सकेगा ।

32. **अनुज्ञा–पत्र को रद्द करने के पश्चात् शेष बचे गौण खनिजों का समपहरण .–** किसी भी शर्त के किसी भंग की दशा में, जिसके अध्यधीन अनुज्ञा पत्र प्रदान किया गया है, निदेशक या अनुज्ञा पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी इसे रद्द कर सकेगा । अनुज्ञा–पत्र के रद्दकरण पर उस भूमि पर पड़ी हुई, निकाली गई/ हटाई गई सामग्री, जिससे वह निकाली गई है सरकार की निरपेक्ष सम्पति हो जाएगी ।

33. **गैर खनन कार्यकलापों के कारण उत्पादित गौण खनिजों के निपटारे के लिए अनुज्ञा .–** (1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उत्पादित गौण खनिजों को विनिर्दिष्ट प्रयोजन तथा अवधि के लिए उठाने /उनका परिवहन करने के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा । अनुज्ञा, तहसीलदार, सहायक अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग) और खनन अधिकारी, जो इनके भण्डार की उपलब्धता का निर्धारण भी कर सकेगा, से गठित समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात् प्रदान की जाएगी ।

स्पष्टीकरण:–

(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए विकासात्मक कार्यकलापों से जल विघुत परियोजनाओं के लिए सुरंगों का उत्खनन, सड़कों/रेलपथों और विभन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों/राज्य उच्च मार्गों की संयोजकता के लिए सुरंगों का सन्निर्माण, जलाशय से गाद निकालना, प्लॉटों का विकास, मतस्य पालन तालाबों का उत्खन्न और किसी अन्य प्रकार के विकासात्मक कार्यकलाप अभिप्रेत हैं ।

(2) पूर्वोक्त अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों को परिपूर्ण करने के अध्यधीन होगी:–

(i) विक्रय योग्य खनिज पर रॉयलेटी द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अग्रिम में प्रभारित की जाएगी;

(ii)वन भूमि पर अनुज्ञा वन विभाग से विनिर्दिष्ट निकासी(अनापति) प्राप्त करने के पश्चात प्रदान की जाएगी;

(iii)अनुज्ञा केवल ऐसे स्टॉक को उठाने/अभिवहन के लिए प्रदान की जाएगी जिसका निर्धारण समिति द्वारा किया जा चुका है; और

(iv) ऐसी कोई अन्य शर्त जो स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त अधिरोपित की जाए ।

34. **खनिज रियायत प्रदान करने के लिए साधारण शर्तें .–** खनिज रियायत प्रदान करने के लिए निम्नलिखित साधारण शर्तें होगीं:–

(i) सरकार समय–समय पर इन नियमों के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में खनिज रियायत अर्थात पट्टा, संविदा, अनुज्ञप्ति आदि प्रदान करने की रीति और प्रकार का विनिश्चय कर सकेगी;

(ii) जलापूर्ति/सिंचाई स्कीम के नाले के ऊपर की ओर और नीचे की ओर दो सौ मीटर और पुल के नाले के ऊपर की ओर दो सौ मीटर और नीचे की ओर पांच सौ मीटर या ऐसी दूरी, जैसी संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा निनिर्दिष्ट की जाए, जो भी अधिकतर हो, पर कोई खनन कार्यान्वित नहीं किया जायेगा या कार्यान्वित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(iii) खनिज रियायत धारक द्वारा किसी पहाड़ी ढलान खन्न की दशा में सुरक्षित क्षेत्र के रूप में साथ लगती भूमि की बाहरी परिधि से पांच मीटर के भीतर किसी स्थान तक कोई भी खदान या खनन कार्य कार्यान्वित नहीं किया जाएगा या कार्यान्वित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(iv) नदी–तल में खनन की गहराई एक मीटर या जल स्तर,जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी :

परन्तु जहां संयुक्त निरीक्षण समिति अपेक्षित सरणिकरण वाले कतिपय स्थानों में खनिजों के अत्याधिक जमाव या अधिक ढेर के सम्बन्ध में प्रमाणित करती है तो यह नदी के निश्चित स्थानों पर दो मीटर तक हो सकेगा ।

(v) खनिज स्थल को पट्टाधारक को स्थायी सीमा खम्बों द्वारा सम्यक् रूप से सीमांकित करके और सम्बन्द्ध खनन अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् ही सौंपा जाएगा;

(vi) मुख्य सड़क के साथ सम्पर्क मार्ग के संगम स्थल पर रियायत धारक द्वारा अपनी लागत पर और अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के परामर्श से, यातायात के सुरक्षित संचलन के लिए अपेक्षित समुचित चौड़ाई और भूमितीय विकास करना होगा;

(vii) कोई भी रियायत धारक सक्षम प्राधिकरण की विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना लोक निमार्ण विभाग सड़क की अर्जित चौढ़ाई में किसी सामग्री का भण्डारण / ढेर नहीं लगाएगा ;

(viii) अपशिष्ट का क्षेपण खनन योजनाओं में प्रस्तावों के अनुसार निश्चित स्थानों पर ही किया जाएगा ;

(ix) वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा लिए बिना वन भूमि सहित किसी अन्य भूमि में, जिसमें वृक्ष हों, कोई खनन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(x) ऐसे क्षेत्रों में कोई खनन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिससे किसी प्रसिद्व पर्यटक स्थल के समीप का सौंदर्य/दृश्य विकृत होता हो;

(xi) जहां किसी सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक पुरातत्तीय, प्राकृतिक महत्व के स्थल को कोई खतरा कारित होने की संभावना है वहां कोई खनन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(xii) वास–स्थान के नजदीक, जहां विस्फोटन या मशीनरी के प्रचालन के कारण अनुज्ञेय सीमा से अधिक ध्वनि होने और कम्पन की समस्या कारित होने की संभावना है, कोई खनन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(xiii) जहां पर खान अपशिष्ट के निपटान की उचित व्यवस्था नहीं है, कोई खनन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(xiv) ऐसी शर्ते अधिरोपित की जाएगी कि जिससे रियायत धारक भूमि कटाव, मलवे के क्षरण आदि को नियन्त्रित करने और रोकने के लिए विभिन्न अभियान्त्रिक संरचनाएं बनाकर पर्याप्त पग उठाएगा;

(xv) पहाड़ी ढलान की दशा में ऐसा काई खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा जहां अधिभार अयस्क का अनुपात मितव्ययी अर्थात 1:0:2 नहीं है अर्थात अपशिष्ट उत्पादन 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(xvi) एकत्रित वस्तु की इसके गुणात्मक और मात्रात्मक निर्धारण के लिए भौगोलिक और स्थलाकृतिक रूप में समुचित मूल्यांकन किया जाएगा;

(xvii) पहाड़ी ढलान खनन की दशा में क्षेत्र, उच्चतर युक्तक, विच्छेदित या अस्थिर सतह से अर्न्तग्रस्त नहीं होगा और ढलान कोण से अवलम्ब कोण का सम्बन्ध मेटलिफेरिस माईन्ज रेग्यूलेशन, 1961 के अनुसार खनन मानकों के भीतर ही होगा ।

(xviii) ऐसे स्थान पर कोई खनन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां पर ढलान के खड़े कोण के कारण चट्टानों का धसान होने की सम्भावना है ;

(xix) खनन के दौरान कोई प्रलम्ब बनाए जाने अनुज्ञात नहीं किए जाएगें;

(xx) सम्पर्क सड़कों की ढलान, पहाड़ी की तरफ वाली हलकी ढलान, किनारों की नालियों और पैरापिट की दीवारों वाली होनी चाहिए । प्रतीक्षा और आर–पार करने वाले स्थलों की पर्याप्त संख्या यानों के सुरक्षित चालन के लिए व्यवस्था करनी होगी; और

(xxi) कोई विस्फोटन, विस्फोटन अधिनियम, 1884 के अधीन समुचित अनुज्ञा–पत्र लिए बिना नहीं किया जाएगाः

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, उपरोक्त शर्तों में से किसी को जहां कहीं खनिज के संरक्षण और परिवृद्वि के हित में अपेक्षित हो, शिथिल कर सकेगा ।

अध्याय–3

खनिज का विकास और संरक्षण

35. खनन योजना .– (1) कोई भी खनन पट्टा या संविदा तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से खनन योजना अनुमोदित नहीं करवाई गई हो । उक्त खनन योजना प्रारूप–ड में तैयार की जाएगी ।

(2) खनन पट्टे के प्रचालन के दौरान अनुमोदित खनन योजना के उपान्तरण के लिए सक्षम प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन भी अपेक्षित है ।

36. **खनन योजना के अनुमोदन के लिए प्राधिकृत अधिकारी .–** खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22(4–ए) के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय के प्रयोजन के लिए 'उक्त अधिकारी' कहा गया है आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत खनिज रियायत क्षेत्र की योजना को अनुमोदित करेगा ।

37. **खनन योजना का मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाना .–** (1) नियम 35 के उप नियम (1) और (2) के अधीन यथा अपेक्षित कोई भी खनन योजना तब तक अनुमोदित नहीं की जाएगी जब तक कि यह मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति द्वारा तैयार न की गई हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति खन्न योजना तैयार करने के लिए मान्यता प्राप्त नहीं होगा जब तक कि वह निम्नलिखित योग्यता नहीं रखता होः–

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान सहित केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खन्न इंजीनियरिंग में उपाधि या भारत से बाहर किसी विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदान की गई कोई समतुल्य अर्हता और उपाधि प्राप्त करने के पश्चात खन्न के क्षेत्र में पर्यवेक्षणीय क्षमता में कार्य करने का पांच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव ।

(3) खनन योजना को तैयार करने के लिए मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति विद्यमान खनन योजना में उपान्तरण भी कार्यान्वित कर सकेगा ।

38. **खनन योजना तैयार करने के लिए मान्यता प्रदान करना .–** (1) नियम 37 के उप नियम(2) के अधीन यथा अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस सहित राज्य भू–विज्ञानी को मान्यता के लिए राज्य भू–विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश के पक्ष में सम्यक् रूप से गिरवी सावधि जमा प्राप्ति (एफ, डी, आर,) के रूपये में 25000/– रूपए की प्रतिभूति रकम सहित आवेदन कर सकेगा ।

मान्यता आरंभिक पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी और मान्यता प्रदान करने के लिए यथा लागू नवीकरण फीस के संदाय पर एक बार में पांच वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी :

परन्तु राज्य भू–विज्ञानी सम्बद्व व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात कारणों को लिखित में अभिलिखित करके मान्यता प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए इनकार कर सकेगा ।

(2) राज्य भू–विज्ञानी मान्यता को समयपूर्व भी समाप्त कर सकेगा यदि खनन योजना विहित आरूप और क्षेत्रीय अवस्थिति के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्वान्तों, यदि कोई हैं, के अनुसार तैयार नहीं की गई है और प्रतिभूति निक्षेप भी समपहृत हो जाएगा ।

39, **खनन योजना को प्रस्तुत करना और उसका अनुमोदन .**– (1) निश्चित क्षेत्र के लिए खनन पट्टा या संविदा या अनुज्ञा –पत्र प्रदान करने के लिए ऐसे विनिश्चय का आशय पत्र आवेदक को संसूचित किया जाएगा और मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति (आर,क्यू,पी,) के माध्यम से आवेदक को प्रदान किए गए निश्चित क्षेत्र की ऐसी संसूचना की प्राप्ति पर राज्य भू–विज्ञानी को आशय पत्र जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि या ऐसी अन्य अवधि के भीतर, जैसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाए, एक खनन योजना प्रस्तुत करेगा ।

(2) उक्त अधिकारी उप–नियम (1) के अधीन खनन योजना के लिए अपना अनुमोदन या इन्कार इसकी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर सूचित करेगा और खनन योजना में किए जाने वाले अपेक्षित परिवर्तन कार्यान्वित कर सकेगा और आवेदक ऐसे परिवर्तन कार्यान्वित करेगा और उसे पुनः प्रस्तुत करेगा ।

(3) इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से अनुमोदित प्रत्येक खनन योजना प्रारम्भ में अधिकतम पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगी और खनिज रियायत की शेष अवधि के लिए नवीकृत की जाएगी । नई

खनन योजना, खनन योजना अवधि के अवसान से केवल कम से कम 120 (एक सौ बीस) दिन पूर्व नवीकरण के लिए उक्त अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) खनन योजना के नवीकरण की दशा में यदि रियायत धारक को 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर सूचित नहीं किया जाता है तो खनन योजना अनन्तिम रूप से अनुमोदित की गई समझी जाएगी और ऐसा अनुमोदन, जब कभी संसूचित किया जाए, अंतिम विनिश्चय के अध्यधीन होगा ।

40, **अनुमोदित खनन योजना का उपान्तरण .**– (1) उक्त अधिकारी खनन योजना में रियायत धारक से ऐसे उपान्तरण करने की अपेक्षा कर सकेगा जैसे खनन योजना के प्रचालन के दौरान नियम 35 के उप–नियम (1) में यथा निर्दिष्ट है या लिखित में आदेश द्वारा ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे । यदि ऐसे उपान्तरण या शर्तों का अधिरोपित किया जाना भू–विज्ञानिकीय और स्थलाकृतिक परिस्थितियों में परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण तथा सुरक्षित और वैज्ञानिक खनन खनिज संरक्षण के दृष्टिगत आवश्यक समझा जाए ।

(2) अनुमोदित खनन योजना में उपान्तरण (उपान्तरणों) जो सुरक्षित और वैज्ञानिक खनन, खनन के परिरक्षण के हित में या प्र्यावरण के संरक्षण के लिए, समीचीन समझा जाए (समझे जाएं) की वांछा रखने वाला खनन रियायत धारक, राज्य भू–विज्ञानी को प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट फीस सहित, आशयित उपन्तरणों को घोषित करते हुए और उसके लिए कारणों को स्पष्ट करते हुए, आवेदन करेगा ।

(3) उक्त अधिकारी इस नियम के उप नियम (1) और (2) के अधीन ऐसे परिवर्तनों सहित, जैसे वह समीचीन समझे, उपान्तरण अनुमोदित कर सकेगा ।

41, **कार्य प्रणाली** .– (1) पहाड़ी ढलान में गौण खनिज खदानों में कार्यप्रणाली मेटलीफेरस माइन्ज रैग्यूलेशन, 1961 के अधीन किए गए उपबन्धों के अनुसार (बैन्चिज) का निमार्ण करके की जाएगी ।

(2) अपक्षीण गौण खनिज खदानों सहित गौण खनिजों के लिए ऐसी बैन्चिज प्रथकतः बनाई जाएगी और अधिभार में ऐसी बैन्चिज पहले ही पर्याप्त रूप से रखी जाएगी ताकि उनका कार्य गौण खनिजों के कार्यों में बाधा न डाले और गौण खनिजों का अधिभार खनिजों के साथ अन्त मिश्रण को रोका जा सके ।

(3) प्रत्येक गौण खनिज खदान का स्वामी, अभिकर्ता, प्रबन्धक छूट के दौरान सरकार या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की लिखित में अनुज्ञा के सिवाय किसी गौण खनिज खदान का परित्याग या अभ्यपर्ण नहीं करेगा ।

42. **अविक्रेय या निम्न ग्रेड के गौण खनिजों के पृथक चट्टे लगाना .**– (1) खदान तल पर अप्रोज्य अविक्रेय गौण खनिजों को नियमित रूप से एकत्रित किया जाएगा और उनका सतह पर अभिवहन किया जाएगा तथा खदान फर्श को युक्तियुक्त रूप में मलबे से मुक्त रखा जाएगा ।

(2) लघु उद्योग सेक्टर द्वारा संभाव्य उपयोग के लिए उपयुक्त ऐसे अविक्रेय गौण खनिजों को समुचित रूप से प्रत्यादत्त किया जाएगा ।

(3) सतही मिट्टी, अधिभार, अपशिष्ट सामग्री या अविक्रेय गौण खनिज के क्षेपण के लिए चयनित स्थल चालू खदान से दूर होगा ।

(4) खनन या खदान का प्रचालन आरम्भ करने से पूर्व खदान की प्रत्यात्मक अंतिम सीमा अवधारित की जाएगी और क्षेपण स्थल इस प्रकार चयनित किया जाएगा कि क्षेपण, सिवाय जहां साथ–साथ पार्श्व भरान प्रस्तावित है, खदान के अंतिम आकार की सीमाओं के भीतर नहीं किया जाएगा ।

43. **पर्यावरण का संरक्षण .–** यथास्थिति, किसी खदान पट्टे या संविदा का प्रत्येक धारक पर्यावरण के संरक्षण के लिए समस्त सम्भव पूर्वावधानियां बरतेगा और खनन करते समय या उस क्षेत्र, जिसमें ऐसी रियायत प्रदान की गई है, में गौण खनिज के प्रसंस्करण के दौरान प्रदूषण पर नियन्त्रण रखेगा ।

44. सतही मिट्टी को हटाना और उसका उपयोग .– (1) जहां सतही (मिट्टी की ऊपरी परत) मिट्टी विद्यमान है और उसे गौण खनिज के खनन प्रचालन के लिए उत्खनित किया जाता है, तो उसे पृथकतः हटाया जाएगा ।

(2) इस प्रकार हटाई गई सतही मिट्टी भूमि के परावर्तन और पुनः स्थापन के लिए उपयोग में लाई जाएगी जो खनन प्रचालनों या बाह्य क्षेपण स्थलों के स्थिरीकरण या भू–दृश्य निर्माण के लिए और अपेक्षित नहीं है ।

(3) जहां सतही मिट्टी को साथ–साथ उपयोग में नहीं लाया जा सकता हो तो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसके जीवाणु अवयव नष्ट न हो जाएं, उसके भविष्य में उपयोग में लाए जाने के लिए पृथकतः भण्डारण किया जाएगा और उसे समीपवर्ती क्षेत्र में फैलाया जाना चाहिए ।

45. अधिभार, अपशिष्ट चट्टान आदि का भण्डारण .– (1) गौण खनिजों के लिए खनन प्रचालन के दौरान जनित अत्याधिक बोझ से दबे हुए बेकार पत्थर और अविक्रेय गौण खनिज का निश्चित स्थल पर समुचित रूप से बनाए गए क्षेपण स्थलों में पृथकतः भण्डारण किया जाएगा ।

(2) ऐसे क्षेपण स्थलों को, हानिकर मात्रा में सामग्री के निकास, जिससे आस–पास की भूमि का अवक्रमण कारित हो या जलमार्गो में गाद भर जाए, की रोकथाम द्वारा समुचित रूप से सुरक्षित रखा जाएगा ।

(3) जहां तक सम्भव हो, ऐसी अपशिष्ट चट्टान या अधिभार या अन्य अप्रोज्यों का गौण खनिज खदान के चिन्हित स्थान में पार्श्व भरान किया जाएगा, जहां पर गौण खनिज अनुकूलतम गहराई तक पाया जाता है तो वहां पर भूमि को इसके मूल उपयोग या वांछित एकान्तरिक उपयोग के लिए, परावर्तन किया जाएगा जहां तक सम्भव हो और जहां पार्श्व भरान व्यवहार्य नहीं है, अपशिष्ट क्षेपण स्थलों में पौधारोपण करके या अन्यथा स्थिरीकरण किया जाएगा ।

46. **भूमि को कृषि योग्य बनाना और उसका पुनः सुधार.–** खनन पट्टे या संविदा का प्रत्येक धारक खनन प्रचालन द्वारा प्रभावित भूमि का चरणबद्व तरीके से परावर्तन करके कृषि योग्य बनाने और पुनः स्थापन करने के लिए वचनबद्व होगा और इस कार्य को ऐसे प्रचालनों और खदान का परित्याग पूर्ण करने से पूर्व सम्पूर्ण करेगा ।

47. **समूह में परावर्तन करना, कृषि योग्य बनाना और उसका पुनर्व्यवस्थापन करना.**– जहां अधिक संख्या में लघु खदानें स्थित हैं और एक ही स्थान पर अधिक संख्या में चिन्हित की गई है तो ऐसे स्थान पर गौण खनिजों के खदान करने की व्यवस्था व्यवस्थित और वैज्ञानिक रीति में की जाएगी । खदान किए गए क्षेत्र का पुनरावर्तन करने और कृषि योग्य बनाने का कार्यक्रम तथा पुनर्व्यस्थापन गौण खनिजों के सम्पूर्ण समूह में परित्यक्त क्षेत्र में चरणबद्व रीति में संयुक्ततः किया जाएगा ।

48. **वायु प्रदूषण से पूर्वावधानी.–** गौण खनिज और सम्बन्धित कार्य कलापों के लिए खनन या प्रसंस्करण प्रंचालन के दौरान धूल, निकास उत्सर्जन या धुएं के कारण हुए वायु प्रदूषण को नियन्त्रित किया जाएगा और उसे तत्समय प्रवृत किसी भी पर्यावरणीय विधि के अधीन, विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय सीमा में रखा जाएगा ।

49. **बहिःस्रावों का निस्सारण .–** खनन पट्टे या संविदा का प्रत्येक धारक, गौण खनिज खदान, कार्यशाला या प्रसंस्करण संयन्त्र से निकलने वाले विषैले और आपत्तिजनक द्रव भू–गर्भ जल जलाशयों और प्रयोज्य

भूमि की सतह में बहिःस्रावों के निस्सारण को रोकने और उसे कम से कम करने के लिए समस्त सम्भव पूर्वावधानियां बरतेगा । फैक्टरी से यह बहिःस्राव इस निमित्त अधिकथित मानकों के अनुरूप होंगे ।

50. **ध्वनि से पूर्वावधानी .–** खनन और प्रसंस्करण प्रचालन से उत्पन्न ध्वनि को खनन पट्टा धारक द्वारा स्त्रोत पर कम किया जायेगा या नियन्त्रित किया जाएगा ताकि इसे अनुज्ञेय सीमा में रखा जा सके ।

51. **अनुज्ञेय सीमाएं और मानक .–** इन नियमों में निर्दिष्ट समस्त प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ, विषैले तत्व और ध्वनि के मानक तथा अनुज्ञेय सीमा ऐसी होगी जैसी सम्बद्व प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन अधिसूचित की जाए ।

52. **वनस्पति का प्रत्यावर्तन .**–खनन पट्टे और संविदा का प्रत्येक धारक खनन प्रचालनों को ऐसी रीति में कार्यान्वित करेगा ताकि खनन रियायत के अधीन आने वाले क्षेत्र की वनस्पति को कम से कम क्षति कारित हो और खनन रियायत धारक–

(i) उसी क्षेत्र या सम्बद्व प्राधिकारी द्वारा चयनित अन्य क्षेत्र में किसी खनन प्रचालन के कारण वृक्षों की संख्या के दुगुने से अन्यून पौधारोपण करने के लिए तुरन्त उपाय करेगा;

(ii) खनन रियायत की अवधि के दौरान उनकी देखभाल करेगा और तत्पश्चात् इन वृक्षों को राज्य वन विभाग या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण को सौंप देगा; और

(iii) खनन प्रचालन द्वारा क्षतिग्रस्त अन्य वनस्पति का यथा सम्भव प्रत्यावर्तन करेगा ।

53. **खान बन्द करने की योजना.–** (1) प्रत्येक खान के लिए खान बन्द करने की निम्नलिखित योजनाएं होंगी :–

(क) नवीनतम खनिज रियायत प्रदान करने या नवीकरण करने की दशा में स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक या खनन इंजीनियर प्ररूप ''ड'' के अनुसार पुरोगामी खनन बन्द करने की योजना उक्त अधिकारी को खनन योजना के घटक के रूप में प्रस्तुत करेगा;

(ख) स्वामी, अभिकर्ता, प्रबन्धक या खनन इंजीनियर खान के प्रस्तावित बन्द करने से एक वर्ष पूर्व अनुमोदन के लिए उक्त अधिकारी को खान को बन्द करने की अंतिम योजना प्रस्तुत करेगा और उक्त अधिकारी, यथास्थिति, स्वामी, अभिकर्ता, प्रबन्धक या खनन इंजीनियर को इसकी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर खान बन्द करने की अंतिम योजना के अपने अनुमोदन या इनकार को सूचित करेगा । यदि खान बन्द करने की अंतिम योजना के अनुमोदन या इनकार को, नियम 39 के उप–नियम (4) में यथा निर्दिष्ट अवधि के भीतर, यथास्थिति, खान के स्वामी, अभिकर्ता, प्रबन्धक या खनन इंजीनियर को सूचित नहीं किया जाता है तो खान बन्द करने की अंतिम योजना अनन्तिम रूप से अनुमोदित समझी जाएगी और ऐसा अनुमोदन जब कभी संसूचित किया जाए, अंतिम विनिश्चय के अध्यधीन होगा ।

(2) यथास्थिति, स्वामी, अभिकर्ता, प्रबन्धक या खनन इंजीनियर यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि पुनरावर्तन और पुनर्व्यवस्थापन सहित इन नियमों में निर्दिष्ट खान को बन्द करने की योजना में अन्तर्विष्ट सुरक्षात्मक उपाय अनुमोदित खान बन्द करने की योजना के अनुसार कार्यान्वित किए गए हैं ।

(3) यथास्थिति, स्वामी, अभिकर्ता, प्रबन्धक या खनन इंजीनियर राज्य भू–विज्ञानी को अनुमोदित खान बन्द करने की योजना में यथा परिकल्पित सुरक्षात्मक और पुनर्व्यवस्थापन कार्यों की सीमा व्यक्त करने की प्रत्येक वर्ष की प्रथम जुलाई से पूर्व एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और यदि इसमें कोई विचलन है तो उसके कारण देगा ।

54. वित्तीय आश्वासन .—(1) प्रत्येक खनिज रियायत धारक को वित्तीय आश्वासन देना होगा । वित्तीय आश्वासन की रकम प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम के अनुसार होगी :

परन्तु वित्तीय आश्वासन की रकम पांच लाख रूपए से अधिक नहीं होगी ।

(2) वित्तीय आश्वासन किसी अनुसूचित बैंक से सावधि जमा प्राप्ति (एफ.डी.आर.) के रूप में दिया जाएगा ।

(3) खनिज रियायत धारक पट्टे या संविदा के निष्पादन से पूर्व राज्य भू—विज्ञानी को वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत करेगा ।

(4) उस/उन पट्टाधारक/धारकों की दशा में जिसने/जिन्होंने हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल (कन्सेशनस)रिवाईज्ड रूल्ज, 1971 के अधीन पट्टा निष्पादित किया है तो ऐसे पट्टाधारक/पटटाधारकों उक्त वित्तीय आश्वासन को पट्टा विलेख नवीनीकरण के समय प्रस्तु करेगा/करेंगे ।

(5) वित्तीय आश्वासन की निर्मुक्ति सम्बद्व जिला के खनन अधिकारी द्वारा सत्यापित खान बन्द करने की योजना में अन्तर्विष्ट उपबंधों की समाधानप्रद अनुपालन के लिए खनिज रियायत धारक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से प्रभावी होगी और राज्य भू—विज्ञानी द्वारा निर्मुक्त किया जाएगा ।

(6) यदि राज्य भू—विज्ञानी के पास विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि अनुमोदित खान बन्द करने की योजना में यथा परिकल्पित सुरक्षात्मक, पुनरावर्तन और पुनर्व्यवस्थापन उपाय जिसकी बाबत वित्तीय आश्वासन दिया गया था या नहीं दिया गया है या खान बन्द करने की योजना के अनुसार पूर्णतः या भागतः कार्यान्वियत नहीं किया

गया है तो राज्य भू–विज्ञानी वित्तीय आश्वासन की रकम को इस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित आदेश को जारी करने की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व समपहृत करने का अपने आशय का लिखित नोटिस देगा ।

(7) उप नियम (5) में निर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर यदि खनिज रियायत धारक से लिखित में कोई समाधानप्रद उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो राज्य भू–विज्ञानी वित्तीय आश्वासन की रकम को उस पर प्रोदभूत ब्याज सहित समपहृत करने के आदेश पारित करेगा ।

55. **तकनीकी व्यक्तियों का नियोजन.–** (1) अनुमोदित खान योजना के अनुसार खनन प्रचालन कार्यन्वित करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक खनिज रियायत धारक निम्न विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के अनुसार परामर्शदाता नियोजित/प्रतिधारित करेगाः–

(i) पूर्णकालिक खनन इंजीनियर या कोई व्यक्ति जो महानिदेशक, खान सुरक्षा, जो खनन प्रचालन गहरे सुराख करने, उत्खनन, लदान करने और परिवहन करने के लिए भारी खनन मशीनरी के अभिनियोजन द्वारा कार्यान्वित किया गया है या जहां औसत नियोजन प्रतिदिन एक सौ से अधिक है या खदान क्षेत्र 50 हैक्टेयर या इससे अधिक है, द्वारा जारी सक्षमता का द्वितीय श्रेणी का खान प्रबन्धक का प्रमाण–पत्र रखता हो;

(ii) यदि खदान क्षेत्र 25 हैक्टेयर से अधिक और 50 हैकटेयर से कम है तो ऐसा व्यक्ति जो खनन प्रचालन में दस वर्ष के अनुभव सहित खनन में डिप्लोमा रखता हो या ऐसा व्यक्ति जो महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा जारी सक्षमता का अग्रणी प्रमाण–पत्र रखता हो या कोई भू–विज्ञानी जिसके पास भू–विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि सहित पर्यवेक्षणीय हैसियत में 10 वर्ष का अनुभव हो; और

(iii) यदि खदान का क्षेत्र 25 हैक्टेयर से कम किन्तु 2 हैक्टेयर से कम नहीं है, जहां खनन कार्यकलाप केवल शारीरिक श्रम से ही किए जाते हैं तो खण्ड (i) और (ii) में वर्णित अर्हता रखने वाला व्यक्ति अधिकतम दस खनन पट्टे या संविदा के लिए कार्य कर सकेगा परन्तु यह कि समस्त ऐसी खाने/खदानें सौ किलोमीटर की परिधि में अवस्थित हों ।

(2) यदि किसी खान का धारक उप–नियम (1) में यथा वर्णित अर्हता रखता है तो वह उप–नियम (1) के प्रयोजन के लिए स्वयं को तकनीकी व्यक्ति के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(3) खनन इंजीनियर या भू–विज्ञानी जिसे खान धारक द्वारा परामर्शदाता के रूप में नियोजित/प्रतिधारित किया गया है तो वह तकनीकी व्यक्ति के रूप में नीचे विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखेगाः–

भू–विज्ञानी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान सहित किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई भू–विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या कोई समतुल्य अर्हता;

खन्न इंजीनियर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान सहित किसी केन्द्रीय

अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियर में उपाधि या कोई समतुल्य अर्हता या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा खनन इंजीनियर में प्रदान किया गया तीन वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र ।

(4) खनन रियायात धारक अर्हित व्यक्ति, जो उसने नियोजित किया है, ऐसे व्यक्ति की सहमति सहित उसके व्यौरे सम्बंद्व खनन अधिकारी को सूचित करेगा ।

56. **तकनीकी व्यक्ति के कर्त्तव्य** .– (1) नियम 55 के अधीन नियोजित या प्रतिधारित तकनीकी व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह खनन प्रचालन का संचालन करने के लिए योजना को बनाने और उसे सुकर बनाने के लिए समस्त अनिवार्य पग उठाए ताकि खनिजों का परिरक्षण, खनिज भण्डार के क्रमबद्व विकास और इन नियमों के अनुसार खनन क्षेत्र के आस–पास पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके ।

(2) वहः–

(क) इन नियमों के अनुसार योजनाओं, प्रभागों, रिपोर्टों और स्कीमों को बनाने और उनका अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) सम्बद्व चट्टानों और खनिजों के अध्ययन को कार्यान्वित करने के लिए और उनकी पहचान करने तथा उत्पादित विभिन्न खनिजों के पृथक्तः ढेर लगवाने के लिए दायी होगा;

(ग) समस्त ऐसे आदेशों और निर्देशों, जो उसे इन नियमों के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में दिए जाएं, की अनुपालना के लिए प्रभावी कदम उठाएगा और ऐसे आदेशों या निर्देशों की एक प्रति खान धारक को अग्रेषित करेगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों के उपबन्धों और तद्धीन जारी आदेशों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए खान स्थल पर हर समय समुचित सामग्री, उपस्करों और प्रसुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था है और जहां खान का स्वामी उपलब्ध नहीं है तो वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित किसी वस्तु के लिए स्वामी से लिखित में मांग करेगा । प्रत्येक ऐसी मांग की एक प्रति इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्व पुस्तक में लगाएगा; और

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन मांग की प्राप्ति पर स्वामी यथाशक्य शीघ्र अर्हित व्यक्ति द्वारा मांगी गई सामग्री और प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाएगा ।

57, **खनन प्रचालन का वैज्ञानिक और व्यवस्थित रीति में होना और उसके लिए शास्ति.**– (1) खनन प्रचालन अनुमोदित खनन योजना और पट्टा और करार विलेख के निबन्धनों और शर्तो के अनुसार वैज्ञानिक और व्यवस्थित रीति में करना होगा ।

(2) यदि खन्न प्रचालन उप–नियम (1) के अधीन यथा निर्दिष्ट खनन योजना या पट्टा विलेख या करार विलेख के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया गया है तो, यथास्थिति, राज्य भू–विज्ञानी या भू–विज्ञानी या सहायक भू विज्ञानी या खनन अधिकारी समस्त या किन्हीं खनन प्रचालनों के स्थगन करने के लिए आदेश परित कर सकेगा और केवल ऐसे प्रचालनों के अनुज्ञा–पत्र प्रवर्तन में रहेगें जो उक्त खनन योजना या पट्टा विलेख या करार विलेख के अधीन खान में परिकल्पित शर्तो को पूर्व स्थिति में लाने के लिए आवश्यक हों ।

(3) कोई व्यक्ति जो खनन योजना या पट्टा विलेख या करार विलेख के निबंधनों या शर्तो का उल्लंघन करता है, दोषसिद्वि पर, करावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 50000/– (पचास हजार)केवल रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में प्रथम ऐसे उल्लंघन के लिए दोषसिद्वि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके

दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से जो 5000/– (पांच हजार)केवल रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी उपराध का, या तो अभियोजन को संस्थित किए जाने से पूर्व या पश्चात, ऐसे अपराध की बाबत न्यायालय को लिखित में परिवाद करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, ऐसी रकम का, जैसी अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, सरकार के खाते में जमा करने के लिए उस अधिकारी को संदाय करने पर, शमन किया जा सकेगाः

परन्तु यह और कि कोई अपराध जो केवल जुर्माने से दण्डनीय है तो उसकी रकम जुर्माने की अधिकतम रक्म से अधिक नहीं होगी जो उस अपराध के लिए अधिरोपित की जा सकेगी ।

अध्याय–4

पुनर्विलोकन और शक्तियों का प्रत्यायोजन

58. **प्रत्यायोजन .–** सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि इन नियमों के अधीन इसके द्वारा प्रोक्तव्य कोई शक्ति, ऐसे मामलों के सम्बन्ध में और ऐसी शर्तो के अध्यधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रोक्तब्य होगी जैसा अधिसूचना में विनिर्दिश्ट किया जाएः

परन्तु सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि इन नियमों के अधीन निदेशक द्वारा प्रोक्तव्य शक्तियां ऐसे मामलों और शर्तो के अध्यधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, उद्योग निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोग की जा सकेगी ।

59. **अपील.–** (1) निदेशक के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ;

(i) खनन पट्टे या संविदा को रद्द करने या समाप्त करने या तद्धीन किसी निक्षेप के पूर्णतः या भागतः समपहरण करने ; या

(ii) खन्न पट्टे के अनुज्ञा–पत्र के अन्तरण से इनकार करने की तारीख से दो मास के भीतर ऐसे आदेश के विरूद्व सरकार को अपील कर सकेगाः

परन्तु ऐसा कोई आवेदन दो मास की उक्त अवधि के पश्चात् भी स्वीकार किया जा सकेगा यदि आवेदक द्वारा सरकार का समाधान कर दिया जाता है कि उसके पास समय के भीतर आवेदन न करने के पर्याप्त कारण थे ।

जहां निदेशक के कृत्य नियम 58 के अधीन उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित किए गए हैं तो उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के ऐसे किसी अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति निदेशक को अपील कर सकेगाः

परन्तु अपील ऐसे आदेश, जिसके विरूद्व अपील की जानी है, की तारीख से दो मास के भीतर की जा सकेगी ।

60. **अपील और पुनर्विलोकन के लिए फीस .–** अपील का ज्ञापन या पुनर्विलोकन हेतु आवेदन प्रत्येक मामले में, प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट फीस, शीर्ष–0853–फेरस माइनिंग एण्ड मेटलर्जिकल इण्डस्ट्रज़, 102–मिनरल कन्सेशन्ज फीस, रेंट एण्ड रॉयलटीज–01 रिसीट फ्रॉम मिनरल कन्सेशन फीस आदि के अधीन सरकार के खाते में जमा सहित किया जाएगा ।

61. **पुनर्विलोकन .–** ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, यथास्थिति, सरकार या निदेशक सुसंगत अभिलेख और अन्य सूचना मंगवाएगा/मंगवा सकेगा और उसके स्पष्टीकरण पर विचार करने तथा अपीलार्थी को सुनावाई का अवसर देने और किसी टिप्पणी, जो अधिकारी द्वारा दी गई है, पर विचार करने के पश्चात् आदेश, जिसके

विरूद्व अपील की गई है, रद्द कर सकेगा या उसका पुनर्विलोकन कर सकेगा । इस नियम के अधीन, यथास्थिति, सरकार या निदेशक का आदेश अंतिम होगा ।

अध्याय–5

प्रकीर्ण

62. **दृष्यमान भूल को सुधारने (परिशोधित करने) की शक्ति .–** सरकार इन नियमों के अधीन इसके द्वारा पारित आदेश की तारीख से छः मास के भीतर, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से अभिलेख को देखते ही दृष्यमान किसी भूल या गलती को सुधार सकेगी और उसी अवधि के भीतर किसी ऐसी भूल या गलती जो गौण खनिज रियायत प्रदान करने हेतु किसी आवेदक द्वारा इस के ध्यान (नोटिस) में लाई गई है, का सुधार करेगी :

परन्तु कोई भी ऐसा सुधार (परिशोधन) जिससे पट्टा प्रदान करने हेतु किसी अन्य आवेदक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ना तात्पर्यित हो, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे आवेदक को सरकार द्वारा इसके ऐसा करने के आशय की सूचना न दे दी गई हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

63. **सरकारी देयों की भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली .–** इन नियमों के अधीन या किसी खनन पट्टे या संविदा या अनुज्ञा पत्र के निबन्धनों और शर्तों के अधीन सरकार को देय कोई भाटक (किराया), रॉयलेटी फीस, संविदा धन या अन्य राशि को सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रारूप– 'ढ' में प्रमाण पत्र पर, उसी रीति में वसूल किया जाएगा जैसे भू–राजस्व का बकाया ।

64. **भूमि के स्वामी द्वारा खनन प्रचालन पर किसी निर्बन्धन आदि का अधिरोपित न किया जाना .–** खनिज रियायत के अन्तर्गत आने वाली भूमि में किसी धारिता में अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी भूमि के

खनिज रियायत के धारक द्वारा खनन प्रचालन पर कोई प्रतिषेध या निर्बन्धन अधिरोपित करने या उसमें से गौण खनिज को निकालने के लिए प्रीमियम अधिमुल्य या रॉयलेटी के रूप में किसी राशि की मांग करने का हकदार नहीं होगाः

परन्तु ऐसा व्यक्ति उक्त रियायत धारक से सतह के उपयोग हेतु प्रतिकर जैसा उनके मध्य सहमत पाया जाए, प्राप्त करने का हकदार होगा । किसी विवाद की दशा में प्रतिकर की रकम क्लक्टर द्वारा अवधारित की जाएगी और उसका आदेश अंतिम होगा ।

65. **तृतीय पक्षकार की भूमि का अर्जन और उसके लिए प्रतिकर .—** भूमि, जिस की बाबत गौण खनिज के अधिकार सरकार में निहित है, के अधिभोगी या स्वामी की दशा में, सरकार के पास आरक्षित अधिकार और शक्तियों को प्रयोग करने में अपनी सहमति देने से इनकार कर देता है और यथास्थिति, पट्टेदार या संविदाकार को पट्टातंरण करता है तो पट्टेदार या संविदाकार इसकी रिर्पोट सरकार को करेंगे और प्रतिकर के रूप में प्रस्तावित रकम इसके पास जमा करेंगे और यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित प्रतिकर की रकम उचित और युक्तियुक्त है या यदि उसका समाधान नहीं होता है और पट्टेदार या संविदाकार ने सरकार के पास ऐसी और रकम जमा कर दी हो जिसे सरकार उचित और युक्तियुक्त समझे, तो सरकार पट्टेदार या संविदाकार को भूमि में प्रवेश करने और ऐसे प्रचालन को कार्यान्वित करने का आदेश देगी जैसे प्रयोजन हेतु आवश्यक हो । ऐसे प्रतिकर की रकम का निर्धारण करने में सरकार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के सिद्धातों द्वारा मार्गदर्शित होगी ।

66. **खनिज रियायत प्रदान करने के लिए आवेदक की मृत्यु होने पर अनुदान की प्रास्थिति .—** (1) जब संविदा प्रदान करने या खनन पटटे के नवीकरण हेतू किसी आवेदक को संविदा प्रदान करने या खनन पटटा प्रदान करने या खनन पट्टे का नवीकरण करने के आदेश पारित करने से पूर्व, उसकी मृत्यु हो जाती है तो

संविदा करने या खनन पट्टा प्रदान करने या खनन पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा किया गया समझा जाएगा ।

(2) उस आवेदक की दशा में जिस की बाबत संविदा प्रदान करने या खनन पट्टा प्रदान करने या खनन पट्टे का नवीकरण करने का कोई आदेश पारित किया गया है, किन्तु करार विलेख या पट्टा विलेख को निष्पादित करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, तो आदेश मृतक के विधिक प्रतिनिधि के नाम से पारित किया गया समझा जाएगा और ऐसा विधिक प्रतिनिधि अपेक्षित करार विलेख या पट्टा विलेख और उसके नवीकरण को निष्पादित करेगा ।

अध्याय–6

स्टोन क्रशरों का रजिस्ट्रीकरण, अवस्थिति, प्रतिष्ठापन और कार्य चालन .–

67. **स्टोन क्रशर के परिचालन के लिए खनन पट्टे की अनिवार्यता .–** स्टोन क्रशर के परिचालन हेतु गौण खनिज की विधिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खनन पट्टा आवश्यक है:

परन्तु जल विद्युत परियोजनाओं सड़कों और सुरगों, सर्न्निर्माण की दशा में ऐसे सर्न्निर्माण क्रियाकलापों के दौरान उत्पादित सामग्री के आधार पर स्टोन क्रशर खनन पट्टा के बिना भी प्रतिष्ठापित किया जाना अनुज्ञात किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि पिसी हुई सामग्री ऐसे जल विद्युत परियोजनाओं, सड़कों और सुरगों के सर्न्निर्माण के परियोजन हेतु उपयोग की जाएगी ।

68. **स्टोन क्रशर की अंतिम रजिस्ट्रीकरण हेतु अपेक्षा .–** (1) स्टोन क्रशर के प्रतिष्ठापन हेतु मशीनरी/संयत्र लगाने और इसके आनुषगिंक क्रियाकलापों जैसे कि अपरिष्कृत माल/परिष्कृत उत्पाद के ढेर लगाने, यानों की पार्किंग, कार्यालय श्रमिकों की झौंपड़ियों आदि हेतु न्यूनतम दो से पांच बीघा कार्य चालन क्षेत्र अपेक्षित होगा जहां तक संभव हो यह क्षेत्र एक ही स्थान पर संहत क्षेत्र होगा:

परन्तु अपेक्षित भूमि एक स्थान पर उपलब्ध न होने की दशा में अपेक्षित कुल भूमि निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन विभिन्न स्थानों पर पूरी की जा सकती है :–

(i) स्टोन क्रशर का मुख्य संघटक अर्थात मशीनरी/संयत्र और परिष्कृत उत्पाद के ढेर लगाने की व्यवस्था एक ही स्थान पर की जा सकेगी जहां से निशिचित प्राचल को अधिसूचना संख्या एस टी.ई–ई(3)–1/2012 तारीख 29–5–2014 पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित निबंधनों के अनुसार परिमाप किया जा सकेगा;

(ii) अन्य आनुषगिंक क्रियाकलापों जैसे कि कच्ची सामग्री का ढेर लगाने, यानों की पार्किंग, कार्यालय, श्रमिक झौंपड़ियों आदि हेतु विभिन्न स्थानों पर भूमि अपेक्षा पर विचार किया जा सकेगा; परन्तु उपरोक्त उप–खण्ड(i) के अधीन प्रस्तावित स्टोन क्रशर स्थल से ऐसे स्थान की दूरी पांच सौर मीटर के भीतर है; और

(iii) खनन पट्टा का क्षेत्र स्टोन क्रशर की पांच किलो मीटर की परिधि के भीतर होगा ।

(2) राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में स्टोन क्रशर प्रतिष्ठापित करने हेतु आवेदक द्वारा प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस सहित प्ररूप–'ण' में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) उप–नियम(2) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् मामला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या एस.टी.ई–ई(3)–17/2012 तारीख 29–5–2014 द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति को भेज दिया जाएगा और स्टोन क्रशर स्थल का संयुक्त निरीक्षण, पूर्वोक्त अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(4) अंतिम रजिस्ट्रीकरण, भू वैज्ञानिक खण्ड, उद्योग विभाग द्वारा स्थल की संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित करने और खनन पट्टा विलेख निष्पादित करने के पश्चात् प्ररूप–'त' पर जारी

किया जाएगा । अंतिम रजिस्ट्रीकरण, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंन्त्रण बोर्ड से स्टोन क्रशर को स्थापित करने के लिए, राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए तथा अन्य सरकारी विभागों से पूर्व उत्पादन स्वीकृति समाशोधन हेतु सहमति अभिप्राप्त करने का आधार होगा ।

69. **स्टोन क्रशर का स्थायी रजिस्ट्रीकरण .–** (1) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्टोन क्रशर स्थपित करने और परिचालन की सहमति और सम्बन्धित विभागों से अन्य अपेक्षित स्वीकृति समाशोधन अभिप्राप्त करने के पश्चात् स्टोन क्रशर का स्वामी प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस सहित प्ररूप–थ में स्टोन क्रशर का स्थायी रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने हेतु आवेदन करेगा और इसे स्टोन क्रशर के स्वामी को प्ररूप–द पर जारी किया जाएगा जो दो साल की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

(2) यदि स्टोन क्रशर का स्वामी स्थायी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का आशय रखता हो तो उसे स्थायी रजिस्ट्रीकरण के अवसान के कम से कम तीन मास पूर्व नवीकरण हेतु आवेदन करना होगा, ऐसा न होने पर स्थायी रजिस्ट्रीकरण के अवसान की तारीख से जब तक वह उसके लिए आवेदन नहीं करता है, तब तक विलम्ब फीस के रूप में प्रतिदिन एक सौ रूपये प्रभारित किए जाएगें ।

(3) उधोग विभाग का भू–वैज्ञानिक खण्ड स्थायी रजिस्ट्रीकरण को और दो वर्ष की अवधि के लिए, स्टोन क्रशर की उचित कार्यकरण के अध्यधीन रहते हुए, स्थायी रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों के अनुसार और समस्त देयों के समाशोधन पर नवीकृत कर सकेगा ।

(4) स्थायी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु प्रस्तुत किया आवेदन, यदि रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अवसान से पूर्व नहीं निपटाया जाता है तो उसे और अवधि हेतु विस्तारित किया गया समझा जाएगा ।

70. **स्टोन क्रशर के परिचालन के लिए शर्तें .–** (1) कोई भी व्यक्ति, राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में कोई स्टोन क्रशर तब तक नहीं परिचालित करेगा (चलाएगा) जब तक वह उधोग विभाग के भू–वैज्ञानिक खंड से अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्राप्त नहीं कर लेता है ।

(2) प्रत्येक स्टोन क्रशर का स्वामी निम्नलिखित उपबन्धों का पालन करेगाः–

(क) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और तद्धीन बनाए नियम;

(ख) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और तद्धीन बनाए नियम;

(ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और तद्धीन बनाए नियम;

(ध) ध्वनि प्रदूषण(विनियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000;

(ङ)कानून और तद्धीन बनाए नियमों के अनुसार और सरकार की अधिसूचना तारीख 29–5–2014 द्वारा यथा अधिसूचित उत्सर्जन मानक; और

(च) सरकार की अधिसूचना तारीख 29–5–2014 या समय–समय पर यथा संशोधित के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण उपाय;

(3) उधोग विभाग का भू–वैज्ञानिक खण्ड, पर्यावरण के संरक्षण, खनिजों के संरक्षण तथा विकास हेतु कोई अन्य शर्तें जैसे यह उचित समझे अधिरोपित कर सकेगा ।

(4) स्टोन क्रशर का स्वामी, पिसे हुए (क्रशड) खनिजों की कुल मात्रा, उपमुक्त विद्युत/बिजली, केपटिव पॉवर जनरेटिड रन क्रशर की दशा में पैदा की गई बिजली, डीजल से चलने वाले क्रशर की दशा में तेल की खपत, नियोजित श्रमिकों की संख्या और संदत्त मजदूरी आदि के ब्यौरे देते हुए प्रत्येक मास की दस तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(5) स्टोन क्रशर का स्वामी, निरीक्षण करने वाले कर्मचारिवृन्द को क्रशर तक पहुंचने के लिए अनुज्ञात करेगा और क्रशर के प्रचालन और गौण खनिजों तथा स्टाकों की विधिक आपूर्ति के स्त्रोत के सत्यापन से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को उपलब्ध करवाएगा ।

(6) स्टोन क्रशर का स्वामी, खनन पट्टा विलेख और कच्ची सामग्री की मांग को पूरा करने हेतु उसे दी गई किसी अन्य अनुज्ञा के निबन्धनों और शर्तों का पालन करेगा ।

71. **शास्ति .–** कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के किसी उपबन्ध का उल्लंधन करेगा, दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो 50,000/– रूपये (पच्चास हजार रूपये) तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम ऐसे उल्लंधन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंधन जारी रहता है, 5000:–रूपये (पांच हजार रूपये) तक का हो सकेगाः

परन्तु इस अध्याय के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का या तो अभियोजन संस्थित किए जाने से पूर्व या उसके पश्चात् अपराध की बाबत न्यायालय को शिकायत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, सरकार के खाते में जमा करने के लिए ऐसी रकम जैसी वह अधिकारी विहित करे, का उस अधिकारी को संदाय करने पर, शमन किया जा सकेगाः

परन्तु यह और कि केवल जुर्माने से दण्डनीय किसी अपराध की दशा में ऐसी रकम, जुर्माने की अधिकतम रकम जो उस अपराध के लिए अधिरोपित की जा सकेगी से अधिक नहीं होगी ।

अध्याय–7

खनिजों के अवैध खनन, भण्डारण तथा परिवहन को रोकना .–

72. **अवैघ खनन को रोकना .–** कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में इन नियमों के निबंधनों और शर्तों के अनुसार और अर्न्तगत के सिवाए, कोई खनन प्रचालन नहीं करेगा ।

73. **अवैध खनन के लिए शास्ति के उपबन्ध .–** नियम 72 का कोई उल्लंधन कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो 25,000/–रूपये (पच्चीस हजार रूपये केवल) तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगाः

परन्तु नियम 72 के प्रथम और द्वितीय बार उल्लंधन का अधिनियम की धारा 22 के अधीन सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शमन किया जा सकेगा और पश्चातवर्ती उल्लंधन के सम्बन्ध में मामला, इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, विधि के समक्ष न्यायालय में दायर किया जा सकेगा ।अपराध के शमन की रीति निम्नलिखित होगीः–

(i) हाथ से (शारीरिक श्रम द्वारा) किए गये अवैध खनन की दशा में, प्रशमन फीस की रकम दस हजार रूपये से कम नहीं होगी यदि निकाला गया खनिज पच्चीस मीट्रिक टन तक है;

(ii) यदि किए गये अवैध खनन की मात्रा पच्चीस मीट्रिक टन से अधिक हो जाती है तो चार सौ रूपये प्रति मीट्रिक टन की दर से अतिरिक्त प्रशमन फीस प्रभारित की जाएगी;

(iii) द्वितीय उल्लंधन की दशा में पच्चीस हजार रूपये की न्यूनतम प्रशमन फीस प्रभारित की जाएगी;

(iv) यदि नदी/नाला तल में अवैध खनन यांत्रिक तौर पर किया गया है तो प्रशमन फीस की रकम पच्चीस हजार रूपये के कम नहीं होगी ।

74. **खनिज के भण्डारण हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना .–**(1) व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने या उसका नवीकरण करने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति खनन अधिकारी को प्ररूप– 'ध' में आवेदन करेगा ।आवेदन चार प्रतियों में उसके कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) उप–नियम(1) के अधीन किए गये प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न किया जाएगा ।

(क) निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अधीन खजाना चालान के माध्यम से संदेय प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीसः–

'0853–नॉन फेरस माइनिंग एण्ड मेटालर्जिकल इन्डस्ट्रीज,

102– मिनरल कन्सैशन फीस एण्ड रायॅल्टीज

81– अदर रिसिटस;

(ख) इस प्रभाव का शपथ पत्र कि वह खनिजों के अवैध निकालने या उसके (परिवहन से सम्बन्धित किसी अपराध का सिद्धदोष नहीं पाया गया; और

(ग) खनिज आधारित फैक्टरी, बेनीफिसिऐशन प्लान्ट या किसी उद्योग, यदि कोई है की स्थापना के लिए उधोग विभाग या सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा जारी किए गये प्रमाण पत्र की एक प्रति ।

(3) रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन की प्राप्ति पर खनन अधिकारी का कार्यालय, प्ररूप–न में एक सप्ताह के भीतर अभिस्वीकृति रसीद देगा ।

75. अवैध भण्डारण को रोकना .– (1) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश के साथ व्यौहारी के रूप में विधिमान्य अनुज्ञा या रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी स्थान पर किसी साधन द्वारा किसी भी खनिज का भण्डारण नहीं करेगा या भण्डारण नहीं करवाएगा ।

(2) समस्त व्यौहारी, इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश के पास स्वंय को व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करवाएंगें:

परन्तु यथास्थिति, खनन पट्टा या संविदा या निविदा धारक या अनुज्ञा पत्र धारक को उस खनिज की बाबत जिसके लिए उसे खनिज रियायत दी गई है, स्वयं को पृथकतः व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करवाना अपेक्षित नहीं होगाः

परन्तु यह और कि जहां खनिज का स्टॉक पच्चास मीटर टन से कम है तो व्यक्ति को स्वंय का व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करवाना अपेक्षित नहीं होगा यदि उक्त खनिज का भण्डारण उसने अपने वास्तविक उपयोग के लिए किया है ।

76. **खनन अधिकारी द्वारा आवेदन का प्रसंस्करण .–** (1)खनन अधिकारी अपने कार्यालय में प्ररूप–प में एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें वह आवेदन की बाबत इसकी प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् आवश्यक प्रविष्टियां करेगा और सम्यक अनुक्रम में इसका निपटारा करेगा।

(2) खनन अधिकारी व्यौहारी को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्ररूप–फ में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा । आवेदन के इंकार या रद्द करने की दशा में कारणों को लिखित में अभिलिखित किया जाएगा और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उन्हें आवेदक को संसूचित किया जाएगा ।

(3) खनन अधिकारी को नवीकरण हेतु आवेदन, विद्यमान रजिस्ट्रीकरण के अवसान की तारीख से नब्बे दिन पूर्व प्ररूप–ध में किया जाएगा । यदि नवीकरण का आदेश अवसान से पूर्व पारित नहीं किया जाता है तो यह आगामी अवधि के लिए अंतिम निर्णय जब कभी भी संसूचित किया जाए के अध्यधीन, नवीकृत किया गया समझा जाएगा ।

77. **रजिस्ट्रीकरण जारी करने हेतु शर्तें .–** रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्ररूप–'फ' में प्रदान किया जाएगा, अर्थातः–

(i) व्यौहारी, रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन हेतु प्रतिभूति के रूप में, खनन अधिकारी के पक्ष में सम्यक् रूप से गिरवी रखी गई सावधि जमा प्राप्ति (एफ0डी0आर) के रूप में, प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राशि जमा करेगा;

(ii) व्यौहारी, उपाप्त किए गये संसाधित और विभिन्न गंतब्यों को परिवहन किए गये अयस्क तथा खनिज के सही और सुपाठ्य मासिक लेखे रखेगा;

(iii) कोई व्यक्ति, जो खनिज का परिवहन करता है और जिसे प्ररूप–'ब' में अभिवहन पास या प्ररूप–'भ' में अनुपूरक पास धारण करना अपेक्षित है वह मांग पर, ऐसे पास को इस निमित्त किसी प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा;

(iv) प्रत्येक व्यौहारी, उत्तरवर्ती मास की दस तारीख तक खनन अधिकारी को प्ररूप–'म' में विवरणी प्रस्तुत करेगा;

(v) व्यौहारी, भण्डारों या कारखानों से अयस्क या खनिजों को ले जाते समय सम्बद्ध प्राधिकृत अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करेगा और उसके कार्यालय से अभिप्राप्त अभिवहन पास प्ररूप–'ब' या अनुपूरक पास प्ररूप–'भ' के अधीन अयस्क या खनिज का परिवहन करेगा;

(vi) प्रत्येक व्यौहारी, खनिजों के स्टॉक को सत्यापित करने के लिए भण्डारों तथा कारखानों का निरीक्षण करने और उस द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों से नमूने सार लेने के लिए निदेशक उधोग या राज्य भू विज्ञानी या भू विज्ञानी तथा सहायक भू–विज्ञानी या खनन अधिकारी या खनन निरीक्षक को अनुज्ञात करेगा; और

(vii) यदि व्यौहारी ने इस नियम की किसी शर्त का भंग किया है तो नोटिस की तामील के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

78. **अवैध भण्डारण हेतु शास्तिक उपबंध .–** नियम 75 के उप–नियम (1) और (2) का कोई उल्लंधन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 25000/– रूपये (पच्चीस हजार रूपये) तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगाः

परन्तु नियम 75 के उप–नियम(1) और (2) के प्रथम और द्वितीय उल्लंघन का अधिनियम की धारा 22 के अधीन सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा और पश्चात्वर्ती उल्लंधन के सम्बन्ध में मामला इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में दायर किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि प्रशमन फीस की रकम कम से कम 25000/– रूपये जमा स्थल पर अवैध रूप से भण्डार की गई कुल सामग्री के बाजार विक्रय मूल्य से कम नहीं होगी ।

79. **खनिजों का परिवहन .–** (1) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के उपबंधों के अनुसार से अन्यथा किसी खनिज का परिवहन नहीं करेगा या परिवहन नहीं करवाएगा ।

(2) खनन पट्टा या संविदा या अनुज्ञापत्र या अनुज्ञा या भण्डार का धारक या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यान, पशु या परिवहन के किसी अन्य ढंग द्वारा गौण खनिज परेषण धारक प्रत्येक व्यक्ति को सम्बद्ध खनन अधिकारी या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित, यथास्थिति, प्ररूप–'व' में अभिवहन पास या प्ररूप–'भ' में अनुपूरक पास जारी करेगा ।

(3) किसी भी स्थान को किसी खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास जारी करने के लिए व्यौहारी या खनन पट्टा या संविदा अथवा अनुज्ञा का धारक प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा ।

(4) अभिवहन पास तीन प्रतियों में होगा । जिस की दो प्रतियां प्रेषक को दी जाएगी जबकि तीसरी प्रति व्यौहारी या खनन पट्टा या संविदा या अनुज्ञापत्र या अनुज्ञा धारक के पास रहेगी और प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाएगा । जब भी उसके द्वारा मांग की जाए अभिवहन पास की एक प्रति चैक पोस्ट के निरीक्षण अधिकारी और साधक द्वारा अपने पास रखी जाएगी जो दूसरी प्रति को पृष्ठांकित करेगा जो परिवहन के दौरान वाहक के पास रहेगी और उसे, यथास्थिति, व्यौहारी या क्रेता को सौंप देगा :

परन्तु यदि खनिज अन्य राज्य से लाया जा रहा है तो प्रेषक के पास उस राज्य की फर्म या प्रदायकर्ता जो उस खनिज का प्रदायकर्ता है का स्थान और पता उपदर्शित करते हुए उचित दस्तावेज होना चाहिए ।

(5) किसी गौण खनिज को वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चैक पोस्ट/बैरियर सहित किसी स्थान पर इस निमित्त प्राधिकृत राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा मांग पर प्ररूप–'व' में उक्त अभिवहन पास या प्ररूप–'भ' में अनुपूरक पास को ऐसे अधिकारी को दिखाएगा और उसे गौण खनिज की मात्रा के सम्बन्ध में प्ररूप–'व' में या प्ररूप–'भ' में अभिवहन पास या अनुपूरक पास की विशिष्टियां की शुद्धता को सत्यापित करना अनुज्ञात करेगा ।

(6) प्रत्येक व्यौहारी, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को, खनिज के स्टॉक और लेखों और उनसे सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण सत्यापन तथा जांच करने की युक्तियुक्त प्रसुविधा प्रदान करेगा ।

80. अभिवहन में खनिजों को तोलने तथा उनके निरीक्षण हेतु चैक पोस्टों/वैरियरों की स्थापना .–

(1) यदि सरकार, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना निकाले गये खनिजों के परिवहन तथा भण्डारण की जांच करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक समझती है तो यह राजपत्र में अधिसूचित करके राज्य में किसी स्थान या किन्हीं स्थानों पर चैक पोस्टों या बैरियरों या दोनों को स्थापित करने का निर्देश दे सकेगी ।

(2) कोई भी प्राधिकृत अधिकारी, किसी स्थान पर खनिज ले जा रहे किसी भी यान को चैक कर सकेगा और वाहक(कैरियर) का भार साधक व्यक्ति, यथास्थिति, वैध अभिवहन पास प्ररूप–'व' में या अनुपूरक पास प्ररूप–'भ' में और अन्य विशिष्टियां जैसे कि बिल या रसीद या परिदान नोट उस अधिकारी द्वारा मांग पर प्रस्तुत करेगा ।

(3) प्रत्येक चैक पोस्ट या बैरियर पर या किसी अन्य स्थान पर, चैक पोस्ट या बैरियर का भार–साधक प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब कभी इस प्रकार अपेक्षित हो तब वाहक (कैरियर) का भार–साधक व्यक्ति अभिवहन में खनिज के परीक्षण हेतु उसे रोकेगा और खनिज से सम्बंधित समस्त अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए पूर्वोक्त अधिकारी को

अनुज्ञात करेगा । वाहक का भार–साधक व्यक्ति, चैक पोस्ट या वैरियर के भार साधक अधिकारी द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यदि ऐसा करना अपेक्षित है को अपना नाम और पता और वाहक के स्वामी का भी नाम और पता तथा माल भेजने वाले या परेषिती दोनों का नाम और पता देगा । खनिज और वाहक की जांच करने के पश्चात्, चैक पोस्ट या वैरियर का भार–साधक अधिकारी या यथाशक्ति कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी, अभिवहन पास पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(4) यदि प्रेषण, अभिवहन पास के अनुरूप नहीं है तो चैक पोस्ट या वैरियर के भार साधक अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को अभिवहन में खनिज सहित वाहक को अभिग्रहण करने की शक्ति होगी ।

(5) कोई अधिकारी, जो इन नियमों के अधीन, यथास्थिति, वाहक(कैरियर) या खनिज या दोनों के अभिग्रहण के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करता है, तो वह ऐसे अभिग्रहण की सूची तैयार करेगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से ऐसा अभिग्रहण किया गया है, परिदान करेगा । वह ऐसी सम्पति को, प्ररूप–'य' में उचित कार्यालय मुहर तथा विस्तृत सूचना सहित, अपनी अभिरक्षा में रखेगा ।

(6) यथास्थिति चैक पोस्ट या बैरियर का भार साधक अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी वाहक के भार–साधक व्यक्ति को खनिज को निकटतम पुलिस थाना या सम्बन्धित विभाग की चैक पोस्ट या वैरियर तक ले जाने का निर्देश दे सकेगा :

परन्तु यदि भार–साधक व्यक्ति खनिज तथा वाहक को निकटतम पुलिस थाना या विभाग की चैक पोस्ट या वेरियर तक ले जाने से इंकार करता है तो भार–साधक अधिकारी या उप–नियम(4) के अधीन कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी वाहक को अभिगृहित कर सकेगा और उसे अपने कब्जे मे ले सकेगा ।

(7) जब कभी, इन नियमों के अधीन खनिज सहित कोई वाहक किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिगृहीत किया जाता है तो ऐसा अधिकारी इन नियमों के अधीन यथा उपबंधित अपराध के

प्रशमन हेतु ऐसे अभिग्रहण के बदले में स्वामी या वाहक के भार–साधक को विकल्प देगा । स्वामी या वाहक के भार–साधक व्यक्ति के ऐसे विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहने की दशा में, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसके विरूद्व विधिक कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी ।

81. **अवैध परिवहन हेतु शास्तिक उपबन्ध .–** नियम 79 और 80 का कोई उल्लंघन कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष हो सकेगी या जुर्माने से जो 25,000/–रूपये (पच्चीस हजार रूपये) तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगाः

परन्तु नियम 79 और 80 के प्रथम और द्वितीय उल्लंधन के लिए अधिनियम की धारा 22 के अधीन सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा और पश्चातवर्ती उल्लंघन के सम्बन्ध में मामला इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायलय में दायर किया जा सकेगा । अपराध के प्रशमन की रीति निम्न होगीः–

ट्रैक्टर के लिए प्रशमन फीस की रकम 4500/– रूपये (चार हजार और पांच सौ रूपये केवल) से कम नहीं होगी, 7 मीटर टन तक की क्षमता वाले मध्यम ट्रक/टिप्पर के लिए 7000/–रूपये (सात हजार रूपये केवल), 10 मीटर टन तक की क्षमता वाले ट्रक्कों के लिए 15,000/– रूपये (पन्द्रह हजार रूपये केवल), दस मीटर टन से अधिक की क्षमता वाले ट्रक्कों के लिए 25,000/– रूपये (पच्चीस हजार रूपये केवल) और खच्चर/घोड़ा के लिए 200/–रूपये (दौ सौ रूपये केवल) ।

82. **अभिग्रहण तथा अधिहरण .–** (1) जब कभी कोई व्यक्ति किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि से कोई खनिज निकालता है या निकलवाता है और उस प्रयोजन हेतु किसी औजार, उपस्कर या किसी अन्य वस्तु का उपयोग करता है तो वह अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा(4) के अधीन सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा अभिगृहीत किए जाने के लिए दायी होंगे ।

(2) उप–नियम (1) के अधीन अभिगृहीत कोई खनिज, औजार, उपस्कर या कोई अन्य वस्तु नियम 73 और 78 के अधीन अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम न्यायलय के आदेश द्वारा अधिहृत किए जाने के लिए दायी होगी और ऐसे न्यायालय के निर्देशों के अनुसार व्ययनित की जाएगी ।

83. **लिखित शिकायत पर ही अपराधों का संज्ञेय होना .–** कोई भी न्यायालय इन नियमों के अधीन, दण्डनीय किसी अपराध का निदेशक या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिखित में की गई शिकायत के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा ।

84. **विशेष मामलों में छूट .–** सरकार की यदि यह राय है कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के हित में या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित में आदेश द्वारा और कारणों को अभिलिखित करके इन नियमों में यथा अधिकथित से भिन्न निबन्धनों और शर्तों पर किसी खनन पट्टे का प्रदान करना या खनन और खनिज के प्रयोजन के लिए किसी खान का कार्यकरण या स्टोन क्रशर का स्थापित करना और उसका कार्यकरण किसी भी मामले में प्राधिकृत कर सकेगी ।

85. **निरसन और व्यावृतियां .–** (1) दी हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरलज(कनसेशन) रिवाइजड रूल्ज, 1971 और दी हिमाचल प्रदेश मिनरलज(प्रीवेनशन ऑफ इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोटेशन एण्ड स्टोरेज) रूल्ज, 2004 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी निरसित नियमों के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्यानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

प्रथम अनुसूची

नियमों की अधीन अपेक्षित फीस

क्रम संख्या	नियम	विशिष्टियां	फीस(रूपयो में)
1	5(1)	अनुमोदन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फीस	2500/– पांच वष की अवधि के लिए
2	7(ज)(झ) और 16(2)	खनन पटटे/खनन पट्टे के नवीकरण हेतु आवेदन फीस	5000/–(अप्रतिदेय)
3	15(1)	5 हैक्टेयर तक प्रतिभूति निक्षेप/अतिरिक्त क्षेत्र हेतु यथानुपात आधारित अतिरिक्त प्रतिभूति	25,000/–(सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में सम्यक् रूप से गिरवी रखी गई सावधिजमा प्राप्ति (एफ डी आर) के रूप में
4	19(15), 23(6) और 31(2) (xiii)	यांत्रिक खनन हेतु प्रतिभूति	दो लाख रूपये
5	21(1)	खनन पटटे के अंतरण हेतु फीस	50,000/–(अप्रतिदेय)
6	21(2)	आशय पत्र और ग्रान्ट आर्डर /अनुदान (प्रदान किए जाने वाले आदेश) के अन्तरण के लिए फीस	10,000/–(अप्रतिदेय)
7	29(3)	अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन फीस	25,00/–(अप्रतिदेय)
8	38(1)	आर क्यू पी के रूप में मान्यता के लिए आवेदन फीस	5,000/–(अप्रतिदेय)
9	40(2)	खनन योजना के उपान्तरण हेतु फीस	10,000/–
10	54	यथानुपात आधारित प्रति हैक्टेयर वित्तीय बीमा	5,000/–
11	60	अपील करने के लिए फीस	1,000/–(अप्रतिदेय)
12	68	स्टोन क्रशर स्थल का संयुक्त निरीक्षण करने हेतु आवेदन फीस	25,00/–(अप्रतिदेय)
13	69	स्टोन क्रशर के स्थायी रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन फीस	25,00/–(अप्रतिदेय)
14	74	व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन फीस	1000/–(अप्रतिदेय)
15	77	व्यौहारी के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रतिभूति	10,000/–

द्वितीय अनुसूची

रॉयलेटी की दरें

(नियम 4(1), 18(1) और 19(1)(क) देखें)

क्रम संख्या	खनिज का नाम	रॉयलेटी की दरें/नियमों के अधीन अपेक्षित अन्य फीस (प्रति टन)
1	शिला खण्ड और समुद्री कंकड़ सहित चिनाई पत्थर, इमारती पत्थर ।	60.00 रूपये
2	चूना पत्थर	80.00 रूपये
3	**संगमरमरः** (क) चूना दहन के लिए प्रयुक्त (ख) परिष्कृत नक्काशी की हुई और खुरदरी संगमरमर की पट्टियाँ (ग) संगमरमर के टुकड़े, बारीक चूर्ण खंडाज (घ) बीस मैश से अनधिक अपरिष्कृत चूर्ण (कोर्स पाउडर)	 80.00 रूपये 450.00 रूपये 80.00 रूपये 80.00 रूपये
4	बजरी	60.00 रूपये
5	साधारण बालू/प्रस्तर चूर्ण	60.00 रूपये
6	साधारण मिट्टी/स्लेटी पत्थर	30.00 रूपये
7	(क) खुरदरी स्लेट पट्टी (ख) स्लेट (ग) स्फटिक स्लेट	140.00 रूपये 340.00 रूपये 340.00 रूपये
8	कंकर, रोड़ी ब्लास्ट और रोड़ी	60.00 रूपये
9	रंगों और अन्य शैड वाली चट्टानों सहित ग्रेनाइट तथा टैपस/व सॉल्ट के काटे हुए या परिष्कृत शिलाखण्ड (180x80x50 सै.मी. और अधिक आकार के)	500.00 रूपये
10	ईंट मिट्टी	एक लाख ईंटों पर यथानुपात आधार पर 5000/– रूपये
11	समस्त अन्य गौण खनिज जो यहां विनिर्दिष्ट नहीं किए गये है ।	गड्ढे के मुहाने पर विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत

तृतीय अनुसूची

(नियम 18(2) और 19(1)(घ) देखें)

क. अनिवार्य भाटक की रूपयों में दर–प्रति हैक्टेयर–प्रतिवर्ष

क्रम संख्या	गौण खनिज का नाम	अनिवार्य भाटक की दर	
1	गौण खनिज के रूप में चूना पत्थर	प्रति हैक्टेयर और उसके भाग के लिए 25,000/–रूपये प्रतिवर्ष	
2	स्लेट/कट स्टोन	प्रति हैक्टेयर और उसके भाग के लिए 2,000/–रूपये प्रतिवर्ष	
3	अन्य गौण खनिज	**(i) प्राईवेट भूमि**	
		खनन पट्टे का क्षेत्र	प्रति हैक्टेयर और उसके भाग के लिए 10,000/–रूपये प्रतिवर्ष
		(ii) सरकारी भूमि	
		पांच हैक्टेयर तक खनन पटटा क्षेत्र	प्रति हैक्टेयर और उसके भाग के लिए 10,000/–रूपये प्रतिवर्ष
		पांच हैक्टेयर से दस हैक्टेयर तक खनन पटटा क्षेत्र	प्रति हैक्टेयर और उसके भाग के लिए 15,000/–रूपये प्रतिवर्ष
		दस हैक्टेयर से बीस हैक्टेयर तक खनन पटटा क्षेत्र	प्रति हैक्टेयर और उसके भाग के लिए 20,000/–रूपये प्रतिवर्ष
		बीस हैक्टेयर से अधिक खनन पटटा क्षेत्र	प्रति हैक्टेयर और उसके भाग के लिए 20,000/–रूपये प्रतिवर्ष

ख. सतही भाटक की रूपयों में दरे प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष
(नियम 19(1(घ) देखें)

क्रम संख्या	गौण खनिज का नाम	अनिवार्य भाटक की दर
1	सरकारी भूमि के लिए सतही भाटक	प्रति हैक्टेयर 1000/–रूपये

चौथी अनुसूची

हिमाचल प्रदेÓ गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और उसके भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के विभिन्न उपबंधो के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन

नियम	सीमा	प्राधिकृत अधिकारी	सीमा
5(1)	अनुमोदन के प्रमाण पत्र हेतू, आवेदन पत्र प्राप्त करने की शक्ति	निदेशक उद्योग/राज्य भू–विज्ञानी/खनन अधिकारी	उनकी अपनी –अपनी आधिकारिता में
5(3) और 5(4)	अनुमोदन का प्रमाण पत्र प्रदान करने/नवीकरण करने की शक्ति	निदेशक उद्योग/राज्य भू–विज्ञानी/खनन अधिकारी	उनकी अपनी –अपनी आधिकारिता में
7 और 16(2)	खनन पट्टा प्रदान करने/नवीकरण करने के लिए आवेदन को प्राप्त करने की शक्ति	राज्य भू–विज्ञानी	समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में
8(3)	आवेदन की अभिस्वीकृति की शक्ति	राज्य भू–विज्ञानी	समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में
9	खनन पट्टे हेतू, प्राथमिकता समनुदेशित करने की शक्ति	राज्य भू–विज्ञानी	समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में
9(4)	खनन पट्टे हेतू, आवेदित क्षेत्र के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के लिए इनकार करने की शक्ति	1.5 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हेतू, राज्य भू–विज्ञानी और 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र से 3.0 हेक्टेयर क्षेत्र तक के लिए निदेशक उद्योग	समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में
17	आशय पत्र जारी करने और खनन पट्टा प्रदान करने की शक्ति	1.5 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हेतू, राज्य भू–विज्ञानी और 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र से 3.0 हेक्टेयर क्षेत्र तक के लिए निदेशक उद्योग	समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में
23(2) 26(6) 27(7)	आशय पत्र जारी करने और संविदा प्रदान करने की शक्ति	दस लाख रूपए के मूल्य तक राज्य भू–विज्ञानी, पच्चीस लाख रूपए के मूल्य तक, निदेशक उद्योग	समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में
30	गौण खनिज को निकालने हेतू, अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की शक्ति	निदेशक उद्योग	समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में
33	खनिज को उठाने/उसका परिवहन करने हेतू, अनुज्ञा प्रदान करने की शक्ति	प्रति मास बीस हजार मीट्रिक टन तक के लिए राज्य भू–विज्ञानी, बीस हजार मीट्रिक टन से अधिक के लिए निदेशक उद्योग	समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में
57 (3) और 71	शिकायत दर्ज करने की शक्ति	राज्य भू–विज्ञानी/खनन अधिकारी	उनकी अपनी –अपनी आधिकारिता में
63	प्रारूप 'ढ' हस्ताक्षरित करने की शक्ति	खनन अधिकारी	उनकी अपनी –अपनी आधिकारिता में

प्ररूप —क

{नियम 5(1) देखें}

अनुमोदन के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
हिमाचल प्रदेश ।

______________________के माध्यम से

महोदय,

मैं/हम ______________________________________निवेदन करते हैं कि हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के अधीन मुझे/हमें उक्त नियमों के अधीन खनन पट्टा अर्जित करने का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए ।

1. प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए संदेय 2500/—रूपए की फीस, मांगदेय ड्राफ्ट संख्या______________________________तारीख ______________________बैंक का नाम ______________________के माध्यम से प्रेषित है या सरकार खजाना में शीर्षः 0853 नॉन फेरस़ मांइनिंग एण्ड मैटालार्जिकल इन्डस्ट्रीज—102 मिनरल्ज कन्सेशन फीस, रेन्ट और रॉयलेटी के अधीन जमा किए गए हैं और अभिप्राप्त किए गए चालान की पावती संलग्न है ।
2. अपेक्षित विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :—
   - i) पहचान के सबूत सहित व्यष्टि/ फर्म/कम्पनी का नाम और पता,,,:
   - ii) सुसंगत दस्तावेजों सहित फर्म/कम्पनी के व्यष्टि सदस्य की राष्ट्रीयता,,,:
   - iii) फर्म/कम्पनी के निगमन के रजिस्ट्रीकरण का स्थान,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
   - iv) व्यष्टि का व्यवसाय या फर्म/कम्पनी के कारोबार का स्वरूप,,:
   - v) व्यष्टि, फर्म/कम्पनी की तकनीकी अर्हता और अनुभव, यदि कोई हो ;,,:
   - vi) पूंजी की रकम, ताकि व्यष्टि, फर्म/कम्पनी खनन प्रचालन को सुनियोजित तौर पर कार्यान्वित कर सके ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
   - vii) बैंक का संदर्भ, यदि कोई है;,,:
   - viii) प्रतिवर्ष संदत किए जाने वाली आयकर की रकम या भू—राजस्व, यदि कोई हो;
   - ix) कोई अन्य विशिष्टियां, जिन्हें आवेदक देने की वांछा रखता होः,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:

भवदीय

स्थानः

तरीखः

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप ख

{नियम 5(3) और (4) और 7(ज) (ii)देखें}

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

संख्या_____ तारीख_____

अनुमोदन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि _____को व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के रूप में अनुमोदित किया जाता है, जो हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के अधीन गौण खनिज के खनन पट्टों/संविदा/निविदा प्राप्त करने के लिए अर्हित है ।

यह प्रमाण पत्र, ऐसे प्रमाण पत्र को प्रदान किये जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि या खनिज रियायत की अवधि तक, जो भी पूर्वतर हो, के लिए विधिमान्य होगा ।

प्रदान किया गया प्रमाण पत्र, जो _____ को समाप्त हो जाएगा को _____तक नवीकृत किया जाता है ।

जारी करने वाला प्राधिकारी
हिमाचल प्रदेश ।

प्ररूप –ग

{नियम 7 और 16(2) देखें}

खनन पट्टा प्रदान करने/उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन

_____(स्थान पर)_____(समय) _____को प्राप्त किया गया ।

प्रेषक:

_____
_____
_____

_____के माध्यम से

सेवा में,

राज्य भू–विज्ञानी,
हिमाचल प्रदेश ।

I. मैं/हम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में _____हैक्टेयर भूमि में से _____वर्ष की अवधि के लिए _____ को निकालने/एकत्र करने हेतु खनन पट्टा प्रदान करने/नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं ।

II. हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के नियम 7 या 16 (2) के अधीन, संदेय आवेदन फीस के रूप में पांच हजार रूपए की राशि सरकारी खजाना में जमा कर दी गई है और इसके लिए रसीदी चालान संलग्न है ।

III. अपेक्षित विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :

विशिष्टियां

(1) सबूत सहित आवेदक व्यष्टि (यों) फर्म, कम्पनी या सोसायटी का नाम :

(2) सुसंगत दस्तावेजों सहित व्यष्टि (यों) की राष्ट्रीयता या रजिस्ट्रीकरण का स्थान या फर्म, कम्पनी या सोसायटी का निगमन :

(3) व्यष्टि (यों) का व्यवसाय, फर्म या कम्पनी के कारोबार का स्वरूप और कारोबार का स्थान :

(4) सबूत सहित व्यष्टि (यों) फर्म, कम्पनी या सोसायटी का पता :

(5) क्या आवेदन नया पट्टा प्रदान करने के लिए या पूर्वतर प्रदान किए गए पट्टे के नवीकरण हेतु है :

(6) गौण खनिज जिसका आवेदक खनन करने का आशय रखता है:

(7) अवधि जिसके लिए पट्टा अपेक्षित है:

(8) प्रथम वर्ष के दौरान निकाले जाने वाले संभाव्य गौण खनिज की अनुमानित मात्रा:

(9) रीति जिसमें निकाले गए गौण खनिज का भी प्रयोग किया जाएगा:

(क) स्टोन क्रशर हेतु;

(ख) खुली बिक्री हेतु

(ग) किसी अन्य प्रयोजन के लिए

किसी अन्य प्रयोजन की दशा में, जिसके सम्बन्ध में प्रयोजन अपेक्षित है, स्पष्टतया विनिर्दिष्ट होना चाहिए ।

(10) भूमि जिसकी बाबत पट्टा अपेक्षित है उसकी अवस्थिति, सीमाएं और क्षेत्र को दर्शाने वाले स्थल योजना/साईट प्लान (तीन प्रतियों में) द्वारा दृष्टांतस्वरूप दिया गया विवरण, क्षेत्र की अवस्थिति, स्थायी भौतिक विशिष्टताओं, अर्थात् सड़कों, टैंकों, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, राज्य उच्च मार्ग, गाँव/नगर, जल आपूर्ति स्कीमों और पुलों आदि को, आवेदित क्षेत्र से उनकी दूरी इंगित करते हुए, दर्शाया जाना चाहिए ।

(11) सरकार की अधिकारिता के भीतर आवेदित/प्रदान किए गए क्षेत्रों को दर्शाते हुए विवरणी–

(i) गौण खनिजों के नामों को विनिर्दिष्ट करते हुए मेरे/हमारे नाम/नामों (और अन्यों के साथ संयुक्ततः) मेरे/हमारे द्वारा पहले से ही धारित ।

(ii) पहले से ही आवेदित परन्तु अभी तक प्रदान नहीं की गई है; और

(iii) इस राज्य के अन्य जिलों में साथ–साथ ही आवेदन किया है या आवेदन किया जा रहा है, साथ संलग्न है

(12) नवीकरण की दशा में, क्या नवीकरण धारित पट्टे के सम्पूर्ण भाग के लिए आवेदित है या उसके किसी भाग के लिए ।

(13) साधन जिसके द्वारा गौण खनिज निकाला जाना है, अर्थात् शारीरिक या यांत्रिकी या विद्युत शक्ति द्वारा ।

(14) कोई अन्य विशिष्टियाँ, जिन्हें आवेदक देना चाहता है ।

अनुसूची

आवेदित क्षेत्र का विवरण

(1) नाम _____

(क) गाँव/नगर _____

(ख) डाकघर _____

(ग) तहसील _____

(घ) जिला _____हिमाचल प्रदेश

(2) वन भूमि की दशा मेंः

(क) परिक्षेत्र का नाम_____ उप–परिक्षेत्र का नाम

(ख) कार्यशील वृत्त (वर्किंग सर्कल)_____

(3) खनन पट्टे हेतु आवेदित किए गए क्षेत्र का ब्यौराः

_____

(क) खसरा संख्या (ख) मौज़ा/मोहाल (ग) क्षेत्र हैक्टेयर में

_____

_____

(राजस्व अभिलेख मूल रूप में संलग्न होना चाहिए)

(4) आवेदित क्षेत्र का, इसके प्राकृतिक विशेषताओं की बाबत, पूरा विवरणः

_____

_____

भवदीय,

स्थानः _____

तारीखः_____ (आवेदक के हस्ताक्षर)

टिप्पणः

I. कोई भी आवेदन तब तक प्रतिकर्ता के प्रयोजन के लिए पूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक इसे सही रूप में प्रस्तुत न किया गया हो । अपेक्षित समस्त विशिष्टियां समुचित रूप से हस्ताक्षरित और स्टांपित होनी चाहिए ।

II. यदि आवेदन, आवेदक के किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, तो मुख्तारनामा संलग्न होना चाहिए ।

प्रारूप –घ

{नियम 8(3) देखें}

खनन पट्टे या नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति

हिमाचल प्रदेश सरकार

क्रम संख्या _____ दिनांक _____

श्री/सर्वश्री_____

_____

से (गौण खनिज(जों) का/के नाम) _____ के खनन के लिए गाँव/वन खण्ड, परिक्षेत्र

_____ तहसील _____जिला _____में

अवस्थित भूमि के कुल रकबा _____ हैक्टेयर क्षेत्र के लिए खनन पट्टे को प्रदान करने/करने के लिए उसका

निम्नलिखित संलग्नकों सहित आवेदन को (पूर्वाहन्/अपराहन्) प्राप्त हुआ है:–

स्थानः _____

तारीखः_____

राज्य भू–विज्ञानी
हिमाचल प्रदेश

संलग्नकः

प्रारूप –ड.

(नियम 11 देखें)

खनन पट्टा रजिस्टर

1. क्रम संख्याः
2. आवेदक का नाम और पताः
3. भूमि की अवस्थिति और सीमाएँः
4. खनन पट्टे के अन्तर्गत खनिजः
5. कुल क्षेत्रः
6. पट्टा निष्पादित करने की तारीखः
7. अवधि जिसके लिए पट्टा प्रदान किया गया है, नवीकृत किया गया है या विस्तारित किया गया हैः
8. पट्टे के अंतरण की तारीख, यदि कोई है और उसके पक्षकारों के नामः
9. पट्टे के अवसान या त्यजन या रद्दकरण की तारीखः
10. अनुप्रमाणन के प्रमाणस्वरूप, प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षरः

प्ररूप–च

(नियम 17 (3) देखें)

गौण खनिजों के लिए खनन पट्टा विलेख का प्ररूप

यह करार एक पक्ष कार कें रूप में, के माध्यम से राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिन्हें इसमें आगे सरकार कहा गया है और इस पद के अन्तर्गत, जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है और दूसरे पक्षकार के रूप मे.....

जब पट्टेदार एक व्यष्टि है।	.....(पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का नाम) (जिसे इसमें आगे पट्टेदार कहा गया है, और इस पद के अन्तर्गत, जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, इसके वारिस निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेभिती भी है)
जब पट्टेदार एक व्यष्टि से अधिक हैं	..... (पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का नाम) और अन्य पक्षकार (पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का नाम) (जिसे इसमें आगे पट्टेदार कहा गया है और इस पद के अन्तर्गत, जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, इसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और अनुज्ञात समनुदेभिती भी हैं।)
जब पट्टेदार एक रजिस्ट्रीकृत फर्म हैं	.....में सभी भागीदार के रूप में कारबार कर रहे है (पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का नाम और अभिनाम के अर्न्तगत फर्म का पता)(जिसे इसमें आगे पट्टेदार कहा गया है और इस पद के अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, इसके वारिस निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेभिती भी है)

जब पट्टेदार एक रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है .....(कम्पनी का नाम) कम्पनीद्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत.....के माध्यम से कम्पनी अधिनियम,2013 के अधीन एक निगमित कम्पनी और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .....(पता) में है। (जिसे इसमें आगे पट्टेदार कहा गया है और इस पद के अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, इसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुशिती भी है)

.....के मध्य आज तारीख.....को किया गया,

पट्टेदार ने हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के अनुसार भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात खण्ड (ख) में वर्णित किया गया है) की बावत के खनन पटटे के लिए सरकार को आवेदन किया है और सरकार के पास प्रतिभूति के रूप में रूपए की राशि जमा कर दी है। (और पट्टेदार के पास अनुमोदन का विधिमान्य पत्र भी है) और अतः अब इस विलेख के साक्ष्यस्वरूप पक्षकारों ने एतद द्वारा निम्न प्रकार से करार पाया हैः–

1. (क) इसमें इसके पश्चात अन्तर्विष्ट और पटटेदार की ओर से संदन्त निष्पादित और अनुमन्त किए जाने वाले भाटको और रायलेटी प्रसंविदा और करार पर विचार करने पर सरकार एतद द्वारा भूमि में / अधीन स्थित ––––––––––(जिन्हें इसमें इसके पश्चात "उक्त गौण खनिज ") कहा गया है के उन समस्त खानों तलों शिराओं एवं संस्तरों जो खण्ड (ख) में निर्दिष्ट हैं; इसके सम्बन्ध में प्रयोग किए जाने या उपभोग किए जाने वाली स्वतंन्त्र शक्तियों, और विशेषाधिकारों, जो इसमें इसके पश्चात भाग–1 में वर्णित हैं के साथ–साथ, निर्बन्धनों (पाबंदी) और शर्तों के अध्यधीन तथा ऐसे अधिकारों, शक्तियों और विशेषाधिकारों, जो इसमें इसके पश्चात भाग– ।। में वर्णित है, का प्रयोग किए जाने और उपभोग किए जाने हेतु और इस पटटे के अन्य उपबन्धों के अघ्यधीन, पटटेदार को पट्टांतरण प्रदान करती है।

   (ख).उक्त भूमि का क्षेत्र निम्न प्रकार से हैः गांव/मौजा/मोहाल ––––––––तहसील––––––––– जिला ––––––हिमाचल प्रदेश में स्थित खसरा नम्बर––––––––के––––––––क्षेत्र से अन्तर्गस्त भूमि के समस्त भू–भागों को या इससे संलग्न राजस्व नक्शे (ततीमा) या स्थल योजना पर उसके सम्बन्ध में अंकित कर दिया गया है और उसे निम्न प्रकार से सीमांकित कर दिया हैः–

   उतर में––––––––द्वारा

दक्षिण में————————द्वारा

पूर्व में————————————द्वारा और

पश्चिम में————————द्वारा

(जिसे इसमें इसके पश्चात " उक्त भूमि "या" पटटा क्षेत्र कहा गया है) ।

(ग) पटटेदार, एत्द द्वारा प्रदत्त्त और पटटांतरित परिसर को आगामी ————वर्ष की अवधि के लिए———के————तारीख से धारण करेगा।

भाग–1

पटटेदार द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्वातन्त्रय और विशेषाधिकार पटटेदार (रों) द्वारा, इस पटटा विलेख के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा और निम्नलिखित स्वातन्त्रय तथा शक्ति का उपभोग किया जा सकेगाः–

1. **भूमि मे प्रवेश करने और अभिमूत कार्य आदि के लिए तलाशः** उक्त भूमि में प्रवेश करने और बोर करने,खनन करने, खुदाई करने निकासी कार्य हेतु ड्रिल करने, तैयार करने, प्रसंस्करण करने, परिवर्तित करने ले जाने तथा उक्त गौण खनिजों के निपटारे के लिए एतद द्वारा पटटान्तरण अवधि के दौरान समस्त समय पर स्वातन्त्रय और अधिकार।
2. **शाफ्ट और प्रवणों आदि को वसाने, ढकेलने और गडढा बनानाः** इस खण्ड में वर्णित किसी भी प्रयोजन के सम्बन्ध में या के लिए उक्त भूमि में घसान, ढकेलने बनाने, गडढे, शाफ्ट प्रबणों, स्तरों, जलमार्गों, वायुमार्गों और अन्य कार्यो और (उक्त भूमि मे इसी प्रकार के किन्हीं विद्यमानकार्यों के उपयोग, अनुरक्षण करने, गहरा करने और विस्तार करने) को करने, उनका अनुरक्षण करने के लिए और उनके उपयोग के लिए स्वातन्त्रय और अधिकार।
3. **मशीनरी और अपकरणों को लाना और उनका उपयोगः** इस खण्ड में वर्णित किसी भी प्रयोजनों के सम्बन्ध में या के लिए उक्त भूमि के अन्तर्गत या में किसी इंजन,मशीनरी,संयन्त्र,फर्मो की दरेसी करने, भट्टियां, कोयले के चूल्हे, ईंट भटठे, कर्मशालाओं,भण्डार गृह बंगलो,गोदामों और शैड और अन्य भवनों की स्थापना करने, विनिमार्ण करने अनुरक्षण करने और उनका उपयोग करने तथा उक्त भूमि के अन्तर्गत या में इसी प्रकार के अन्य संकर्म करने तथा सुख–सुविधाओं की स्वातन्त्र और अधिकार।

4. **झरनों आदि से पानी का उपयोग करनाः** इस खण्ड में वर्णित किसी भी प्रयोजनों के सम्बन्ध में या के लिए किन्तु विद्यमान या भावी पटटादारियों के अधिकारों के अध्यधीन और कलक्टर की लिखित अनुज्ञा से उक्त भूमि में या पर किसी झरने, जलमार्ग, जल स्त्रोत या किसी अन्य स्त्रोत से जल का समुचित उपयोग और किसी ऐसी नदी या जलमार्ग को बदलना, बढाना या बांध बनाना और किसी ऐसे जल को एकत्रित करना और रोकना तथा किसी जल मार्ग, कृष्ट भूमि,गांव के भवनों को बनाने,सनिमार्ण करने और अनुरक्षण करने या किसी झरने या चश्में को किसी भी प्रकार से गंदा या प्रदूषित किए बिना पशुओं के लिए प्रचलित पानी पीने के स्थानों को पर्याप्त जलापूर्ति की स्वातन्त्रय और अधिकार।

परन्तु पट्टेदार किसी भी नाव्य नदी में नौ परिवहन में बाधा नहीं डालेगा और न ही सरकार की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी नदी के बहाव को बदलेगा।

5. **झाड़–झंकाड़ को काटना और इमारती लकड़ी और वृक्षों आदि का उपयोगः** इस पटटा विलेख में वर्णित किसी प्रयोजन के सम्बन्ध में या के लिए झाड़–झंकाड़ और झाड़–जंगल के साफ करने का स्वातन्त्रय और अधिकार। पटटादारी वन क्षेत्र की दशा में, वन संरक्षण अधिनियम,1980 की अपेक्षाओं के अनुसार उक्त भूमि पर खड़े या पाए गए किन्हीं वृक्षों या इमारती लकड़ी के सम्बद्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित में पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नहीं गिराएगा।

6. **भवन निर्माण और सड़क के लिए सामग्री आदि प्राप्त करनाः** इस पटटा विलेख में वर्णित किसी प्रयोजन के सम्बन्ध मे या के लिए खदान करने और पत्थर,कंकड और अन्य भवन निर्माण और सड़क सामग्री तथा साधारण मिटटी प्राप्त करने और उसका उपयोग करने और उसे काम में लाने तथा ऐसी मिटटी के ईटों या टाइलों के विनिर्माण करने और ऐसी ईटों और टाइलों का प्रयोग करने का स्वातन्त्रय और अधिकार, किन्तु ऐसी किसी सामग्री, ईटों और टाइलों के विक्रय का नहीं का स्वातन्त्रय और अधिकार।

7, **चटटा लगाने के प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करनाः** चटटा लगाने, भण्डारण करने या खान के किसी उत्पाद को उस में एकत्रित करने और किए जा रहे संकर्मों और औजारों,उपकरणों तथा खनन प्रचालन के लिए आवश्यक अन्य सामग्री के प्रयोजनों के लिए उक्त भूमि में प्रवेश करने और सतह के किसी पर्याप्त भाग का उपयोग करने की स्वतन्त्रता और अधिकार।

भाग–।।

पटटेदार द्वारा स्वातन्त्रय के प्रयोग करने के सम्बन्ध में निर्बन्धन

भाग–। के अधीन प्रदत्त स्वातन्त्रय, शक्तियां और विशेषाधिकार निम्नलिखित निर्बन्धनों और इस पट्टा विलेख के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन होंगेः–

1. **सार्वजनिक संकर्मो आदि की सीमा के भीतर कोई खनन प्रचालन नही**: पट्टादार किसी भी स्थल पर किसी रेलवे लाइन से, रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित अनुज्ञा के अनुसार और के अन्तर्गत के सिवाय, सौ मीटर की दूरी नगर निगम/ नगरपालिका की सीमा से दो किलोमीटर नगर पंचायत की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या राष्ट्रीय उच्च मार्ग/एक्सप्रैस वे से सौ मीटर या राज्य उच्च मार्ग से पच्चीस मीटर या अन्य मार्गों से दस मीटर या किसी जलाशय, नहर या भवन या आवासीय स्थलों से सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के अनुसार और के अन्तर्गत के सिवाय, 50 मीटर,के भीतर कोई खनन प्रचालन नहीं किया जाएगा या किया जाना अनुज्ञात नहीं होगा। रेलवे प्रशासन या संयुक्त निरीक्षण समिति ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय,ऐसी शर्ते अधिरोपित कर सकेगी जैसी वह उचित समझे।
2. **भूमि, जो पहले से उपयोग में नहीं है, में सतही प्रचालन के लिए नोटिस**: किसी भूमि, जिसे ऐसे प्रचालन के लिए पहले उपयोग नहीं किया गया है, पर सतही प्रचालन के लिए उपयोग करने से पूर्व पट्टादार, निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश और खनन अधिकारी को, इस प्रकार उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की अवस्थिति और उसका विस्तार विनिर्दिष्ट करते हुए तथा प्रयोजन जिसके लिए यह अपेक्षित है,लिखित में दो कलैण्डर मास का पूर्व नोटिस देगा।
3. **भूमि का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग न करना**: पट्टादार, पटट्ा विलेख में विनिर्दिष्ट से अन्य या प्रयोजनों के लिए न तो भूमि की जुताई करेगा और न ही उसका उपयोग करेगा।
4. **खनन के लिए यान्त्रिक उत्खनक का प्रयोग**: नदी/ नाले के तल पर निदेशक उद्योग की अनुज्ञा से बिना बैकहो के 80 हार्स पावर के टायर मांउटिड फ्रन्ट एण्ड लोडर की सहायता से किया जाएगा।
5. **खनन योजना:** पट्टेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन प्रचालन करेगा/करेगें।

भाग– ।।।

पट्टेदार की प्रसविदांए

पट्टादार एतद्द्वारा सरकार के साथ निम्नलिखित प्रसंविदा (एं) करेगा,–

1. स्वामित्व (रॉयलेटी) की दरः–

(क) पट्टेदार, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर, पटटा क्षेत्र से निकाले गए खनिज की मात्रा पर, अग्रिम में रॉयलेटी संदत्त करेगा। तथापि जब कभी पटटेदार द्वारा उद्योगों को, चूना भटटी से अन्यथा, चूना पत्थर की आपूर्ति की जाती है तो पट्टेदार द्वारा चूना पत्थर के लिए रॉयलेटी जो भी अधिकतर हो, मुख्य खनिज के रूप में संदत्त की जाएगी।

(ख) **गडढे के मुहाने पर विक्रय मूल्य के अवधारण की पद्धतिः** गडढे के मुहाने पर गौण खनिजों के विक्रय मूल्य, उसी ग्रेड के खनिज के लिए, निम्न कम करके वर्तमान बाजार मूल्य होगा।

(i) खान के स्थल से समीपवर्ती रेलपथ तक परिवहन प्रभारः

(ii) रेल पथ से बाजार तक का रेल भाड़ा; और

(iii) बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत से अनधिक अनुमानित चढाई–उतराई प्रभार और अन्य आनुषंगिक व्यय।

(ग) रॉयलेटी की संगणना के लिए पटटेदार खनन कार्यालय के पूर्ववर्ती कलैण्डर मास में पटटा क्षेत्र से निकाले गए और भेजे गए गौण खनिज (जों) की कुल मात्रा और इसका मूल्य और खनिज आधारित उद्योग की दशा में मासिक विघुत उपभोग बिल तथा अन्य अपेक्षित ब्यौरे दर्शाते हुए प्ररूप–'ड' में एक विवरणी प्रत्येक मास की दस तारीख तक प्रस्तुत करेगा। यदि पट्टेदार पूर्ववर्ती मास के लिए देय रायलेटी के मास की दस तारीख तक जमा नहीं करता है, तो मास की दस तारीख के पश्चात व्यतिक्रम अवधि के लिए प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

2. **सतही भाटक(किराया)** :– पट्टेदार, अर्धवार्षिक दो किश्तों में प्रति हैक्टेयर————————/– रूपए की दर पर, उसके द्वारा अधिभोग किए गए क्षेत्र लिए, सतही भाटक संदत्त करेगा। प्राइवेट भूमि के लिए कोई सतही भाटक प्रभावित नहीं किया जाएगा।

3. **अनिवार्य भाटक**,– पटटादारी प्रतिवर्ष————–रूपए प्रति हैक्टेयर की दर से वार्षिक अनिवार्य भाटक भी संदत्त करेगाः

परन्तु पटटादारी प्रत्येक खनिज की बाबत अनिवार्य भाटक रॉयलेटी, जो भी अधिकतर होगी, के संदाय के लिए भी दायी होगा किन्तु दोनों के लिए नहीं।

4. **नए प्रकट हुए खनिजों का खदानः** यदि कोई गौण खनिज, जो पटटे में विनिर्दिष्ट नहीं है, पटटा क्षेत्र में प्रकट होता है (खोजा गया है) पट्टाधारी सरकार को बिना विलम्ब के गौण खनिज के प्रकटन की रिपोर्ट करेगा और उसके लिए पटटा अभिप्राप्त किए बिना ऐसे गौण खनिज को अभिभूत या उसका निपटान नहीं करेगा। यदि वह गौण खनिज के प्रकटन से छह मास के भीतर ऐसे पटटे के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो सरकार या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे खनिज की बाबत पटटा किसी अन्य व्यक्ति को दे सकेगा।

5. **एक वर्ष के भीतर खनन प्रचालन आरम्भ करना और उन्हें समुचित रूप से कार्यान्वित करनाः** जब तक कि सरकार पर्याप्त हेतुक से अन्यथा अनुज्ञात न करें, पटटादारी पटटा विलेख के निष्पादन की तारीख से एक

वर्ष के भीतर खनन प्रचालन आरम्भ करेगा और तत्पश्चात ऐसे प्रचालन, समुचित, दक्षतापूर्ण और कौशलपूर्ण रीति में संचालित करेगा।

स्पष्टीकरण: इस खण्ड के प्रयोजन के लिए खनन प्रचालन के अन्तर्गत मशीनरी की स्थापना, ट्राम वे बिछाना या खान के खदान के सम्बन्ध में सड़क का सन्निर्माण भी होगा।

6. **सीमा के खम्बों आदि की स्थापना और उनका अनुरक्षण**: पटटादारी अपने खर्चे पर पटटे से संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार सीमा चिन्ह और खम्बों की स्थापना करेगा और सभी समयों पर उनका अनुरक्षण करेगा तथा उन्हें अच्छी स्थिति में रखेगा।

7. **लेखे:** पट्टेदार खान से अभिप्राप्त समस्त खनिजों की मात्रा और अन्य विशिस्टियों और उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या और खान की पूर्ण योजना को दर्शाते हुए सही लेखा रखेगा तथा इस निमित्त हिमाचल प्रदेश सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को उसके द्वारा अनुरक्षित किसी लेखे या अभिलेख का किसी भी समय परीक्षण करने की अनुज्ञा देगा, और हिमाचल प्रदेश सरकार या केन्द्रीय सरकार को ऐसी सूचना और विवरणीयां, जैसी यह अपेक्षा करे,पस्तुत करेगा।

8. **अन्य पट्टेदारों आदि को प्रसुविधाएं अनुज्ञात करना**: पट्टादार किसी भूमि के जो पट्टादार द्वारा धारित भूमि में समाविष्ट है या उसके साथ लगती है या जिसके लिए उसके द्वारा पहुॅच है, के विद्यमान और भावी अनुज्ञाति धारियों या पटटादार को/संविदाकारों को उस तक पहुॅच के लिए युक्तियुक्त प्रसुविधाएं अनुज्ञात करेगा।

9. **अधिकारियों के प्रवेश की अनुज्ञा देना:** पट्टेदार हिमाचल प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को पटटे में समाविष्ट किसी भवन, उत्खनन स्थल या भूमि में खानों के निरीक्षण के प्रयोजन के लिए प्रवेश करने की अनुज्ञा देगा।

10. **विवरणियां:**—पट्टादार,—

(क) रॉयलेटी की संगणना के लिए पट्टेदार खनन अधिकारी को पूर्ववर्ती कलैण्डर मास में पट्टा क्षेत्र से निकाले गए और भेजे गए गौण खनिज (जों) की कुल मात्रा और इसका मूल्य और खनिज आधारित उद्योग की दशा में मासिक विघुत उपभोग बिल तथा अन्य अपेक्षित ब्यौरे दर्शाते हुए, प्ररूप—'छ' में प्रत्येक मास की दस तारीख तक एक विवरणी प्रस्तुत करेगा। यदि पट्टादार पूर्ववर्ती मास के लिए देय रॉयलेटी को मास की दस तारीख तक जमा नहीं करता है, तो मास की दस तारीख के पश्चात व्यतिक्रम अवधि के लिए प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

(ख) पट्टेदार, निदेशक और पटटा विलेख में विनिर्दिष्ट अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्येक वर्ष के दौरान अभिप्राप्त गौण खनिज (जों) की मात्रा और मूल्य, नियोजित नियमित श्रमिकों की संख्या (पुरूषों और

महिलाओं की पृथकता), दुर्घटनाओं की संख्या, संदत्त प्रतिकर और कार्य दिवसों की संख्या तथा उन्हें पृथकतया संदत्त मजदूरी की बावत सूचना देते हुए प्ररूप–'ज' मे एक विवरणी भी प्रस्तुत करेगा।

11. **खानों को सुदृढ़ करना और अवलम्ब (सपोर्ट) देना**:– पट्टेदार, राज्य सरकार के समाधान प्रद खान के किसी भाग को, जो उसकी राय मे, किसी रेल–पथ, पुल,राष्ट्रीय उच्च मार्ग, जलाशय,टैंक,नहर,सड़क या किसी सार्वजानिक संकर्म या भवनों के लिए ऐसी सुदृढ़ता प्रदान करना या अवलम्ब (सपोर्ट) अपेक्षित हो, सुदृढ़ बनाएगा और उसकी सहायता करेगा।

12. **विस्फोटक का प्रयोग करने के लिए सूचना**: पट्टेदार विस्फोटक के उपयोग के लिए प्ररूप–'झ' में तत्काल सूचना देगा, जैसे ही

    (क) खनन में कार्य उपरिवर्ती तल से नीचे विस्तृरित होता है,

    (ख) किसी खुले ढलवां उत्खनन की इसके उच्चतम बिन्दू से न्यूनतम बिन्दू तक मापी गई गहराई छः मीटर तक पहुंच गई हो,

    (ग) किसी दिवस को नियोजित व्यक्तियों की संख्या 50 (पचास) से अधिक हो गई हो, और

    (घ) विसफोटक प्रयोग में लाए गये हों ।

13. **स्वच्छता की परिस्थितियों का अनुरक्षण**: पट्टादार पटटे के अन्तर्गत उसके द्वारा धारित क्षेत्र में स्वच्छता परिस्थितियों का अनुरक्षण करेगा।

14. **नुकसान के लिए प्रतिकर संदत्त करना और सरकार को क्षतिपूरित करना**: पटटेदार समस्त नुकसान, क्षति या विध्न जो उसके/उनके द्वारा इस पटटे द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैदा किए जाएं, के लिए, ऐसा युक्तियुक्त समाधान करेगा/करेंगे और ऐसा प्रतिकर संदत्त करेगा/करेंगे, जैसा इस विषय पर प्रवत्त विधि के अनुसार, किसी विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए और समस्त दावों, जो ऐसे नुकसान, क्षति या विध्न की बावत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किए जाएं के लिए और उससे सम्बन्धित समस्त लागतों और व्ययों के लिए राज्य सरकार का क्षतिपूर्ति करेगा/करेंगे तथा इसे पूर्णतया और सम्पूर्ण रूप से क्षतिपूरित रखेगा/रखेंगे।

15. **नियमों का पालन**: पट्टादार, भारत सरकार या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रवर्तित समस्त विद्यमान विधियों (अधिनियमों) और तदधीन बनाए गए नियमों और खान की कार्यप्रणाली और पट्टेदार के कर्मचारियों या जनसाधारण की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों की बावत

समस्त ऐसी अन्य विधियों (अधिनियमों) या नियमों, जो समय–समय पर प्रवर्तित किए जाएं, का पालन करेगा।

16. **दुर्घटना की रिपोर्ट करना**: पट्टेदार, सम्बद्ध जिला के उपायुक्त और खनन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, किसी दुर्घटना, जो पटटा क्षेत्रों में या पर घटित हुई हो, की अविलम्ब रिपोर्ट करेगा।

17. **पटटे के अभ्यपर्ण या उससे पहले पर्यवसान पर भूमि और खानों के कब्जे का परिदान**: पटटे के अन्त में या उससे पहले पर्यवसान (समाप्ति) या अभ्यपर्ण के समय पट्टादार समुचित और खुदाई योग्य स्थिति में उक्त भूमि और समस्त खानों (यदि कोई उसमें खोदी गई हैं) का सिवाय किसी खुदाई की बावत जिसे सरकार ने परित्यक्त करना मंजूर किया हो परिदान करेगा।

18. **तुलाई मशीन की व्यवस्था करना**: पट्टेदार, गडढे के मुहाने के पास या के नजदीक जहां पर उक्त खनिज किनारे पर लाया जाएगा, समस्त समय समुचित रूप से निर्मित और कार्यक्षम तुलाई मशीन की व्यवस्था करेगा और समय–समय पर किनारे पर लाए गए, विक्रय किए गए निर्यात किए गए समस्त उक्त गौण खनिज और परिवर्तित उत्पादों की उस पर तुलाई करेगा या तुलाई करवाएगा तथा प्रत्येक दिन की समाप्ति पर पूर्ववर्ती चौबीस घंटे के दौरान निकाले गए, विक्रय किए गए, निर्यात किए गए और परिवर्तित किए गए उक्त गौण खनिजों, अयस्कों, उत्पादों का ऐसे साधनों द्वारा अभिनिश्चित कुल भार लेखा बहियों में दर्ज करेगा। पट्टेदार उक्त अवधि के दौरान, सभी समयों पर, यथापूर्वोक्त उक्त गौण खनिजों की तुलाई स्थल पर सरकार द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का उपस्थित रहना अनुज्ञात करेगा और उसके लेखे रखेगा तथा पट्टादार द्वारा रखे गए लेखों की जांच करेगा/करेंगे। पट्टेदार प्रत्येक ऐसे माप या तोल का इस आशय से सम्बद्ध खनन अधिकारी को लिखित में 15 (पन्द्रह) दिन का पूर्व नोटिस देगा कि वह स्वयं उसकी ओर से कोई अन्य अधिकारी वहां पर उपस्थित रहे।

19. **गडढों, शाफ्टों को सुरक्षित रखना और उन्हें न भरना**: पट्टेदार गड़ढों और शाफ्टों को अच्छी तरह और समुचित रूप से सुरक्षित रखेगा और लिखित अनुज्ञा के बिना किसी खान या शाफ्ट के जानबूझ कर न तो बन्द करेगा, न ही उसे भरेगा या न ही उसे चोक करेगा।

20. **वन भूमि में प्रवेश या प्रचालन प्रारम्भ न करना**: पट्टादार, पटटा क्षेत्र में समाविष्ट वन भूमि में, सिवाय सक्षम प्राधिकारी की लिखित में पूर्वतर अभिप्राप्त की अनुज्ञा के पश्चात प्रवेश नहीं करेगा या किसी खनन प्रचालन को प्रारम्भ नहीं करेगा।

21. **जलाधिकारों का ध्यान रखना और साथ लगती सम्पती को क्षति न पहुॅचाना**: पट्टादार किसी जल स्त्रोत, ऊर्जा (विद्युत) या जलापूर्ति को क्षति नहीं पहुॅचाएगा या विकृत करना कारित नहीं करेगा और किसी अन्य

प्रकार से किसी चश्में या पानी के नाले को उपयोग के लिए अनुपयुक्त नहीं बनाएगा या साथ लगती भूमि, गांवों या मकानों को क्षति पहुँचाने के लिए कोई कार्य नहीं करेगा।

22. **पटटे की समाप्ति पर शेष स्टॉक**: पट्टेदार, पट्टे के समान या समयपूर्ण, पर्यवसान (समाप्ति) पर पटटा क्षेत्र परिसरों से तीन मास की अवधि के भीतर निकाले गए समस्त खनिजों को हटाएगा और तत्पश्चात उक्त भूमि से पटटे के समापन या समय पूर्व पर्यवसान (समाप्ति) के पश्चात शेष बचे अव्ययनीत समस्त निकाले गए खनिज सरकार की सम्पत्ति समझी जाएगी।

23. करों का संदाय: पटटेदार, पटटा क्षेत्र की बावत समुचित प्राधिकरण को समस्त करों, उपकरों और स्थानीय देयों को सम्यक और नियमित रूप से संदाय करेगा।

भाग–4

राज्य सरकार के अधिकार:–

1. पटटे की समयपूर्व समाप्तिः जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि खानों और खनिजों के विकास को विनियमित करने, प्राकृतिक पर्यावरण के परिरक्षण, बाढ़ नियन्त्रण, प्रदूषण नियन्त्रण या जन स्वास्थ्य के खतरे का निवारण या संसूचना या भवनों या स्मारकों या अन्य अवसंरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने या ऐसे अन्य प्रयोजनों, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे के हित में समीचीन है, तो यह किसी गौण खनिज की बाबत आदेश द्वारा, ऐसे पटटे के अन्तगर्त आने वाले क्षेत्र या उसके किसी भाग की बाबत खनन पटटे को समयपूर्व समाप्त कर सकेगीः

परन्तु खनन पटटे को समयपूर्व समाप्त करने का कोई आदेश, पटटा धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

2. **सरकार पट्टे के पर्यवसित (समाप्त) कर सकेगी**: सरकार को पट्टेदार को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर देयों के संदाय का नोटिस तामिल करने के पश्चात पटटा समाप्त करने का अधिकार होगा। यदि पट्टादार द्वारा अनिवार्य भाटक या रॉयलेटी या आरक्षित या संदेय सतही भाटक, जिसके संदाय के लिए पटटे में नियत तारीख के पश्चात आगामी 15 (पन्द्रह) दिन के भीतर संदाय नहीं करता है, तो सरकार या इस निमित्त इस द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी पूर्वोक्त नोटिस की तमील के पश्चात किसी भी समय उक्त परिसरों मे प्रवेश कर सकेगा और उसमें समस्त या किन्हीं खनिजों या चल सम्पति या उसका इतना भाग जो भाटक या देश स्वामिस्व रॉयलेटी और इसके असंदाय के कारण कारित समस्त लागतों और व्ययों के समाधानप्रद इसके लिए पर्याप्त है, को करस्थम कर सकेगा और इस प्रकार करस्थम की गई सम्पति को ले जा सकेगा, निरोध कर सकेगा या उसके विक्रय के आदेश कर सकेगा।

3. **लोक हित में पटटे का पर्यावसान (समाप्ति)** :सरकार लिखित में छह मास का पूर्व नोटिस देकर पटटे को पर्यवसित (समाप्त) कर सकेगी यदि सरकार यह समझती है कि सरकारी भूमि की दशा में पटटे के अन्तर्गत क्षेत्र लोकहित में औद्योगिक प्रसुविधा स्थापित करने के लिए अपेक्षित है:

परन्तु राष्ट्रीय आपातकाल या युद्ध की दशा में पटटा ऐसा नोटिस दिए बिना पर्यवसित (समाप्त) किया जा सकेगा।

4. **अग्रक्रय का अधिकार**: सरकार को समय–समय पर और पटटे की अवधि के दौरान सभी समयों पर, पटटादारों के नियन्त्रणाधीन एतदद्वारा पट्टांतरित या अन्यत्र उक्त भूमि पर या में पट्टेदार को उक्त खनिजों और उसके पड़े हुए समस्त उत्पादों के अग्रक्रय का पटटादारों को लिखित में नोटिस देकर अग्रक्रय का अधिकार होगा और पट्टादार समस्त खनिजों या उसके उत्पादों को उक्त अधिकार का प्रयोग करने के नोटिस में विनिर्दिष्ट स्थल पर ऐसी मात्रा और रीति में प्रचलित बाजार दरों पर सरकार को परिदान करेगा।

5. **अधिकारियों को प्रवेश अनुज्ञात न करने लिए शास्ति**: यदि पट्टेदार या उसका अंतरिति या समनुदेशिती, भाग– ।।।के खण्ड (9) के अधीन किसी प्रवेश या निरीक्षण के लिए अनुज्ञा नहीं देता है, तो सरकार पटटे को रदद कर सकेगी और हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत)और खनिज (अवैध खनन,उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के अधीन पट्टेदार द्वारा संदत्त जमा प्रतिमूति को संपूर्णतया या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगी।

6. **तृतीय पक्षकार की भूमि का अर्जन और उसके लिए प्रतिकर**: भूमि के अधिभोगी या स्वामी जिसकी बाबत गौण खनिज के अधिकार सरकार में निहित हैं की दशा में सरकार के आरक्षित अधिकार और शक्तियों के प्रयोग करने और, यथास्थिति, पट्टेदार या संविदाकार के पट्टान्तरित करने की अपनी सहमति देने से इन्कार करता है, तो पट्टेदार या संविदाकार सरकार के रिपोर्ट करेगा और प्रतिकर के रूप में प्रस्तावित रकम इसके पास जमा करेगा तथा यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित प्रतिकर की रकम उचित और युक्तियुक्त है या यदि वह उससे सहमत नहीं है और पट्टेदार और संविदाकार ने ऐसी और रकम इसके पास जमा कर दी है जिसे सरकार उचित और युक्तियुक्त समझती है तो सरकार अधिभोगी को पट्टेदार या संविदकार को भूमि में प्रवेश करने को अनुज्ञात करने के लिए तथा ऐसे प्रचालन कार्यान्वित करेगी आदेश देगी जो प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं। ऐसे प्रतिकर की रकम का निर्धाण करने में सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियक संख्यांक 30) के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी।

भाग–5

साधारण

1. **रददकरणः** पटटा सरकार द्वारा रदद किए जाने के लिए दायी होगा यदि पट्टेदार लगातार छह मास की अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित मंजूरी प्राप्त किए बिना खान का कार्य बन्द कर देता है।

2. **नोटिस**: इन विलेखों द्वारा पट्टेदार को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि के ऐसे निवासी व्यक्ति को, जिसे पट्टेदार ऐसे नोटिसों को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे, लिखित में दिया जाएगा और यदि ऐसी नियुक्ति नहीं की गई है तो ऐसा प्रत्येक नोटिस पट्टेदार को पट्टे में अभिलिखित पते पर पट्टेदार के सम्बोधित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या भारत में ऐसे अन्य पते पर, जैसा पट्टेदार सरकार के लिखित में समय–समय पर नोटिस प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट करे भेजा जाएगा और ऐसी प्रत्येक सेवा पट्टेदार पर पर्याप्त और विधिमान्य तामिल समझी जाएगी और उसे उसके/उनके द्वारा प्रश्नगत या आक्षेपित नहीं किया जाएगा।

3. **वसूली**: इस पटटे या किसी अन्य विधि के उपबन्ध द्वारा प्राधिकृत वसूली की किसी अन्य पद्धति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पटटे के विरूद्ध इसके अधीन देय होने वाली समस्त रकम ऐसी वसूली के लिए प्रवृत विधि के अधीन पट्टेदार से भू–राज्स्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

4. **सम्पति का समपहरण**: पटटेदार उक्त भूमि पर पड़ी अपनी सम्पति को, यथास्थिति, पटटे के अवसान या उसके पूर्व पर्यवसान (समापन) के पश्चात तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसी तारिख के पश्चात जिसको उक्त भूमि के पटटेदार द्वारा हिमाचल प्रदेश गौण खनिज रियायत और खनिज (अवैध खनन,उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के नियम 22 के अधीन कोई अभ्यपूर्ण प्रभाव होता है, हटाया जाएगा। तीन मास की उपरोक्त अवधि के पश्चात शेष बची सम्पति समस्त विल्लंगमों से रहित सरकार में निहित हो जाएगी और ऐसी रीति में विक्रीत या व्ययनीत की जा सकेगी जैसी सरकार, पट्टेदार से इसके लिए प्रतिकर संदत्त करने के दायित्व के बिना उचित समझे।

5. **प्रतिभूति और उसका सम्पहरण**: (क) सरकार इस पटटा विलेख के अधीन पट्टेदार द्वारा निष्पादित की जाने वाली प्रसंविदा के भंग होने पर पट्टेदार द्वारा जमा––––रूपए प्रतिभूति की समस्त रकम या उसके किसी भाग के समपहृत कर सकेगी।

   (ख) इस खण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकार इस पटटे के किसी अन्य उपबंध द्वारा या किसी विधि द्वारा राज्य सरकार के प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

   (ग) यदि इस पट्टा विलेख के निबन्धन और शर्तो का कोई उल्लंघन नहीं होता है तो इस पटटे के सम्बन्ध में संदत्त जमा प्रतिभूमि की रकम, इस पटटे के अवसान के पश्चात ऐसी तारीख के, जैसी सरकार

बारह कलैण्डर मास के भीतर नियत करे, पट्टेदार को प्रतिदाय करेगा। निक्षिप्त प्रतिभूति पर कोई व्याज नहीं लगेगा।

6. **क्षेत्र का सर्वेक्षण और निशानदेही**: जब सरकार द्वारा खनन पटटा प्रदान किया जाता है, तो पटटे के अन्तर्गत प्रदान किए गए क्षेत्र के सर्वेक्षण और निशानदेही के लिए, पट्टेदार के खर्चे पर, यदि आवश्यक हो, व्यवस्था की जाएगी। पट्टेदार कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारिवृन्द के वास्तविक व्ययों को वहन करेगा। वास्तविक व्ययों में यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता तथा कर्मचारिवृन्द के वेतन सहित उपकरण प्रभार के रूप में दस प्रतिशत अतिरिक्त सम्मिलित होगा।

7. **पटटेदार का पटटे पर्यवसित (समाप्त) करने का अधिकार**: पट्टेदार सरकार के समस्त परादेय देयों का संदाय करने के पश्चात सरकार को लिखित में कम से कम छह कलैण्डर मास का नोटिस देकर किसी भी समय पट्टे को पर्यवसित कर सकेगा।

8. **नियमों का लागू होना**: पट्टेदार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, मेटलिफेरस माइनज रैग्यूलेशन,1960, खान अधिनियम, 1952, हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और भण्डारण (अवैध खनन,उसके परिवहन का निवारण) नियम, 2015 तथा हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल पॉलिसी, 2013 सहित समय–समय पर लागू विधि के अन्य नियमों के अनुसार कार्य करेगा। अधिनियम या इसके अधीनस्थ विधान के किसी उपबंध के उल्लघन संविदा रदद समझी जाएगी।

इसके साक्ष्य स्वरूप, उपर सर्वप्रथम उल्लिखित
तारीख को इस विलेख को निम्न दर्शाई गई रीति में निष्पादित किया गया।

पट्टादार के लिए और उसकी ओर से	राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के लिए और उनकी ओर से
साक्षीः	
1. ————————————	1. ————————————
2. ————————————	2. ————————————

प्ररूप–छ

[नियम 19 (1) (ख) और 23(7) देखें]

———— मास के लिए मासिक विवरणी

1. पट्टाधारक का नाम व पता.....

2. खान की अवस्थितिः

   (क) ग्रामः————————

   (ख) तहसीलः————————

   (ग) जिलाः————————

3. निकाले गए गौण खनिज (जों) का नामः

4. प्रतिदिन नियोजित व्यक्तियों की औसत संख्याः

   (क) पुरूष (ख) महिला (ग) कुल

5. कार्य दिवसों की औसत संख्याः

6. उत्पादन और रायलेटी का ब्यौराः

   (क) खनिज (जों) का नाम'

   (ख) पूर्ववर्ती मास से अग्रनीत शेष (बन्द) स्टॉक (टन में)

   (ग) मास के दौरान उत्पादन (टन में)

   (घ) मास के दौरान प्रेषण (टन में)

   (ङ) कुल स्टॉक (टन में) (ख+ग)

   (च) शेष (बन्द) स्टॉक (टन में) (ङ–घ)

   (छ) रॉयलेटी का ब्यौराः

      1. देय रॉयलेटी :

      2. संदत्त रॉयलेटी :

      3. अतिशेष रॉयलेटी

   (ज) टिप्पणियां

कृपया ध्यान दें (1) कृपया इस प्ररूप के पिछली ओर उत्पादन, प्रेषण और नियोजित श्रमिकों आदि की पूर्ववर्ती मास की तुलना में हुई बढौतरी या कभी के कारण दें।

पट्टेदार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारिखः————————

प्ररूप–ज

[नियम 19 (1) और (ग) देखें]

....को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अभिप्राप्त गौण खनिज, नियोजित श्रमिकों आदि का वार्षिक विवरण–––––––––––––––––––––––––––––––––

1. पट्टेदार का नाम और पता––––––––––

2. पट्टा क्षेत्र ––––––––––––––––

   ग्राम ––––––––––––––––

   तहसील––––––––––––

   जिला––––––––––––

3. निकाले गए गौण खनिज (जों) का नाम।

4. मीट्रिक टन (एम0 टी0) में उत्पादनः

5. मूल्यः

6. श्रमिकों, कार्य दिवसों और संदत्त मजदूरी की दैनिक औसत संख्या

   (संख्या) (संदत्त मजदूरी)

   पुरूष

   महिला

7. संदत्त किए गए देय भाटक (ख) सतही भाटक

   (क) रॉयलेटी/अनिवार्य/भाटक (ख) सतही भाटक

8. कोई परादेय रकम, यदि कोई है।

9. टिप्पणियां

तारीखः–––––– पट्टेदार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

यह विवरणी पूर्ववर्ती विन्तीय वर्ष अर्थात एक अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए, प्रत्येक वर्ष के 15 अप्रैल तक, निदेशक उद्योग और सम्बन्द्ध खनन अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

प्रारूप–झ

[नियम 19 (12) देखें]

विस्फोटकों का प्रयोग करने के लिए सूचना

1. पट्टेदार का नाम और पता––––––

2. पटटा क्षेत्र–––––––––

   ग्राम––––––––––––

   तहसील––––––––––

   जिला–––––––––––

3. निकाले गए गौण खनिज (जों) का नामः

4. तारीख, जिस को कार्य प्रारम्भ किया गयाः

5. (क) वर्तमान स्वामी का नाम और डाक पताः

   (ख) अभिकर्ता, यदि कोई है,का नाम और डाक पता

6. प्रबन्धक, यदि कोई है, का नाम और डाक पता

   (क) आयु

   (ख) अर्हता

   (ग) खनन में अनुभव

7. क्या खुदाई आधार से उर्ध्ववर्ती बढाने की सम्भावना है।

8. (क) विवृत उत्खनन की अधिकतम गहराई इसके निम्नतर बिन्दु से मापी जाएगी।

   (ख) तारीख, जिसको गहराई प्रथमतः छह मीटर से अधिक हुई है।

9. (क) उपयोग किए गए विस्फोटक की प्रकृति मात्रा और किस्म, यदि कोई हो।

   (ख) तारीख जिसको विस्फोटको का प्रथमतः प्रयोग किया गया।

10. तारीख, जिस दिन नियोजित व्यक्तियों की संख्या पचास से अधिक थी

तारीखः

स्वामी/अभिकर्ता/प्रबंन्धक के हस्ताक्षर

निम्नलिखित को प्रेषित है–

1. मुख्य खान निरीक्षक, भारत सरकार,धन्बाद (ई0 आर0)।

2. निदेशक, भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार, नागपुर।
3. जिले का जिला मजिस्ट्रेट, जहां खान अवस्थित है।
4. निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–1
5. सम्बद्ध खनन अधिकारी।

प्ररूप–'ञ'

(नियम 21 (3) देखें)

खनन् पटटा् के अन्तरण हेतु प्ररूप

जब अंतरक एक व्यष्टि है..... । यह करार स्वयं पक्षकार के रूप में श्री.....

(पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरक कहा गया है और इस पद के अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है इसके वारिस, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती समझे जायेगें)

जब अन्तरक एक व्यष्टि से अधिक है .....(पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का नाम) जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और इस पद के अन्तर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है, इनके अपने अपने वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जायेगें ।

जब अन्तरक एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है..... । (समस्त भागीदारों के पते सहित व्यक्ति का नाम) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म के नाम और अभिनाम के अधीन भागीदारों में कारोबार करने वाली.....(फर्म का नाम) और..... .....में अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय रखनें वाली (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अन्तरक" कहा गया है और इस पद के अन्तगर्त, जहां संदर्भ के अनुकूल है उक्त समस्त भागीदार इनके अपने–अपने वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जायेगें)

जब अन्तरक एक रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है..... (कम्पनी का नाम) कम्पनी द्वारा सम्मयक रूप से प्राधिकृत जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.....(पता) में है..... .....के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन नियमित और प्रथम पक्षकार के रूप में कम्पनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अन्तरक" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल, इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी है समझे जायेगें और जब अंतरिती एक व्यष्टि है ..... । (पते और व्यवसाय सहित व्यष्टि का नाम) (जिसे इसके इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है और इस पद

के अन्तर्गत, जहां सदर्भ मे अनुकूल है इसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जायेगें।

जब अन्तरिती एक व्यष्टि से अधिक है .....(पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है और इस पद के अन्तर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है, इनके अपने अपने वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जाएंगें)।

जब अन्तरिती एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है .....। (समस्त भागीदारों के पते सहित व्यक्ति का नाम) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है फर्म के नाम और अभिनाम के अधीन भागीदारी में कारबार करने वाली ....(फर्म का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है और इस पद के अन्तगर्त, जहां संदर्भ के अनुकूल है उक्त समस्त भागीदार उनके अपने–अपने वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जायेंगें।

जब अन्तरिती एक रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है.....। (कम्पनी का नाम) अधिनियम जिसके अधीन निगमित है) के अधीन रजिस्ट्रीकृत और जिसका रजिस्ट्रकृत कार्यालय..... (पता) में है कम्पनी द्वितीय पक्षकार के रूप में कम्पनी(जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है और इस पद के अन्तर्गत, जहां के अनुकूल है , इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जायेगें) दूसरे पक्षकार के रूप में कम्पनी और तीसरे पक्षकार के रूप में राज्यपाल के माध्यम से इसके पश्चात्.....(जिन्हे इसमें "राज्य सरकार" कहा गया है और इस पद के अन्तर्गत पक्षकार जहां संदर्भ के अनुकूल है उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी समझे जायेंगें) के बीच आज तारीख.....को किया गया।

राज्य सरकार (जिसे इसमें पटटा् कर्ता, कहा गया है) और अन्तरक (जिसे इसमें पटटे्दार कहा गया हैं) के मध्य सब–रजिस्ट्रार के कार्यालय..... में (स्थान) और जिसकी मूल प्रति इसके साथ संलग्न है और जो क चिन्हित की गई है, तारीख.....को हुए और .....(तारीख) को.....संख्या के रूप में रजिस्ट्रीकृत पटटे् के करार के आधार पर, अन्तरक, उसकी अनुसूची में और इससे संलग्न अनुसूची में भी वर्णित भूमि में .....(खनिज) (खनिजों) का नाम) की बाबत अवधि के लिए और भाटक और रॉयलेटी के संदाय और संरक्षित और अन्तग्रस्त पट्टा के उक्त विलेख में पट्टेदार

की प्रसंविदा और शर्तों के अनुपालन और निष्पादन के अध्यधीन तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना उसके अधीन पटटे् या किसी हित को समनुदेशित न करने की प्रसंविदा सहित खानों और खनिजों का अनुसंधान करने , प्राप्त करने और संकर्म करने का हकदार है।

अंतरक अब अंतरिती को पटटे् का अंतरण करने और समनुदेशित करने का इच्छुक है और राज्य सरकार ने, अंतरक के अनुरोध पर ,(राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के साथ) अंतरक को आदेश संख्या.....तारीख.....द्वारा अंतरिती के साथ करार करते हुए अंतरिती की शर्तों के आधार पर पट्टे का ऐसा अन्तरण और समनुदेशन करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी है और इसके पश्चात् इसमें निम्नलिखित निबन्धन और शर्तें तय करके अन्तर्विष्ट की गई है।

यह विलेख इस बात का साक्षी है किः—

1. अंतरिती, राज्य सरकार के साथ एतद् द्वारा प्रसंविदा करता है कि पटटे् के अन्तरण और समनुदेशन से और इसके पश्चात्, अतंरिती, इसमें इसके पूर्व परिवर्णित उक्त पटटे् में अंतविष्ट समस्त प्रसंविदाओं, अनुबंधो और शर्तों के समस्त उपबन्धों के अध्यधीन होगा और उनके निष्पादन, अनुपालन और अनुरूप के लिए उसी रीति में सभी प्रकार से बाध्य और दायी होगा, मानों अंतरिती को पट्टा उसके अधीन पट्टेदार के तौर पर प्रदान किया गया है और उसने इसे मूल रूप से इस प्रकार निष्पादित किया है
2. इसके अतिरिक्त एक पक्षकार के रूप में अंतरक द्वारा और दुसरे पक्षकार के रूप में अंतरिती द्वारा एतद्, द्वारा यह भी करार पाया गया है और घोषित किया जाता है कि—
   (i) अंतरक और अंतरिती घोषणा करते हैं कि उन्होंने सुनिश्चित किया है कि उस क्षेत्र पर, जिसके लिए खनन् पट्टा अंतरित किया जा रहा है, खनिज अधिकार राज्य सरकार में निहित है।
   (ii) अंतरक एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उसने खनन् पट्टा जो अब अंतरित किया जा रहा है, को समनुदेशित, सबलेट, बंधक या किसी अन्य रीति में अन्तरित नहीं किया है और यह कि अन्तरित किए जा रहे विद्यमान खनन् पटटे् के अधीन किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अधिकार, हक या हित नहीं है।
   (iii) अंतरक यह भी घोषणा करता है कि उसने ऐसे कोई करार, संविदा या समझौता नहीं किया है जिसके द्वारा वह प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षत : किसी स्थायी विस्तार तक वित्तपोषित हो या जिसके अन्तर्गत अन्तरक का परिचालन अथवा समझौते, अन्तरक से अथवा किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थायी रूप से नियन्त्रित किए जा रहे थे/किए जा रहे हैं।

(iv) अंतरिती एतद् द्वारा घोषणा करता है कि उसने उन समस्त शर्तों और दायित्वों को स्वीकार कर लिया है जो ऐसे खनन् पटटे् की बावत अंतरक के पास थे।

(v) अंतरिती यह भी घोषणा करता है कि वह वित्तीय रूप से समर्थ है और खनन परिचालनों को प्रत्यक्षत : जिम्मा लूगा ।

(vi) अंतरिती यह भी घोषणा करता है कि उसने यह कथन करते हुए शपथ–पत्र दाखिल कर दिया है कि उसने अद्यतन आय कर विवरणियां दाखिल कर दी हैं।

(vii) अंतरक ने अंतरिती को क्षेत्र में संकर्मों की समस्त योजनाओं की मूल या अनुप्रमाणित प्रतियां दे दी है।

(viii) अंतरक ने इस पट्टे की बाबत आज की तारीख तक सरकार को समस्त भाटक, रायलेटी और अन्य देय संदत्त कर दिए हैं।

इसके साक्ष्यस्वरूप पक्षकारों ने उपरोक्त लिखित तारीख और वर्ष को इस पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

<u>अनुसूची</u>

पटटे् की अवस्थिति और क्षेत्र

.....(परगना).....रजिस्ट्रीकरण जिला.....उप जिला..... और थाना.....में.....(क्षेत्र या क्षेत्रों का विवरण) पर स्थित भूकर सर्वेक्षण संख्याओं .....वाली.....क्षेत्र से अंतर्ग्रस्त भूमि के समस्त भू–भागों को इससे संलग्न योजना पर उसके सम्बन्ध में अंकित कर दिया गया है और उसे निम्न प्रकार से रंगीन और सीमांकित कर दिया है:–

उत्तर में.....द्वारा

दक्षिण में.....द्वारा

पूर्व में.....द्वारा और

पश्चिम में.....द्वारा

साक्षियों की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर किए

साक्षी

1.

2.

साक्षियों की उपस्थिति में अंतरक के हस्ताक्षर

1.

2.

साक्षियों की उपस्थिति में अंतरिती के हस्ताक्षर

1.

2.

प्ररूप–'ट'

(नियम 23 (4), 26 (8) एवं 27(9) देखें)

करार विलेख

यह करार एक पक्षकार के रूप में .....हिमालच प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सरकार" कहा गया है जिसके अन्तर्गत, जब संदर्भ ऐसा करना अनुज्ञात करे, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी समझे जाएंगें) के माध्यम से राज्यपाल हिमाचल प्रदेश और तारीख .....को किया गया है।

जब संविदाकार

एक व्यष्टि है .....(पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का नाम).....जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविदाकार" कहा गया है और इस पद के अन्तर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है, इनके अपने अपने वारिस, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी समझें जाएंगे।

जब संविदाकार

एक रजिस्ट्रीकृत

फर्म है .....(भागीदार का नाम और पता) सपुत्र श्री..... भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म के नाम और अभिनाम के अधीन.....(फर्म का नाम) फर्म द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत.....के माध्यम से भागीदारों में समस्त कारबार करने वाली और.....शहर में .....पर अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय रखने वाली.....(फर्म का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संविदाकार (रों) कहा गया है इस पद के अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है उक्त समस्त भागीदार, इनके अपने–अपने वारिस, निष्पादक विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जाएंगे।

जब संविदाकार एक

रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है .....(कम्पनी का नाम) कम्पनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत. .....के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित एक कम्पनी और.....(पता) में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय वाली दूसरे पक्षकार के रूप में, (जिसे इसके पश्चात संविदाकार कहा गया है और इस पद के अन्तर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है इनके वारिस निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी हैं)

के बीच आज तारीख.....को किया गया। रियायत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज और खनिज (अवैध खनन् उसके परिवहन और भण्डारण के निवारण नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "उक्त नियम" कहा गया है) के अनुसार.....(गौण खनिज का नाम) के उत्खनन के लिए संविदाकार (रों) की .....(स्थान का नाम) पर .....की गई निविदा रकम..... रूपये (रूपये.....केवल) को सरकार द्वारा, इसके नीचे लिखित युक्तिका के भाग– । में वर्णित भूमि की बावत.....से.....वर्षों तक के लिए स्वीकृत किया गया है तथा इसके अंन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं की सम्यक पूर्ति हेतु (रूपये.....केवल) की रकम प्रतिभूति के रूप में राज्य सरकार के पास जमा कर दी गई है । सरकार ऐसी प्रतिभूति राशि में से किसी रकम की कटौती करने हेतु सशक्त है जो संविदाकार (रों) से, या तो संविदा राशि की बावत या इसके अधीन उस द्वारा सरकार को संदेय किसी अन्य रकम की बावत देय हों ।

यदि इस संविदा के उपबन्धों के अधीन प्रतिभूति राशि या उसके ऐसे अतिशेष को प्रतिसंहृत न किए जाने पर और उपरोक्त वर्णित कटौतियों को करने के पश्चात, शेष बची राशि को इस संविदा की अवधि के अवसान के पश्चात और सरकार का अपना समाधान हो जाने के पश्चात, कि इस संविदा की अवधि का संविदाकार (रों) द्वारा सम्यक रूप से और आदरपूर्वक निर्वहन किया गया है, संविदाकार (रों) को वापिस किया जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप संविदा राशि, प्रसंविदाओं और करारों और इन प्रस्तुतियों में और इसके अधीन लिखित, आरक्षित और अंतर्विष्ट युक्तिका पर विचार करते हुए तथा संविदाकार (रों) के

पक्ष में संदत्त, अनुमत और कार्यान्वित किए जाने के पश्चात, सरकार एतद् द्वारा संविदाकार (रों) को स्वीकृति प्रदान करती है/संविदा समाप्त करती है।

भूमि के अधीन स्थित.....(जिन्हें इनमें इसके पश्चात् और युक्तिका में उक्त खनिज कहा गया है) के उन समस्त खानों, तलों, शिराओं एवं संस्तरों, जो उक्त युक्तिका के भाग–। में निर्दिष्ट किए गए हैं, का प्रयोग इनके सम्बन्ध में उपयोग किए जाने या उपभोग किए जाने वाले (स्वातत्र्य) शक्तियों और विशेषाधिकारों के साथ–साथ, उक्त नियमों में वर्णित सरकार में निहित अधिकारों (स्वातत्र्य) , शक्तियों और विशेषाधिकारों के सिवाय और इस पटटान्तरण आरक्षित रहने पर ऐसे अधिकारों (स्वातत्र्य) शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग करने और उपभोग करने पर पाबन्दी और शर्तों के अध्यद्यीन किया जाएगा।

संविदाकार इसके द्वारा प्रदत्त और अन्तरित परिसर को .....वर्ष की अवधि के लिए.....की .....तारीख से धारण करेगा/करेगे।

संविदाकार, एतद् द्वारा सरकार के साथ प्रसंविदा (एं) करता है/करते हैं और सरकार एतद् द्वारा संविदाकार (रों) के साथ प्रसंविदा करती है जैसाकि उक्त नियमों में अभिव्यक्त किया गया है।

और एतद् द्वारा दोनों पक्षकारों के मध्य पारस्परिक रूप से करार पाया जाता है जैसा कि उक्त युक्तिका के भाग–।।। में अभिव्यक्त किया गया है।

युक्तिका

भाग–।

खान के क्षेत्र की अवस्थिति और विवरण

खनन के प्रयोजन के लिए इससे उपाबन्द राजस्व नक्शे (ततीमा) स्थल योजना पर अंकित ..... के क्षेत्र से अन्तर्विष्ट .....खसरा नम्बर वाले, गावं.....तहसील.....जिला.....में स्थित भू–भाग या भूमि, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त भूमि के रूप में कहा गया है।

भाग– ।।

संविदा राशि की रकम और संदाय की रीति

1. संविदाकार, संविदा के अस्तित्व के दौरान.....(खदान का नाम) बावत की उसे/उन्हें..... .....अवधि से.....वर्ष तक.....(किस्तों की रकम की संख्या) के लिए, दी गई संविदा पर नीचे वर्णित संविदा राशि को सरकार को संदत्त करेगा/करेंगें। तारीख जिसको किस्त संदत्त की जानी है।

कार्रवाई, यदि संविदा राशि समय पर संदत्त नहीं की जाती है:

2. इन विलेखों के निबन्धन और शर्तों के अधीन सरकार को देय संविदा राशि की किसी किस्त को यदि संविदाकार (रों)द्वारा नियत समय के भीतर संदत्त नहीं किया जाता है तो उसे ऐसे अधिकारी के ऐसे प्रमाण पत्र, जैसा सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्निष्ट किया जाए, पर प्ररूप–'ढ' में उसी रीति में वसूल किया जा सकेगा, जैसे भू–राजस्व का बकाया ।
3. संविदाकार खनन स्थल से, खान से निकाले गए स्लेटों/लघु खनिजों को तब तक न तो हटाएगा और न ही निर्यात करेगा जब तक कि उसने, इस भाग के खण्ड (1) में अधिकथित संविदा राशि की किस्त संदत्त न कर दी हो।
4. (क) निदेशक उद्योग/राज्य भू–विज्ञानी/खनन अधिकारी अपने विवेक पर प्रतिवर्ष 12% (बारह प्रतिशत) की दर से ब्याज के संदाय पर किसी विशिष्ट किस्त के संदाय की अवधि को विस्तारित कर सकेगा।

(ख) यदि संविदाकार, नियत तारीख तक सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना संविदा राशि की किसी किस्त या उसके किसी भाग को संदत्त करने में असफल रहता है/रहतें हैं, तो वे, सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर विस्तारण के एक सप्ताह के व्यतीत होने के पश्चात प्रतिवर्ष 24% (चौबीस प्रतिशत) की दर से शास्ति के रूप में संदत्त करने हेतु दायी होगें, जिसका संदाय उसके/उनके स्लेटों/गौण खनिजों के अभिग्रहण और निरोध द्वारा, इससे पूर्व वर्णित प्रतिभूति राशि में से वसूल किया जाएगा। यदि ऐसी निष्फलता 30 दिन तक बढ़ जाती तो क्रेता, स्लेट/गौण खनिज खदान या स्लेटों/गौण खनिजों के समस्त दावे से वंचित होने और उनकी ओर से क्रेता द्वारा परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में करार के निबन्धनों के अधीन पहले से संदत्त समस्त राशि को खनन अधिकारी द्वारा रोके जाने हेतु दायी होगा और खनन अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन, संविदा को निरस्त कर सकेगा।

भाग–3

सधारण शर्तें : (1) **अन्य खनिजों का पता चलना**

(क) संविदाकार किसी खनिज के जो संविदा में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, खनन क्षेत्र में पता चलने पर उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को इसके पता चलने (प्रकटीकरण) के तीस दिन के भीतर देगा**;**

(ख) यदि कोई खनिज का, जो संविदा में विनिर्दिष्ट नहीं है, खनन क्षेत्र में पता चलता (प्रकट होता) है तो संविदाकार तब तक ऐसे खनिज की छँटाई और उसका निपटारा नहीं करेगा जब तक कि इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा अभिप्राप्त न कर ली गई हो।

(2) **विदेशी नागरिक को नियोजित नहीं करना** : संविदाकार राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, खनन प्रचालन के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है, नियोजित नहीं करेगा।

(3) **सीमांकन चिन्हों को स्थापित करना और उनको बनाए रखना**: संविदाकार , संविदा से संलग्न योजना में दर्शाए गए सीमांकन के उपदर्शित करने के लिए अपने खर्चे पर आवश्यक सीमांकन चिन्हों और खम्बों की स्थापना करेगा और सभी समयों पर उनको बनाए रखेगा तथा उन्हें अच्छी स्थिति में रखेगा।

(4) **खनिजों के सही लेखों का अनुरक्षण**: संविदाकार खान से अभिप्राप्त और प्रेषित समस्त खनिजों का परिमाण मात्रा और विशिष्टियां दर्शाते हुए परिवहन की पद्वति, यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या, यान या पशु के प्रभारी व्यक्ति और वहन किए जा रहे खनिज की प्रकृति और परिमाण (मात्रा), विक्रय मुल्य , उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या और उनकी राष्ट्रीयता तथा खान की पूर्ण योजना, दर्शाते हुए सही लेखे रखेगा और इस निमित केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के उसके द्वारा रखे गए (अनुरक्षित) किसी लेखे, योजना और अभिलेख को किसी भी समय परीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का इस निमित दोनों में से किसी प्राधिकृत अधिकारी को , ऐसी सूचना, जैसी अपेक्षित हो, देगा।

(5) **खाईयों, गडढों आदि के अभिलेख का अनुरक्षण**: संविदाकार, संविदा के अन्तर्गत, उसके द्वारा किए गए खनन प्रचालन के क्रम में उसके द्वारा खोदी गई खाईयों, गडढों और ड्रिलिगंज का सही अभिलेख रखेगा और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसका निरीक्षण करना अनुज्ञात करेगा। ऐसे अभिलेख में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात:–

(क) अवमृदा और स्तर (स्ट्रेटा) जिसमें ऐसी खाईयां, गडढे बनाए गए हैं और जिसके माध्यम से ड्रिलिगंज गुजरती हैं,

(ख) कोई खनिज पाया जाता है,

(ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिसकी केन्द्रीय या राज्य सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे।

(6) **निर्बन्धनः** संविदाकार, किसी रेल पथ से, रेल प्रशासन की पूर्व लिखित अनुज्ञा के अनुसार और के अन्तर्गत के सिवाय, 100 मीटर की दूरी के भीतर या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के अनुसार के अन्तर्गत के सिवाय राष्ट्रीय उच्च मार्ग से 100 मीटर की दूरी या राज्य उच्च मार्ग से 25 मीटर की दूरी या अन्य सड़कों से 10 मीटर की दूरी या किसी जलशय, नहर या भवन या आवासीय स्थलों से 50 मीटर तक किसी स्थल पर खनन प्रचालन कार्यान्वित नहीं करेगा या उसे कोई खनन प्रचालन कार्यान्वित करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। रेल प्रशासन या संयुक्त निरीक्षण समिति, ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने में ऐसी शर्तें, जैसी यह उचित समझें, आधिरोपित कर सकेगा/सकेगी।

(7) **पंहुच के लिए प्रसुविधाएः** (क) संविदाकार किसी भूमि, जो पट्टेदार द्वारा धारित भूमि में समाविष्ट है या उसके साथ लगती है, या उस द्वारा उसके के लिए पंहुच है, के विद्यमान और भावी अनुज्ञप्ति–धारियों धारियो या पटटाधारकों या संविदाकारों के उसके लिए पंहुच हेतु युक्तियुक्त प्रसुविधा अनुज्ञात करेगा।

(ख) संविदाकार, सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, खान के निरीक्षण के प्रयोजन के लिए पटटे में समाविष्ट किसी भवन या भूमि में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात करेगा और ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जैसे निरीक्षण अधिकारी द्वारा, खनिजों के वैज्ञानिक खुदान और परिरक्षण के लिए समय समय पर जारी किए जाएंः

परन्तु यदि संविदाकार भाग–।।। के खण्ड 7 (ख) के अन्तर्गत प्रवेश करना या निरीक्षण करना अनुज्ञात नहीं करता है तो सरकार संविदा को रद्द कर सकेगी और संविदाकार द्वारा जमा, संदत्त प्रतिभूति का पूर्णतया : या भागतः समपहरण कर सकेगी।

(8) **लोक उपयोगिताओं की सुरक्षाः** संविदाकार, यथास्थिति , रेल प्रशासन या राज्य सरकार के समाधानप्रद, खान के किसी भाग जिसका उसकी राय में किसी रेल पथ, पुल, राष्ट्रीय उच्च मार्ग जलाशय टैंक, नहर, सड़क या किन्ही अन्य लोक संकर्मो या भवनों की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ीकरण या अवलम्ब देना अपेक्षित है, सुदृढ़ीकरण करेगा या उसको अवलम्ब देगा।

(9) **विस्फोटक का प्रयोग करने लिए सूचनाः** पट्टेदार विस्फोटक के उपयोग के लिए प्ररूप–'झ' में तत्काल

सूचना देगा, जैसे ही

(क) खनन में कार्य उपरिवर्ती तल से नीचे विस्तृरित होता है,

(ख) किसी खुले ढलवां उत्खनन की इसके उच्चतम बिन्दू से न्यूनतम बिन्दू तक मापी गई गहराई छः मीटर तक पहुंच गई हो,

(ग) किसी दिवस को नियोजित व्यक्तियों की संख्या 50 (पचास) से अधिक हो गई हो, और

(घ) विसफोटक प्रयोग में लाए गये हों ।

10. **संविदाकार द्वारा वहन किये जाने वाले व्ययः** जब सरकार द्वारा संविदा प्रदान की जाती है, तो संविदा के अन्तर्गत प्रदान किए गए क्षेत्र के सर्वेक्षण और निशानदेही के लिए संविदाकार के खर्चे पर, यदि आवश्यक हो, व्यवस्था की जाएगी। संविदाकार कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारीवृन्द के वास्तविक व्यय को वहन करेगा। वास्तविक व्ययों में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और कर्मचारीवृन्द के वेतन सहित उपकरण प्रभार के रूप में दस प्रतिशत सम्मिलित होगा।

भाग–4

संविदा का नियमों प्रसविदाओं और उनकी शर्तों के भंग पर पर्यवसान समाप्त किया जा सकेगा

(1) यदि संविदाकार (रों) उक्त नियमों और इस संविदा की किसी प्रसंविदा (ओं) शर्त (शर्तों) को कोई भंग करता है या करतें है तो सरकार संविदा का पर्यवसान (समाप्त) कर सकेगी जौर जमा प्रतिभूति का पूर्णता : या भागतः समपहरण करेगी :

परन्तु संविदाकार (से) को संविदा का पर्यवसान (समाप्त) करने से पूर्व भंग को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। .

(2) यदि संविदा उपरोक्त खण्ड (1) के अधीन रद्द या पर्यवसित (समाप्त) की गई है तो संविदाकार ऐसे रद्दकरण या उससे पहले पर्यवसान (समापन) के समय तक देय संविदा राशि के लिए दायी रहेगा। और सरकार उक्त भूमि की पुन : नीलामी/पुन : निविदा कर सकेगी।

(3) **संविदाकार (रों) का संविदा के अवसान पर अपनी/उनकी सम्पत्तियों का हटानाः** संविदाकार, इन विलेखों के फलस्वरूप पहले से संदेय संविदा राशि के संदत्त करने पर वह/वे अपनी सम्पत्ति आदि जैसे ईंजन, मशीनरी, संयन्त्र, भवन, अवसंरचना और अन्य संकर्म, स्थापन और सुविधाएं जो संविदाकार द्वारा उक्त भूमि में या उस पर सृजित की गई है, स्थापित की गई है या रखी गई है ,उक्त संविदा के अवसान या पूर्व पर्यवसान, (समापन) पर तीन मास की अवधी के भीतर ले जा सकेगा/जा सकेगें या उन्हें हटा सकेगा/या हटा सकेगें।

(4) **संविदा के अवसान या पूर्व पर्यवसान (समापन) के पश्चात् शेष रही सम्पत्ति का समपहरणः** यदि उक्त संविदा के अवसान या पूर्व पर्यवसान (समापन) के अन्त में उक्त भूमि में या उस पर कोई ईंजन, मशीनरी, संयन्त्र, भवन, अवसंरचना और संकर्म स्थापन तथा सुविधाएं या अन्य सम्पत्ति रह जाती है तो खनन अधिकारी द्वारा संविदाकार को लिखित में दिए गए नोटिस के पश्चात तीन कलैण्डर मास के भीतर यदि संविदाकार द्वारा नहीं हटाया जाता है तो यह सरकार की सम्पत्ति समझी जाएगी और उसका ऐसी रीति में, जैसी सरकार संविदाकार, (रों) को किसी प्रकार के प्रतिकर के संदाय के दायित्व के बिना उचित समझे विक्रय किया जा सकेगा या उसका व्ययन किया जा सकेगा।

(5) **नोटिस**–इन विलेखों द्वारा संविदाकार (रों) को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि के ऐसे निवासी व्यक्ति को, जिसे संविदाकार (रों) ऐसे नोटिसों को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करें, लिखित में दिया जाएगा और यदि ऐसी नियुक्ति नहीं की गई है तो ऐसा प्रत्येक नोटिस संविदाकार (रो) को इस करार में अभिलिखित पते पर संविदाकार (रों) को सम्बोन्धित द्वारा या भारत में ऐसे अन्य पते पर, जैसा संविदाकार सरकार को लिखित में समय समय पर नोटिस प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट करे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा और प्रत्येक ऐसी तामील संविदाकार पर प्रर्याप्त और विधिमान्य तामील समझी जाएगी और उसे उसके/उनके द्वारा उसे प्रश्नगत या उसके बारे में कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा।

(6) संविदाकार खान स्थल पर आवश्यक दवाईयों से समावेशित दो प्राथमिक उपचार पेटिकाओं की व्यवस्था करेगा/करेगें।

(7) संविदाकार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन प्रचालन कार्यान्वित करेगा/करेगें।

(8) संविदाकार खान के लिए कम से कम तीन मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा/बनाएगें और इसे अच्छी स्थिति में अनुरक्षित रखेगा/रखेगें।

(9) संविदाकार 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा/करेगें।

(10) संविदाकार श्रमिकों के नियोजन, उत्पादन और प्रयोग किए गए विस्फोटकों आदि के अभिलेख, और ऐसा अन्य अभिलेख, जैसा सम्बद्व खनन् अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुरक्षित करेगा/करेगें।

(11) इस संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों के अधीन इस विलेख के रद्दकरण की दशा में सरकार के पास खदान की पुन : नीलामी करने या पुन : निविदा करने का अधिकार एतद्द्वारा अभिव्यक्त रूप से आरक्षित है।

(12) संविदाकार, इस विलेख के निबन्धनों और शर्तों के स्वयं द्वारा या उसके अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा सम्यक् अनुपालना हेतु स्वयं/उन्हें उत्तरदायी समझेगा/समझेगें।

(13) संविदाकार को न तो खदान से हटाने न ही खदान से निकाले गए स्लेटों/गौण खनिजों के निर्यात के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने इस युक्तिका के भाग–2 के खण्ड (1) में अधिकथित समय पर संविदा राशि संदत्त न कर दी हो।

(14) यह भी करार किया जाता है कि यह विलेख, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अर्थान्तर्गत, उन कार्यों को करने के लिए है जिनमें जनता की अभिरूचि है ।

(15) **संविदा को समनुदेशित करना, उप पटटे पर देना या उसका अन्तरण करना।**

संविदाकार किसी व्यक्ति के ,सरकार से लिखित में पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना संविदा को समनुदेशित नहीं करेंगा/करेंगें, उप पट्टे पर नहीं देगा/देंगें या अन्तरण नहीं करेगा/करेंगें।

(16) **कार्य स्थल की घेराबन्दी (फेनसिंग) करना**

यदि कार्यस्थल असुरक्षित प्रतीत होता है तो संविदाकार समस्त व्यक्तियों को खतरनाक क्षेत्र से तुरन्त हटा लेगा और ऐसे कार्यस्थल की समस्त पंहुँच को, सिवाय खतरे के निवारण या जीवन रक्षा के प्रयोजन के लिए, उसकी/उनकी अपनी लागत पर स्थल के समस्त प्रवेश द्वारों की पूरी चौड़ाई की सुरक्षित घेराबन्दी द्वारा निवारित करेगा/करेंगें। संविदात्मक संकर्मों पर संविदाकार द्वारा नियोजित श्रमिक को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन, किसी प्रतिकर का संदाय करने के लिए संविदाकार दायी होगा/होंगें न कि सरकार।

(17) **तृतीय पक्षकार के दावों से सरकार को क्षतिपूरित रखना**

संविदाकार किसी तृतीय पक्षकार के दावे से सरकार को क्षतिपूरित रखेगा/रखेंगें और ऐसे दावों का परिनिर्धारण उसकी/उनकी अपनी सहमति से करेगा/करेंगें।

(18) **भू–स्वामियों के प्रतिकर का संदाय**

संविदाकार भूमि, जिसमें से गौण खनिज निकाले जाएंगें/खोदे जाएंगें के स्वामियों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के अधीन कलक्टर द्वारा नियत दर पर नुकसान का प्रतिकर संदत्त करेगा/करेंगें।

(19) **वृक्षों का गिरान**

संविदाकार भूमि, जहां खदान अवस्थित है , पर खड़े वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी से उन वृक्षों की बावत लिखित में पूर्व अनुज्ञा अभिपाप्त किए बिना न तो गिराएगा और न ही काटेगा।

(20) **प्रतिबंन्धित क्षेत्रों में सत्ही प्रचालन कार्यान्वित न करना**

संविदाकार किसी प्राधिकरण द्वारा प्रतिबन्धित किसी क्षेत्र में सम्बद्व प्राधिकरण से लिखित में पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना कोई सतही प्रचालन कार्यान्वित नहीं करेगा।

(21) **नदी या नाले के तल में यान्त्रिक उत्खनन पर निर्बन्धन**

नदी या नाले के तल में यान्त्रिक उत्खनन सक्षम प्राधिकारी अर्थात निदेशक, उद्योग की अनुज्ञा से, बिना बेकहो के 80 हार्स पावर तक के टायर माउंटिड फ्रन्ट एण्ड लोडर की सहायता से ही किया जाएगा।

(22) **आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों में प्रवेश और कार्य न करना**

संविदाकार सक्षम प्राधिकारी से लिखित में पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना किसी वन भूमि में न तो प्रवेश करेगा/करेंगें और न ही उसमें कोई कार्य करेगा/करेंगें।

(23) **इस संविदा को समस्त विधियों, नियमों और विनियमों का लागू होना**

यह संविदा उन समस्त विधियों, नियमों और विनियमों के अध्यधीन है जो सरकार द्वारा खानों के कार्यों और संविदाकार, कर्मचारियों या जनसाधारण की सुरक्षा, स्वास्थ्य और प्रसुविधा, चाहे भारतीय खान अधिनियम या अन्यथा के अधीन हो, को प्रभावित करने वाले विषयों को विनियमित करने के लिए समय–समय पर जारी किए जा सके।

(24) **दुर्घटना की रिपोर्ट करना**

इस संविदा के प्रचालन के दौरान संविदाकार किसी भी समय जीवन हानि या गंभीर शारीरिक क्षति कारित करने वाली या जीवन या सम्पत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली या संकटापन्न किसी दुर्घटना, जो उक्त भूमि में या उस पर घटित हो की अविलम्ब रिर्पोट सम्बद्व कलक्टर और खनन अधिकारी को भेजेगा/भेजेंगें।

(25) **रिपोर्ट और विवरणियां प्रस्तुत करना**

संविदाकार उत्पादन और अन्य मामलों से सम्बन्धित रिपोर्ट और विवरणियॉ उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप–छः में प्रस्तुत करेगा

(26) **व्यतिक्रय के लिए शास्ति**

संविदाकारों या सेवकों द्वारा इस संविदा के किसी निबन्धन या शर्त के भंग की दशा में, समस्त ऐसे मामलों में संविदाकार, उक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा।

(27) संविदा के निबंन्धनों और शर्तों की सम्यक अनुपालना में या देय तारीख को संविदा राशि के संदाय में व्यतिक्रय की दशा में सरकार द्वारा या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा एक मास का नोटिस देकर, जमा प्रतिभूति सहित अग्रिम में संदत्त किस्त, यदि कोई है, के समपहरण सहित संविदा को पर्यवसित (समाप्त) किया जा सकेगा।

(28) **राज्य सरकार द्वारा लोकहित में संविदा का पर्यवसान (समाप्ति)**

जहॉं राज्य सरकार की यह राय है कि खानों के विनियमन और खनिजों के विकास, प्राकृतिक पर्यावरण के परिरक्षण, बाढ़ नियन्त्रण और प्रदूषण नियन्त्रण या जनस्वास्थ्य के खतरे के निवारण के लिए या संसूचना या भवनों, स्मारकों या अन्य अवसंरचानाओं की सुरक्षा के हित में यह समीचीन है या अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझें, ऐसी संविदा के अन्तर्गत ऐसे किसी क्षेत्र या उसके किसी भाग की बावत खनन पटटे का पूर्व पर्यवसान (समापन) कर सकेगी:

परन्तु राष्ट्रीय आपातकाल या युद्व की स्थिति में संविदा ऐसा नोटिस दिए बिना पर्यवसित (समाप्त) की जा सकेगी।

(29) **प्रतिभूति निक्षेप**

संविदाकार (रों) द्वारा जमा की गई प्रतिभूति, सक्षम प्राधिकारी के नाम में सम्यक रूप से गिरवी सावधि जमा प्राप्ति (एफडीआर) के रूप में होगी।

(30) **संचालनीय स्थिति में खान के कब्जे का परिदान**

संविदाकार (रों) संचालनीय स्थिति में खान का कब्जा खनन अधिकारी को प्ररिदत करेगा/(गें)। यदि वह/वे इसे मलवे से भरता है/भरते हैं तो मलवे को संविदाकार (रों) की लागत पर साफ करवाया जाएगा और इस प्रकार खर्च की गई रकम उसके/उनके प्रतिभूति निक्षेप से काटी जाएगी।

(31) **राज्य सरकार का संविदाकार (रों) को हुई हानि के लिए उत्तरदायी न होना**

सरकार , संविदाकार को हुई किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(32) **स्टॉम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण प्रभार**

इस विलेख पर स्टॉम्प शुल्क या रजिस्ट्रीकरण प्रभार, यदि कोई है, संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा।

श्री.....सुपुत्र श्री.....जाति.....ग्राम..... तहसील.....जिला.....हिमाचल प्रदेश ने .....(संविदाकार) और राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के निमित और उसकी ओर से कार्य कर रहे हिमाचल प्रदेश सरकार के .....ने उपरोक्त तारीख को इसके निबंधनों की स्वीकृति के प्रमाण–स्वरूप इस विलेख पर इसको साक्ष्य स्वरूप उपर लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए है। (यदि संविदाकार एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म और अभिनाम.....(फर्म का नाम) के अधीन भागीदारी के रूप में भागीदार श्री.....सुपुत्र श्री.....जाति.....ग्राम..... .....तहसील.....जिला..... कारबार करने वाली फर्म की ओर से

और उसके निमित कार्य कर रहा है, ने और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की ओर से और उसके निमित तथा उसके प्राधिकार के अधीन कार्यरत.....हिमाचल प्रदेश सरकार..... विभाग ने उपरोक्त तारीख को इसके निबंधनों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप इस विलेख पर इसके साक्ष्यस्वरूप उपर लिखी तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए है। (यदि संविदाकार एक रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है).....नाम और अभिनाम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी की ओर से निमित श्री.....सुपुत्र श्री.....जाति.....ग्राम..... .....तहसील.....जिला.....इस निमित सम्यक रूप से प्राधिकृत या उक्त कम्पनी को निगमित करने वाले परिनियम के अधीन और राज्यपाल , हिमाचल प्रदेश सरकार के निमित और उसकी ओर से कार्य कर रहे हिमाचल प्रदेश सरकार के ..... ने उपरोक्त तारीख को इसके निबन्धनों की स्वीकृति के प्रमाणस्वरूप इस विलेख पर इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के	(संविदाकार) के लिए और उसकी ओर से
लिए और उनकी ओर से.....	.....
द्वारा हस्ताक्षरित	(फर्म या कम्पनी का नाम)
पता.....	पता.....

साक्षी

1.....

पता.....

साक्षी

2.....

पता.....

प्ररूप–'ठ'

{नियम 30 देखें}

अनुज्ञा–पत्रों के लिए प्ररूप

संख्या.....तारीख.....श्री.....सुपुत्र श्री.....

गांव.....डाकघर.....तहसील.....जिला.....

हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के नियम 29 के अधीन खसरा नम्बर.....मौजा.....

.....तहसील.....जिला.....कुल रकबा.....हैक्टेयर/बीघा से .....

मिट्रिक टन के उत्खनन और हटाने के लिए अनुज्ञा–पत्र के लिए आवेदन किया है, आवेदन फीस (रूपये.....

संदत कर दी है और अग्रिम में.....रूपए रॉयलेटी के रूप और.....रूपए प्रतिभूति के रूप में संदत्त कर दिए हैं। उपरोक्त खसरा नम्बर से ..... मिट्रिक टन के हटाने के लिए एतद्द्वारा अनुज्ञा नीचे दी गई शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है ।

1. श्री.....

उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश

के निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी

<u>शर्तें</u>

1. अनुज्ञापत्र धारक, सरकार को किसी तृतीय पक्षकार के दावे के लिए क्षतिपूरित रखेगा/करेगा और ऐसे दावे को अपने स्तर पर इसके प्रोदभूत होने पर यथाशक्यशीघ्र सुलझाएगा।
2. अनुज्ञापत्र धारक, गौण खनिज का ऐसी रीति में उत्खनन करेगा ताकि इससे किसी सड़क, सार्वजनिक मार्गों, भवनों, सार्वजनिक मैदानों परिसर को विघ्न न हो या उन्हें कोई नुकसान न पहुँचें।
3. अनुज्ञा पत्र धारक, अनुज्ञापत्र के अवसान पर या तो उत्खनन की भराई करेगा या सुरक्षा के लिए बाड़ा लगाएगा जैसा निदेशक या सम्बद्व खनन् अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हो।

4. अनुज्ञापत्र धारक, भूमि, जहाँ से गौण खनिज निकाला जाएगा/खोदा जाएगा,के स्वामी को , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 (2013 का 30) के अधीन कलक्टर द्वारा नियत दर पर, अग्रिम में नुकसान के प्रतिकर का संदाय करेगा।
5. अनुज्ञापत्र धारक, वन क्षेत्रों के साथ–साथ अन्य क्षेत्र की बाबत, सक्षम प्राधिकारी से लिखित में पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कोई भी वृक्ष नहीं गिराएगा/काटेगा।
6. अनुज्ञापत्र धारक किसी प्राधिकरण द्वारा प्रतिषिद्व किसी क्षेत्र में ,सम्बद्व प्राधिकारी से लिखित में पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना, सतही प्रचालन नहीं करेगा।
7. अनुज्ञापत्र धारक उपायुक्त और सम्बद्व खनन अधिकारी को सभी दुर्घटनाओं की तुरन्त रिर्पोट देगा।
8. नदी तल में खनन की गहराई एक मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगीः
   परन्तु जहां नहरीकरण के लिए अपेक्षित कतिपय स्थलों में खनिजों के अत्यधिक जमाव या अधिक अम्बार के बारे में संयुक्त निरीक्षण समिति प्रमाणित करती है तो यह नदी के निश्चित स्थलों पर दो मीटर तक हो सकेगी।
9. अनुज्ञापत्र के अवसान पर या रद्दकरण के तत्काल पश्चात खान के किनारे पड़ी हुई सामग्री, जहां से वे निकाली गई है, पूर्णतया सरकार की सम्पति हो जाएगी।
10. व्यतिक्रम की दशा में उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति सरकार को समपहृत हो जाएगी।
11. नदी/नाले के तल पर अभियान्त्रिक खनन केवल बिना बैकहो 80 हार्स पावर तक के टायर माउंटिड फ्रन्ट एण्ड लोडर की सहायता से सक्षम प्राधिकारी अर्थात निदेशक उद्योग की अनुज्ञा से किया जाएगा।
12. कोई अन्य शर्त जो अनुज्ञापत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाए।

    अनुज्ञापत्र.....तक विधिमान्य होगा।

प्ररूप–'ड'

{नियम 35 देखें}

खनन योजना के लिए प्ररूप

प्रस्तावना

1. साधारण

1.1 आवेदक का नाम और पता.....

आवेदक का नाम.....

आवेदक का पता.....

डाकघर.....

तहसील.....

जिला.....

पिन .....

दूरभाष.....

ईमेल.....

1.2 आवेदक की प्रास्थिति

(प्राईवेट वैथेष्टिक/प्राईवेट कम्पनी या कोई अन्य)

1.3 खनिज जिनका आवेदक खनन करना चाहता है:

1.4 अवधि जिसके लिए खनन पट्टा/संविदा प्रदान की गई है। आशय पत्र का संन्दर्भ (छाया प्रति संलग्न की जाए):

1.5 खनन योजना तैयार करने वाले रजिस्ट्रीकृत अर्हित व्यक्ति का नाम और पता (जिसे इसमें इसके

पश्चात आर.क्यू.पी. निर्दिष्ट किया गया है):

आर.क्यू.पी. का पता.....

नाम.....

गांव.....

डाकघर.....

तहसील.....

जिला.....

पिन.....

दूरभाष.....

ईमेल.....

आर.क्यू.पी. की रजिस्ट्रीकरण संख्या.....तक विधिमान्य।

1.6 पूर्वक्षेण अभिकरण का नाम और पता

नाम.....

गांव.....

डाकघर.....

तहसील.....

जिला.....

पिन.....

दूरभाष.....

ईमेल.....

2. क्षेत्र की अवस्थिति और पहुँच (अवस्थिति नक्शा संलग्न किया जाए)

2.1 टोपोशीट नम्बर

क्षेत्र का अक्षांश और रेखांश.....

क्षेत्र का अवस्थिति नक्शा.....

2.2 क्षेत्र की अवस्थिति का ब्यौरा

2.2 क. क्षेत्र का ब्यौरा, राजस्व अभिलेख निम्नलिखित आरूप में संलग्न किया जाए।

क्रम संख्या	क्षेत्र का ब्यौरा					
	खसरा नम्बर	क्षेत्र	स्वामी	किस्म	मौजा	पंचायत

पते का ब्यौरा

गांव.....

पटवार वृत.....

डाकघर.....

तहसील.....

जिला.....

2.3 उपमण्डल कार्यालय (नागरिक).....

उपमण्डल कार्यालय (वन).....परिक्षेत्र कार्यालय.....

उपमण्डल कार्यालय सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य.....

उपमण्डल कार्यालय लोक निर्माण विभाग.....

2.4 महत्वपूर्ण स्थानों से किलोमीटर में दूरी

1.

2.

3.

2.5 क्षेत्र तक पहुँच

3. क्षेत्र की भौताकृतिक अवस्थिति

3.1 साधारण :

3.2 ऊंचाई : खान क्षेत्र सम्मिलित करने के लिए नक्शे और परिरेखा सहित साधारण भूभाग का विवरण

3.3 क्षेत्र की जलवायु

3.4 क्षेत्र की वर्षा

3.5 कोई अन्य महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता

3.6 खनन क्षेत्र का विवरण

भाग– I

भू–आकृति विज्ञान और खान विकास का विवरण

क. नदी के तल खनन की दशा में:–

(खनन योजना हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 मेटलीफेरस मांईनिग रेगुलेशन, 1961 और समय–समय पर जारी अन्य मार्गदर्शक सिन्द्वातों के अनुसार ही तैयार की जाए)।

1. नदी/नाला के तल जिस पर खान अवस्थित है, का विवरण

1.1 साधारण

1.2 नदी/नालों का नाम जिस पर खान अवस्थित है

1.3 जल–विकास प्रणाली

1.4 जल–विकास का प्रभार

1.5 नदी/नाले का उदगम

1.6 उदगम पर ऊंचाई (ऐल्टिच्यूड)

1.7 नदी के जलागम क्षेत्र की भूमिती जो तलछट की पुन : पूर्ति का समाघात करती है जलागम का कुल क्षेत्र।

खनन स्थल तक जलागम का क्षेत्र।

उदगम से संगम तक नदी तल की रूपरेखा, खनन स्थल से नदी तल तक की रूपरेखा, खनन स्थल के नजदीक नदी तल के ढाल का कोण।

खनन स्थल पर कटाव का आवर्तन (आरम्भिक यूथफुल विकसित या पुरानी)

खनन के स्थान पर नदी की चौड़ाई :

1.8 नदी/नाले के तल पर वार्षिक जमाव

1.9 खनन स्थल पर नदी/नाले में भण्डारण की सक्षमता (अर्थात सबसे बड़े भाग का भार जिसका नाले द्वारा अभिवहन किया गया है)

(खान की सीमाओं, साथ लगता क्षेत्र, क्षेत्र/नजदीक के क्षेत्र में लोक उपयोगिता के स्थल (ग्राम पथ, सड़क, विद्यालय, आवासीय घर, अस्पताल, पशुशाला, पूर्त भवन, जलमार्ग, कब्रिस्तान/शमशान–भूमि, पूजा के स्थान आदि क्षेत्र में वन विभाग के कोई कार्यकलाप जैसे कि भूमि परिक्षण कार्य, नर्सरी रोपण चैक डैम, नालों/नदी को उपयोगी बनाना इत्यादि, सड़कों के प्रकार जैसे राष्ट्रीय उच्चमार्ग, राज्य उच्चमार्ग, सम्पर्क सड़क, ग्राम सड़क, कोई पुल, कोई जलापूर्ति स्कीम जैसे कि जलापूर्ति टैंक, जलापूर्ति कुँआ, सिचांई नहर, जलापूर्ति स्कीम, गैलरीज आदि, समीपवर्ती खान क्षेत्र की सीमा, यदि कोई है, भूक्षरण के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्र और कोई अन्य महत्वपूर्ण विशेषता को दर्शाने वाला नक्शा संलग्न किया जाए।

1.10 निम्नलिखित सहित खनन स्थल के नजदीक नदी का घुमावदार रूपः–

उच्चतर बाढ़ का स्तर

निम्नतर बाढ़ का स्तर

घुमाव में अति गहरे पानी का रास्ता(थ्रेड)

1.11 खनन क्षेत्र की ऊंचाई (उच्चतम और निम्नतम परिरेखा स्तर दें)

1.12 खनन क्षेत्र में मानसून से पहले और बाद का भूगर्भ जल सारणी का विविरण

(2) **भूविज्ञान** :

2.1 जलागम क्षेत्र का भूविज्ञान :

2.2 क्षेत्र का स्थानीय भूविज्ञान :

2.3 शिलाखण्डों, बजरी (कंकड़), बालू आदि की प्रकृति :

2.4 तट की चट्टानों की प्रकृति और उनकी स्थिति :

2.5 जलागम क्षेत्र के भूविज्ञान से सम्बन्धित बार्षिक जमाव का विवरण और अन्य कारक

3. **संरक्षित अनुमान** :

3.1 खनन क्षेत्र में पत्थर, बजरी (कंकड़) और बालू आदि का प्रतिशतता–बार वितरण (गड्ढे और खाई आदि की स्थिति को दर्शाते हुए मानचित्रण को समुचित परिमाप के साथ संलग्न किया जाए)

3.2 प्रत्येक खनिज अर्थात बालू, पत्थर और नदी से निकाली गई बजरी (कंकड़) का भूवैज्ञानिक संरक्षित अनुमान :

3.3 पटटा् क्षेत्र में बालू, पत्थर और नदी से निकाली गई बजरी (कंकड़) के खनन योग्य संरक्षित अनुमान।

3.4 नदी तल में बालू, पत्थर और नदी से निकाली गई बजरी (कंकड़) खनिज के अनुमानित वार्षिक जमाव : यह दर्शाने के लिए कि खनन पट्टा क्षेत्र में बालू और सम्बद्व खनिजों की वार्षिक पुनः पूर्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए पुरोगामी खनन हेतु बनाई गई योजना के अनुसार उस सतह तक खनन प्रचालन जारी रखने के लिए प्रर्याप्त है।

4. **खान विकास और पुरोगामी खनन योजना** :

कार्य प्रणाली का संक्षिप्त विवरण, खान का विकास, (हाथ से किया गया, अर्ध यान्त्रिक, यान्त्रिक)

4.1 लापरवाही से किए गए उत्खनन, अधिक दोहन, अपशिष्ट का विखराव, यदि कोई हो, को रोकने के लिए पूर्वावधानी बरतने के साथ पहले पांच वर्ष की अवधि के लिए विकास और उत्पादन प्रोग्राम।

4.2 वर्षवार उत्पादन, खनिजों, खान अपशिष्ट और हटाई गई मिट्टी के विक्रय/उपयोग्य का चार्टस और ग्राफस के साथ ब्यौरा दें।(उत्खनन की वर्षवार योजनाएं संलग्न की जाएं)

4.3 खनिज का अंतिम उपयोग। केपटिव क्रशर और मुफ्त विक्रय के लिए सामग्री के उपयोग के वर्षवार ब्यौरे।

4.4 (क). औद्योगिक ईकाई और बाजार के लिए खनिजों के सडक परिवहन के ब्यौरे। सड़क अवसंरचना की पर्याप्तता के ब्यौरे दें।

(ख) **पहाड़ी ढंलान खनन की दशा में :–**

(खनन योजना हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण नियम, 2015 मेटलीफेरस मॉईनज रेगुलेशन, 1961 और समय–समय पर जारी मार्गदर्शक सिन्द्वातों के अनुसार तैयार की जाए)।

(1) **क्षेत्र का विवरण जिसमें खान अवस्थित है**

1.1 साधारण,

1.2 ढलान कोणः चोटियों एवं घाटियों के विवरण,

1.3 क्षेत्र में जल–निकास का रूख, यदि कोई है, और क्षेत्र के जल–निकास का विवरण (क्षेत्र में नदी/नाले के ब्यौर) यदि कोई है,

1.4 क्षेत्र में भू–स्खलन की संभावना, यदि कोई है,

1.5 क्षेत्र में झरने, यदि कोई है,

1.6 कोई अन्य ब्यौरे

(खान की सीमाओं, साथ लगता क्षेत्र, क्षेत्र/नजदीक के क्षेत्र में लोक उपयोगिता के स्थल (ग्राम, पथ, सड़क, विद्यालय, आवासीय घर, अस्पताल, पशुशाला, पूर्त भवन, जलमार्ग, कब्रिस्तान/शमशान–भूमि, पूजा के स्थान आदि क्षेत्र में वन विभाग के कोई कार्यकलाप जैसे कि भूमि परिक्षाण कार्य, नर्सरी रोपण चैक डैम, नालों/नदी को उपयोगी बनााना आदि सड़को के प्रकार जैसे राष्ट्रीय उच्चमार्ग, राज्य उच्चमार्ग, सम्पर्क सड़क, ग्राम संड़क, कोई पुल, कोई जलापूर्ति स्कीम जैसे कि जलापूर्ति टैंक, जलापूर्ति कुँआं, सिंचाई नहर, जलापूर्ति स्कीम, गैलरीज आदि, सीमावर्ती पट्टा क्षेत्र की सीमा, यदि कोई है, भूक्षरण के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्र और कोई अन्य महत्वपूर्ण विशेषता, को दर्शाने वाला नक्शा संलग्न किया जाए।

2. भूविज्ञान :

2.1 क्षेत्र का क्षेत्रीय भूविज्ञान

2.2 क्षेत्र का स्थानीय भूविज्ञान

2.3 खनन क्षेत्र में किए जाने वाले भावी कार्य के ब्यौरे।

2.4 चट्टानों की प्रकृति और उनकी स्थिति।

चट्टान की विशेषता और स्थिति का विवरण

(चट्टान की ढाल, प्रकृति, मिश्रित प्रकार, कठोरता, निश्चित घनत्व आदि)(गड्ढे और खाई आदि की स्थिति को दर्शाते हुए समुचित मानचित्रण परिमाप के साथ क्षेत्र का भूविज्ञानिक नक्शा संलग्न है)

3. **संरक्षितः**

3.1 प्रमाणित, समाव्य और संभव श्रेणी और विश्लेषनात्मक रिपोर्टो द्वारा समर्थित प्रमाणन की मानक पद्वति द्वारा संरक्षित खनन योग्य ग्रेड सहित प्रत्येक खनिज के भू–वैज्ञानिकीय संरक्षण के अनुमान।

3.2 खनन के लिए बाध्यकारी विचारण (सार्वजनिक सड़के, साथ लगती प्राईवेट भूमि,वन, भू–स्खलन ग्रस्त क्षेत्र, विद्युत खम्बे या लोक उपयोगिता के अन्य स्थल) और उनकी सुरक्षा के लिए प्रस्तावित पूर्वविधानियां।

3.3 खनन क्षेत्र का अनुमानित खनन योग्य जमाव।

3.4 खनन की प्रत्यात्मक स्कीम और खान का आयुष्य।

4. **खान विकास और पुरोगामी खनन की योजनाः**

खान प्रक्रिया के लिए हाथ से किया गया कार्यप्रणाली का संक्षिप्त विवरण (अर्ध–यान्त्रिक, यान्त्रिक और/या यदि विस्फोटन किया जाना है)

4.1 समस्त पैरामीटर/प्रतिफलों सहित विकास की पद्वति जमाव की कार्य प्रणाली विद्यमान/प्रस्तावित का संक्षिप्त विवरण दें।

4.2 अव्यवस्थित उत्खनन, खनिज का अत्याधिक दोहन, फिसलने वाले अपशिष्ट पत्थरों के विखराव, यदि कोई है, को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली पूर्वविधानी सहित प्रथम पांच वर्ष के लिए विकास और उत्पादन प्रेाग्राम।

4.3 वर्षवार उत्पादन , अतिविदोहन वाली खान, चालू खान, विक्रय खनिज/परित्यक्त खनिज/अपशिष्ट खनिज का ब्यौरा चार्टस और ग्राफस सहित दिया जाए (उत्खनन की वर्षवार योजनाएं संलग्न की जाए)

4.4 जब खान पूर्णतया विकसित है तो उत्पादन की प्रस्तावित दर प्रदर्शित करें और इसके चालू होने के पश्चात खान का प्रत्यायित आयुष्य।

4.5 पुरोगामी खनन के पांच वर्ष के पश्चात खान क्षेत्र में उपलब्ध अतिशेष सामग्री और खान बन्द करने का अनूमानित वर्ष।

4.6 कार्य–पद्वति की मुख्य विशिष्टतांए संक्षिप्तया वर्णित की जाएं (हाथ से किया गया, अर्ध–यान्त्रिक, यान्त्रिक और विस्फोटकों के प्रयोग द्वारा)

4.7 यन्त्रीकरण का विस्तार : प्रयोग की जाने वाली मशीनरी/उपस्कर के प्रकार का ब्यौरे सहित विवरण दें।

4.8 विस्फोट करनाः व्यापक पैरामीटर जैसे प्रति छिद्र चार्ज, विस्फोटन पद्वति, प्रति विलम्ब चार्ज, रीति और आग लगाने का क्रम, उपयोग किए जाने वाले विस्फोटक का प्रकार, विस्फोटकों के लिए भण्डारण की क्षमता, मैगजीन आदि के प्रकरण का विवरण दें।

4.9 खनन निकासी : जल सारणी की संभाव्य गहराई, जल सारणी के ऊपर/नीचे किए जाने वाला कार्य, क्षेत्र में सतही जल की निकासी, भूगर्भ/सतही जल नालियों की व्यवस्था।

4.10 अपशिष्ट प्रबन्धन : ऊपरी सतही मिट्टी की प्रकृति और मात्रा, खनिज का अत्याधिक दोहन, क्षेपण स्थलों के ब्यौरे सहित पांच वर्ष की योजनाबद्व अवधि के दौरान संभाव्य उत्पादित होने वाले खान अपशिष्ट/परित्यक्त खनिज के संक्षिप्ततयां दर्शाएं।

4.11 खनिजों के अंतिम उपयोग का वर्णनः केपटिव उपयोग, अन्तर्मध्यथी/उपभोक्ताओं आदि को मुफ्त विक्रय।

4.12 औद्योगिक ईकाई और बाजार को खनिजों के सड़क परिवहन घनत्व के ब्यौरे। सड़क अवसंरचना के पर्याप्तता के ब्यौरे दें।

(ग) **ईंट की मिट्टी के खनन की दशा में** :–

(1) **भू–विज्ञान**

1.1 क्षेत्र का स्थानीय भू–विज्ञान :

(गड्ढे/खाई आदि की स्थिति को दर्शाते हुए मानचित्रण के समुचित परिमाप सहित क्षेत्र का भू–विज्ञानिक नक्शा संलग्न किया जाए।)

(2) **संरक्षित :**

2.1 भू–वैज्ञानिक संरक्षण के प्रत्येक खनिज का प्रमाणित और संमाव्य प्रभावित किए जाने वाले ग्रेड सहित अनुमान।

2.2 खनन क्षेत्र के खनन योग्य जमाव का अनुमान।

2.3 खनन की प्रत्ययात्मक स्कीम और खान का आयुष्य।

(3) **खान का विकास और पुरोगामी खनन की योजना**

खान के विकास की कार्य प्रणाली की पद्वति का संक्षिप्त विविरण।

3.1 वर्षवार उत्पादन, विक्रय/उपयोग योग्य खनिजों के ब्यौरे सहित चालू खान योजना, खान अपशिष्ट और सतही भूमि को हटाया जाना चार्टो और ग्राफ सहित दिया जाए।

3.2 खनिज का अंतिम उपयोग

3.3 पुरोगामी खनन में उपलब्ध अतिशेष सामग्री और खान को बन्द करने का अनुमानित वर्ष।

(4) **अपशिष्ट निपटान योजनाः**

पंच वर्ष में उत्पादित होने वाले अपशिष्ट के ब्यौरे और इसके निपटान की पद्वति।

(5) **खान बन्द करना और परावर्तन योजना** :

प्रस्तावित पौधरोपण योजना और अन्य निराकरण के उपाय दर्शाते हुए वर्षवार परावर्तन योजना का वर्णन करें।

(6) **मानवशक्ति विकासः**

औसत दैनिक नियोजन (कुशल, अर्धकुशल और अकुशल) बताएं।

भाग–2

पर्यावरण प्रबन्धन

(1) **बेस लाईन डाटा (भूमि उपयोग का विवरण और क्षेत्र की सामाजिक अवस्थिति)**

1.1 जनसंख्या व्याप्ति का ब्यौरा

1.2 गांवों/जनसंख्या की सामाजिक–आर्थिकी

1.3 पांच किलोमीटर परिधि नक्शे सहित भूमि उपयोग का ब्यौरा

1.4 कृषि

1.5 उद्यान

1.6 पशुपालन

1.7 मत्स्यपालन

1.8 क्षेत्र की वनस्पति और जीवजन्तु

1.9 जलवायु

(2) **पर्यावरण प्रबन्धन योजना** :

क्षेत्र के पर्यावरण पर खनन के सम्भाव्य प्रभाव का वर्णन दें और इसके न्यूनीकरण के लिए उठाए जाने वाले पग

2.1 वायु पर प्रभाव

2.2 जल पर प्रभाव (सतह के साथ–साथ भूगर्भ जल पर)

2.3 ध्वनि स्तर पर प्रभाव

2.4 अपशिष्ट निपटान प्रबन्धन, यदि कोई है,

2.5 सामाजिक आर्थिक प्रसुविधाएं।

2.6 निकाली गई सामग्री का अभिवहन (उपभोग करने वाले केन्द्र/केन्द्रों के लिए खनिजों की ढुलाई के लिए नियोजित किए जाने वाले परिवहन के साधन का ब्यौरा दें और विद्यमान सड़क/रेलवे प्रणाली पर इसके प्रभाव)

भाग–3

पुरोगामी खान बन्द करने की योजना/पुनरावर्तन योजना

(1) पांच वर्ष के दौरान परित्यक्त और खाली खदानों/गड्ढों द्वारा प्रभावित भूमि का वर्षवार पुनरावर्तन और उसका पुनर्व्यस्थापन, पुनरावर्तन की अनुमानित लागत सहित सुंसंगत नक्शे पर चिन्हित किए गए प्रस्तावित पिछली सतह में भराई और पौधरोपण कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए संक्षिप्ततया वर्णन किया जाए।

1.1 खान अपशिष्ट निपटानः

(क) खान अपशिष्ट और मिट्टी आवरण की वर्षवार उत्पति।

(ख) अपशिष्ट और मिट्टी आवरण का वर्षवार निपटान ।

(ग) खान अपशिष्ट निपटान स्कीम की लागत।

1.2 अपशिष्ट निपटान की मात्रा, जिसकी पांच वर्ष में उत्पादित होने की संभावना है, सहित नक्शे पर अवस्थिति दर्शाते हुए, ऊपरी सतह उपयोग, यदि कोई हो, के लिए की जाने वाली व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दिया जाए।

1.3 निवारक चैक डैम (जहां कहीं आवश्यक है)

(क) निर्मित किए जाने वाले चैक डैमों का वर्षवार ब्यौरा।

(ख) चैक डैमों के सन्निर्माण की वर्षवार लागत।

1.4 पौधरोपण कार्य (अवस्थिति नक्शे सहित विवरण दे)

(क) पौधरोपण के अन्तर्गत आने वाला वर्षवार क्षेत्र।

(ख) रोपित किए जाने वाले पौधों की वर्षवार संख्या (प्रजातियों का नाम दें)

(ग) पौधारोपण कार्य की वर्षवार लागत।

(घ) वर्षवार पौधों की जीवित शेष दर।

(2) **लोक उपयोगिता आदि के स्थल के संरक्षण के लिए योजना (यदि कोई हो)**

खनन और इसके आसपास के क्षेत्रों में लोक उपयोगिता के स्थलों जैसे ग्राम पथ, संड़क, विद्यालय, आवासीय घर, अस्पताल,पशुशाला, पूर्त भवन, जलमार्ग, कब्रिस्तान/शमशान–भूमि पूजा के स्थान सहित क्षेत्र में वन विभाग के कोई कार्यकलाप जैसे कि भूमि परिरक्षण कार्य, नर्सरी रोपण चैक डैम/दिवारों, नालों/नदी को उपयोगी बनाना आदि सड़को के प्रकार जैसे राष्ट्रीय उच्चमार्ग, राज्य उच्चमार्ग, सम्पर्क सड़क, ग्राम सड़क, कोई पुल, कोई जलापूर्ति स्कीम जैसे कि जलापूर्ति टैंक, जलापूर्ति कुआँ (बोर बैल) सिंचाई नहर, जलापूर्ति स्कीम गैलरी आदि, समीपवर्ती पटटा क्षेत्र की सीमा, यदि कोई है, भूक्षरण के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र और कोई अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जो सुसंगत नक्शे पर दर्शित की जाएगी, में लोक उपयोगिता के स्थान के संरक्षण के लिए संक्षिप्ततः वर्णन करें।

(3) **मानवशक्ति विकास** :

औसत दैनिक नियोजन का ब्यौरा दें। ((कुशल, अर्धकुशल और अकुशल)

(4) **खनिज का उपयोग** :

खनिज के उपयोग का विवरण दें और अनुप्रवाह उद्योग।

(5) **कोई अन्य सुसंगत सूचना**

भाग–4

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि खसरा नंबर_____कुल रकबा_____ हैक्टेयर/बीघा, मौजा_____ तहसील_____ जिला_____ में आने वाली खान (खनिज का नाम) मैसर्ज_____के लिए खनन योजना को तैयार करने के लिए, हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 मेटलीफेरस माइनज रेगुलेशन, 1961 के उपबन्धों और इस बाबत समय–समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों का पालन किया गया है ।

पुरोगामी खान बंद करने की योजना सहित खनन योजना को तैयार करते समय राज्य या केन्द्रीय सरकार के सक्षम प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए समस्त कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों और न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों पर विचार कर लिया गया है ।

इस खनन योजना में उपलब्ध करवाई गई सूचना और प्रस्तुत किया गया डाटा मेरी जानकारी के अनुसार सही है ।

तारीखः
स्थानः

एच.पी.आर.क्यू.पी. के हस्ताक्षर
रजिस्ट्रीकरण संख्या

एच.पी.आर.क्यू.पी. का पता

घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि खसरा नम्बर_____ कुल रकबा_____ हैक्टेयर/बीघा/कनाल/मौजा_____ तहसील_____ जिला_____ हिमाचल प्रदेश में अवस्थित खान (खनिज/खनिजों के नाम) के लिए पुरोगामी खान बन्द करने की योजना सहित खनन योजना मेरी सहमति और अनुमोदन से तैयार कर ली गई है और मैं/हम तद्धीन समस्त वचनबद्धता का पालन करूँगा/करेंगे ।

खनन योजना और पुरोगामी खान बन्द करने की योजना राज्य या केन्द्रीय सरकार के सक्षम प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए समस्त कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों और न्यायालायों द्वारा पारित आदेशों पर विचार कर लिया गया है और जहाँ कहीं भी विशेष अनुज्ञा अपेक्षित है, प्राप्त कर ली जाएगी ।

हम समयबद्ध रीति में इस खनन योजना और पुरोगामी खान बन्द करने की योजना में प्रस्तावित समस्त उपायों को कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध हैं ।

हमने_____ रूपए की राशि उसकी वित्तीय प्रत्याभूति के रूप में सावधि जमा प्राप्ति के रूप में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास जमा कर दी है ।

मेरी/हमारी ओर से किसी व्यतिक्रम की दशा में खनन योजना के लिए अनुमोदन प्रत्याहृत किया जा सकेगा और उपरोक्त प्रत्याभूति राशि समपहृत की जा सकेगी ।

तारीखः

स्थानः

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम और पता ।

प्ररूप –'ढ'

(नियम 63 देखें)

भू –राजस्व के बकायों का प्रमाण पत्र

हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के नियम 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं _____ एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि _____ रूपए की राशि श्री/मैसर्ज _____ निवासी _____ से गौण खनिज नामतः _____से पट्टा या संविदा या अनुज्ञप्ति पत्र या अन्य देय राशि की बाबत निम्नलिखित के लेखे भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय हैं ।

(i) स्वामित्व/भाटक विलेख

(ii) सतही भाटक

(iii) संविदा धन

(iv) कोई अन्य देय राशि

कुल

स्थानः

तारीखः

जारी करने वाले प्राधिकारी के पदनाम सहित हस्ताक्षर

प्ररूप –'ण'

(नियम 68(2) देखें)

स्टोन क्रैशर स्थल के संयुक्त निरीक्षण के लिए आवेदन			
सेवा में, राज्य भू–विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001			
1.	आवेदक का नाम		
2.	आवेदक/फर्म का नाम	पिन कोड ____________________	
3.	फर्म के रजिस्ट्रीकरण का स्थान		
4.	आवेदक की नागरिकता		
5.	दूरभाष नम्बर	कार्यालय	आवास
6.	जमा की गई फीस की विशिष्टियां		2500/– रूपए
		ट्रेजरी चालान/प्राप्ति (टी.आर. –5) नम्बर	नम्बर ______________ तारीख ______________
		ज्मा करने का स्थान ,,हिमाचल प्रदेश	
7.	क्रश किए जाने वाले गौण खनिज का नाम		
8.	क्षेत्र का ब्यौरा जहाँ पर क्रैशर प्रतिस्थापित किया जाता है	खसरा नम्बर	
		स्वामित्व	
		किस्म	
		क्षेत्र	
		मौजा	
		ग्राम पंचायत	
		तहसील एवं जिला	
9.	यदि पट्टे के लिए आवेदन किया है तो आवेदित किए गए क्षेत्र की विशिष्टियाँ	स्वामित्व	
		किस्म	
		क्षेत्र	
		मौजा	
		ग्राम पंचायत	
		तहसील एवं जिला	
		आवेदन की तारीख	
		पट्टे से क्रैशर स्थल की दूरी	

10.	अन्य स्त्रोत की दशा में उसका ब्यौरा	
11.	कोई अन्य सूचना जिसे आवेदक देना चाहता है	
	तारीख	
		हस्ताक्षर

प्ररूप –'त'

(नियम 68(4) देखें)

अंनतिम रजिस्ट्रीकरण

उद्योग विभाग

राज्य भू–विज्ञानी कार्यालय

शिमला–1

_____ क्रैशर (प्रतिष्ठापित किए जाने वाले) के स्वामी श्री/मैसर्ज _____ ने खसरा नम्बर _____ मौजा _____ कुल रकवा _____ ग्राम _____ पंचायत _____ डाकघर _____ तहसील _____ जिला _____ में स्टोन क्रैशर को प्रतिष्ठापित करने के लिए आवेदन किया है । श्री/मैसर्ज _____ को निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन अंनतिम रजिस्ट्रीकरण एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है:–

1. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.पी.एस.पी.सी.बी.) से स्थापित करने की सहमति स्टोन क्रैशर इकाई को प्रतिष्ठापित करने से पूर्व प्राप्त करनी होगी ।
2. आवेदक हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सी.ओ.पी.(कसेंट टू ऑपरेट) और उद्योग विभाग के भू–वैज्ञानिक खण्ड से अंनतिम रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के पश्चात् ही अपनी स्टोन क्रैशर इकाई को प्रचालित करेगा ।
3. अनुमोदित खनन योजना में अवधारित खनिज सम्भावयता के आधार पर स्टोन क्रैशर स्वामी क्रैशर मशीनरी तद्नुसार स्थापित करेगा ।

जारी करने की तारीख _____

राज्य भू–विज्ञानी
हिमाचल प्रदेश ।

प्ररूप –'थ'

(नियम 69(1) देखें)

स्टोन क्रैशर के स्थायी रजिस्ट्रीकरण को प्रदान करने/नवीकरण करने के लिए आवेदन

सेवा में,

राज्य भू–विज्ञानी
हिमाचल प्रदेश,
शिमला–171001

1.	आवेदक का नाम		
2.	आवेदक/फर्म का नाम	पिन कोड _____	
3.	फर्म के रजिस्ट्रीकरण का स्थान		
4.	आवेदक की नागरिकता		
5.	दूरभाष नम्बर	कार्यालय	आवास
6.	जमा की गई फीस की विशिष्टियां		2500/– रूपए
		ट्रेजरी चालान/प्राप्ति (टी.आर. –5) नम्बर	नम्बर _____ तारीख _____
		ज्मा करने का स्थान _____हिमाचल प्रदेश	
7.	क्रश किए जाने वाले खनिज का नाम		
8.	क्षेत्र का ब्यौरा जहाँ पर स्टोन क्रैशर प्रतिष्ठापित किया जाता है	खसरा नम्बर	
		स्वामित्व	
		किस्म	
		क्षेत्र	
		मौजा	
		ग्राम पंचायत	
		तहसील	
		जिला	
		प्रतिष्ठापन की तारीख	
9.	प्रतिष्ठापित की गई मशीनरी का ब्यौरा अर्थात् मशीन का पंजा/रोलर,मशीन का पंजा/रोलर आदि के समुच्चय और संयोजन		
10.	भूमि, भवन और मशीनरी पर कुल निवेश		
11.	नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की कुल संख्या	कुशल _____ अर्धकुशल _____	
12.	स्टोन क्रैशर में खनिजों का लगभग वार्षिक		

	उत्पादन		
13.	खनिज का स्रोत (क) खनन पट्टा (ख) अन्य स्रोत		
(क)	पट्टे की विशिष्टियां	खसरा नम्बर	
		स्वामित्व	
		किस्म	
		क्षेत्र	
		मौजा	
(ख)	अन्य स्रोत का ब्यौरा		
14.	स्टोन क्रैशर पर प्राथमिक उपचार प्रसुविधा का ब्यौरा		
15.	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और तद्धीन बनाए गए या जारी की गई अधिसूचना के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा		
16.	जल आपूर्ति का स्रोत		
17.	सहमतियों का ब्यौरा	स्थापित करने की सहमति की तारीख	
		प्रचालित करने की सहमति की तारीख	
		सहमति नवीकरण की तारीख	
18.	कोई अन्य सूचना, जिसे आवेदक देना चाहता है		

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप –'द'

(नियम 69(1) देखें)

स्थायी रजिस्ट्रीकरण

उद्योग विभाग

राज्य भू–विज्ञानी कार्यालय,

शिमला–171001

श्री/मैसर्ज _____ क्रैशर के स्वामी ने अपने आवेदन तारीख _____ द्वारा खसरा नम्बर _____ मौजा _____ कुल रकबा _____ ग्राम पंचायत _____ डाकघर _____ तहसील _____ जिला _____ में प्रतिष्ठापित स्टोन क्रशर के स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ।

श्री/मैसर्ज का निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा स्थायी रजिस्ट्रीकरण किया जाता है:–

1. स्टोन क्रैशर का स्वामी,
   i) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और तद्धीन बनाए गए नियम;
   ii) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, और तद्धीन बनाए गए नियम;
   iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और तद्धीन बनाए गए नियम;
   iv) ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000;

   के उपबन्धों का पालन करेगा
2. स्टोन क्रैशर का विस्तार तब तक अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि भू–विज्ञानी खण्ड, उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो ।
3. स्टोन क्रैशर के स्वामी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्सर्जन के मानक, सरकार की अधिसूचना संख्या एस टी ई –ई (3) –17/2012 तारीख 29.05.2014 द्वारा यथा अधिसूचित या समय–समय पर संशोधित परिनियमों के अनुसार उनका अनुसरण किया गया है और
4. स्टोन क्रैशर का स्वामी सरकार की अधिसूचना संख्या एस टी ई –ई (3) –17/2012 तारीख 29.05.2014 या समय–समय पर यथा संशोधित परिनियमों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अंगीकार करेगा ।
5. स्टोन क्रैशर का स्वामी सम्बध खनन अधिकारी को प्रत्येक मास के 10वें दिन तक पिसे हुए खनिजों की कुल मात्रा, उपयोग की गई विद्युत केपटिव पावर जेनिरेटिड रन क्रैशर की दशा में उत्पादित की गई ऊर्जा, डिज़ल चलाने वाले क्रैशर की दशा में ईंधन उपयोग, नियोजित किए गए श्रमिकों की संख्या, संदेय की गई मज़दूरी आदि के ब्यौरे देते हुए विवरणी प्रस्तुत करेगा
6. भू–विज्ञानी खण्ड, उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों को संयंत्र एवं मशीनरी, कच्ची सामग्री के स्रोत/आपूर्ति, कच्ची सामग्री और परिष्कृत माल के विक्रय अभिलेख और स्टॉक के सत्यापन के लिए अबाध पहुँच देनी होगी ।
7. स्टोन क्रैशर का स्वामी किसी दुर्घटना जो पिसाई, प्रचालन (क्रशिंग ऑपरेशन) के दौरान घटित हुई हो जिसके परिणामस्वरूप गम्भीर शारीरिक क्षति पहुँची हो, के बारे में सम्बन्ध जिला के उपायुक्त और खनन अधिकारी को तुरन्त रिपोर्ट करेगा ।
8. स्टोन क्रैशर का स्वामी पिसाई करने वाली इकाई में नियोजित कर्मकारों को न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित न्यूनतम मज़दूरी से कम संदाय नहीं करेगा ।
9. स्टोन क्रैशर का स्वामी तृतीय पक्षकार के दावे के विरूद्ध राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा ।
10. स्टोन क्रैशर का स्वामी प्रारूप–थ में रजिष्ट्रीकरण के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

रजिष्ट्रीकरण _____ तक विधिमान्य है ।

जारी करने की तारीख

राज्य भू–विज्ञानी
हिमाचल प्रदेश ।

प्ररूप –'ध'

(नियम 74(1) एवं 76(3) देखें)

ब्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम _____
   (फर्म की दशा में भागीदारों और
   फर्म की ओर से कार्य
   करने के लिए मुख्तारनामा धरण करने
   वाले व्यक्तियों के नाम और पता दें)

   फोटोग्राफ
2. पिता का नाम _____
3. व्यवसाय _____

   पत्राचार के लिए पताः _____ पिन _____ मोबाइल नम्बर _____स्थायी पता _____पिन _____फोन (दूरभाष) _____
4. कारबार का स्थान _____
5. विनिर्दिष्ट प्रयोजन जिसके रजिष्ट्रीकरण के लिए आवेदन
   किया है (प्रसंस्करण/छंटाई/विक्रय/व्यापार) करने कि लिए _____
6. खनिज/कच्ची धातु का नाम जिसके लिए रजिष्ट्रीकरण अपेक्षित है _____
7. आवेदन फीस और संदाय प्राप्ति का ब्यौरा _____
8. अवधि जिसके लिए रजिष्ट्रीकरण अपेक्षित है _____
9. नवीकरण की दशा में मूल रजिष्ट्रीकरण की संख्या एवं तारीख _____
10. आवेदक के पक्ष में रजिष्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए कोई विशेष आधार _____

घोषणाः

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के समस्त उपबन्धों और तद्धीन बनाए गई रजिष्ट्रीकरण की शर्तों को पढ़ लिया है और उन्हें समझ लिया है/समझ गए हैं और मैं/हम उसका/उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

आवेदन की तारीखः

स्थानः आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप –'न'

(नियम 74(3) देखें)

ब्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन की अभिस्वीकृति

श्री/श्रीमति _____निवासी _____डाकघर _____तहसील _____ जिला _____हिमाचल प्रदेश से _____(खनिज/कच्ची धातु का नाम) के प्रसंस्करण/छंटाई/विक्रय/व्यापार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन निम्नलिखित संलग्नकों के साथ प्राप्त किया है:–

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

खनन अधिकारी के कार्यालय
के पदधारी के हस्ताक्षर

तारीखः _____

प्ररूप –'प'

(नियम 76(1) देखें)

ब्यौहारी के लिए आवेदनों का रजिस्टर

क्रम संख्या	आवेदन की प्राप्ति की तारीख	आवेदक का नाम	आवेदक का पता	खनिज/ कच्ची धातु का नाम	प्रसंस्करण/छँटाई/विक्रय/व्यापार करने का स्थान	रजिस्ट्रीकरण के प्रदान करने/इनकार करने की तारीख	अपील की तारीख, यदि कोई हो	अपील के निपटान की तारीख	अपील पर संक्षिप्त आदेश	रजिस्ट्रीकरण के अवसान की तारीख, यदि प्रदान की गई है	प्रदान करने/नवी करण करने की अवधि	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

प्ररूप –'फ'

(नियम 76(2) देखें)

1. ब्यौहारी का नाम (पूरे अक्षरों में _____
   (फर्म की दशा में भागीदारों और
   फर्म की ओर से कार्य करने के लिए
   मुख्तारनामा धारण करने
   वाले व्यक्तियों के नाम एवं पता)
2. पिता का नाम _____
3. पता_____ पिन _____ मोबाइल नम्बर _____
4. ब्यौहारी का व्यवसाय _____
5. विनिर्दिष्ट स्थान या कारबार का स्थान_____
6. विनिर्दिष्ट प्रयोजन जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है_____
7. रजिस्ट्रीकरण के अन्तर्गत आने वाले खनिज/कच्ची धातु का नाम _____
8. आवेदन फीस के संदाय को दर्शाने वाला चालान नम्बर _____
9. निक्षेप प्रतिभूति की विशिष्टियाँ _____
10. रजिस्ट्रीकरण की अवधि _____
11. यदि ये नवीकरण का मामला है तो मूल रजिस्ट्रीकरण को प्रदान करने की संख्या और तारीख _____
12. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की संख्या और तारीख_____
13. रजिस्ट्रीकरण_____तक विधिमान्य है ।

फोटोग्राफ

जारी करने की तारीख_____

खनन अधिकारी के
हस्ताक्षर और मोहर

उद्योग विभाग

(भूवैज्ञानिक खण्ड)

हिमाचल प्रदेश

प्ररूप– 'ब'

तीन प्रतियों में पारगमन (ट्रैंजिट) पास

{नियम 77(iii) एवं 79(2) देखें}

जारी करने की तारीख _____ जारी करने वाले प्राधिकारी की मोहर एवं हस्ताक्षर

1. संविदाकार/पट्टेदार/अनुज्ञापत्र/अनुज्ञा धारक का नामः_____
2. खान का नाम और अवस्थितिः_____
3. स्थान जहाँ खनिज भेजा जा रहा है:_____
4. व्यक्ति/पक्षकार का नाम जिसे खनिज प्रेषित किया जा रहा है:_____
5. खनिज का नामः_____
6. खनिज की मात्रा/परिमाण:_____
7. परिवहन का साधन _____यान संख्याः_____
8. यान के स्वामी का नामः_____
9. चालक का नामः_____
10. उत्पादन रजिस्टर की पृष्ठ संख्या
    जिस पर पारगमन पास (प्ररूप–'ब') दर्ज किया गया है:_____
11. प्रेषण की तारीख:_____
12. प्रेषण का समयः _____

चालक के हस्ताक्षर खनन स्वामी/प्रबन्धक के हस्ताक्षर

निबन्धन और शर्तेः

1. प्ररूप–'ब' के समस्त स्तम्भ, विशेषतया क्रम संख्या 11 और 12 जो खनन स्थल से प्ररूप–'ब' के जारी करने की तारीख और समय से सम्बन्धित हैं, समुचित रूप से भरे जाने चाहिएं।
2. प्ररूप–'ब' केवल एक फेरे के लिए ही विधिमान्य है ।
3. प्ररूप–'ब'केवल तभी विधिमान्य है यदि इस पर जारी करने वाले प्राधिकारी की मोहर और हस्ताक्षर है।
4. कोई व्यक्ति जो उपरोक्त का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो वह दोषसिद्धि पर, या तो कारावास की ऐसी अवधि के लिए, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 25000/– रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।
5. खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के नियम 21(4) के अधीन किसी भी प्रकार का यान प्ररूप–'ब' के बिना सामग्री को वहन करने/परिवहन करने में सन्निहित है तो उसे जब्त किया जाएगा और ऐसा यान परिबद्ध किया जाएगा और सामग्री की नीलामी कर दी जाएगी ।

प्ररूप– 'भ'

{नियम 77(iii) एवं 79(2) देखें)}

उद्योग विभाग

(भूवैज्ञानिक खण्ड)

हिमाचल प्रदेश

(तीन प्रतियों में)

अनुपूरक पारगमन/ट्रैंजिट पास

क्रम संख्या.................................. जारी करने वाले प्राधिकारी की मोहर एवं हस्ताक्षर

जारी करने की तारीख अवसान की तारीख

1. संविदाकार/पट्टेदार/अनुज्ञापत्र/अनुज्ञा धारक का नामः______________________________
2. स्टोन क्रशर/स्टॉक यार्ड का नाम और अवस्थितिः______________________________
3. परिवहन किए जाने वाले परिष्कृत उत्पाद के नाम और उसकी मात्राः______________________________
4. स्थान जहां खनिज के परिष्कृत उत्पाद को भेजा जा रहा हैः______________________________
5. परिवहन का साधन ______________________________यान संख्याः______________________________
6. यान के स्वामी का नाम और पताः______________________________
7. चालक का नाम और पताः______________________________
8. परिष्कृत उत्पाद का भार/मात्राः ______________________________
9. प्रेषण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या जिस पर अनुपूरक पारगमन पास (प्ररूप–'भ') दर्ज किया गया हैः______________________________
10. प्रेषण की तारीख और समयः______________________________

चालक के हस्ताक्षर स्टोन क्रशर स्वामी/ प्रबन्धक के हस्ताक्षर

निबन्धन और शर्तेः

1. अनुपूरक पारगमन पास प्ररूप–'भ' के समस्त स्तम्भ, विशेषतया क्रम संख्या 8 जो स्टोन क्रशर स्थल से अनुपूरक पारगमन पास प्ररूप–'भ' के जारी करने की तारीख और समय से सम्बन्धित हैं, समुचित रूप से भरे जाने चाहिए।
2. यह अनुपूरक पारगमन पास प्रारूप–'भ' केवल एक फेरे के लिए ही विधिमान्य है ।
3. यह अनुपूरक पारगमन प्ररूप–'भ' केवल तभी विधिमान्य होगा यदि इस पर जारी करने वाले प्राधिकारी की मोहर और हस्ताक्षर है।
4. कोई व्यक्ति जो उपरोक्त का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो वह दोषसिद्धि पर, या तो कारावास की ऐसी अवधि के लिए, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 25000/– रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।
5. खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के नियम 21(4) के अधीन किसी भी प्रकार का यान अनुपूरक पारगमन पास प्ररूप–'भ' के बिना सामग्री को वहन करने/परिवहन करने में सन्निहित है तो उसे जब्त किया जाएगा और ऐसा यान परिबद्ध किया जाएगा और सामग्री नीलाम कर दी जाएगी ।

प्ररूप– 'म'

{नियम 77(iv) देखें)}

ब्यौहारी द्वारा क्रय किए गए और विक्रय किए गए खनिज/कच्ची धातु की मासिक विवरणी

1. ब्यौहारी का नाम एवं पता: _____
2. ब्यौहारी की रजिस्ट्रीकरण संख्या: _____
3. अथ शेष स्टॉक (खनिज–वार): _____

1. _____एम टी
2. _____एम टी
3. _____एम टी

क्रम संख्या	व्यक्ति/फर्म का नाम और पता जिससे खनिज क्रय किया गया है	क्रय किए गए खनिज की कुल मात्रा	पारगमन पासों की संख्या	खनिज/कच्ची धातु का नाम

4. मास में कुल क्रय (खनिज वार)

1. _____एम टी
2. _____एम टी
3. _____एम टी

5. मास में कुल विक्रय (खनिज वार)

1. _____एम टी
2. _____एम टी
3. _____एम टी

इतिशेष स्टॉक/अथ शेष स्टॉक + कुल क्रय – कुल विक्रय (खनिज वार)

1. _____एम टी
2. _____एम टी
3. _____एम टी

प्रारूप– 'य'

{नियम 80(5) देखें)}

जब्त किये गए खनिज/कच्ची धातु की सूची

1. सम्पत्ति को जब्त करने वाले अधिकारी का नामः _____
2. अधिकारी का पदनाम और पताः _____
3. जब्त की गई सम्पत्ति के ब्यौरेः _____

   (क) तारीख और समय सहित जब्त करने का स्थानः _____

   (ख) प्रत्येक सम्पत्ति का विवदणः _____
4. नियम, जिसके अधीन सम्पत्ति जब्त की गई है : _____
5. व्यक्ति का नाम और पता जिससे सम्पत्ति जब्त की गई है : _____
6. जब्त की गई सम्पत्ति के लिए किसी अन्य दावेदार का नाम और पताः _____
7. व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में जब्त की सम्पत्ति रखी गई है का नाम और पताः _____
8. अभिरक्षक के हस्ताक्षरः _____
9. जब्त की गई सम्पत्ति का अनुमानित मूल्यः _____
10. टिप्पणियांः _____
11. साक्षियों के नाम और पता उनके हस्ताक्षरों सहितः

    (i) _____

    (ii) _____

तारीख

सम्पत्ति को जब्त करने वाले अधिकारी के
पदनाम बारे पते सहित हस्ताक्षर

आदेश द्वारा
प्रधान सचिव (उद्योग)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन .....

1.....